Shodh Chetna

'kk/k p:r uk

The International Registered Research Journal

ISSN : 2350-0441

Shodh Chetna

'kk/k p|r uk

The International Registered Research Journal

Year-1 **Part - 2** **Apr. to Jun., 2015**

Editor
Shushil Kumar Kushwaha

G.H. PUBLICATION
121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

© *Publishers*

Registration Fee : Rs. 1000.00 (One Thousand)

Membership Fee :

Single Copy	Rs. 350.00 (Individual)	$ 10
	Rs. 500.00 (Institution)	$ 15
Annual (4 Issues)	Rs. 1200.00 (Individual)	
	Rs. 2000.00 (Institution)	
Life Member (15 Yrs.)	Rs. 5000.00	

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394302010996632
IFSC-UBIN 0539431

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (M) 09329225173
E-mail : ghpublication@gmail.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

Chief Advisor
Ajai Srivastava
Librarian
State Central Library, Rewa

Editor
Sushil Kumar Kushwaha

Honourary Editor
Dr. Sanjay Shankar Mishra
Professor and Head
Department of Commerce
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
Dean, Faculty of Commerce, A.P.S. University Rewa (M.P.)

Dr. Smt. Poonam Mishra
Professor
Department of History
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Managing Editor
Harsh Kushwaha

Associate Editor
Dr. (Major) Vibha Srivastava
Professor & Head, Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Narendra Kumar Gupta
Professor, Department of Law
Himachal Pradesh University, Shimla

Smt. Karuna Srivastava
Assist. Prof., Department of Sociology
Govt. College, Gurha, Rewa

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

Guidelines to the Authors

Manuscripts of research paper : It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be chekced before submission as their is not provision of sending proof. It must include Abstract, Introduction, Methods, Results and References. English manuscripts must be in Times New Roman font, font size 12 and in double spacing. Hindi manuscripts must be Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in **CD/e-mail : ghpublication@gmail.com**, with a cheque of Rs. 1000 only in favour of Sushil Kumar Kushwaha, also for Registration. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.

Editorial Board

Dr. Vinod Tiwari
Prof. & HOD of Law
Rajeev Gandhi Law College, Bhopal

Prof. Pratibha Srivastava
Prof. & Head, Department of Sociology
Govt. Girls P.G. College, Shahdol

Dr. S.N. Gautam
Vedacharya
Govt. Venkat Sanskrit Mahavidyalaya, Rewa

Dr. Umakant Mishra
Prof. & HOD (Sanskrit)
T.R.S. College, Rewa

Dr. Sudha Soni
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Mahendra Mani Dwivedi
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. D. N. Tripathi
Associate Professor & HOD (Sanskrit)
Dharma Samaj P.G. College, Aligarh

Contents

1.	The Significance of Renvoi Under Private International Law *Dr. Vinod Tiwari, Birendra Kumar Tiwari*	**1**
2.	Role of Women in National Development Challenges & Possibilities *Prof. Vibha Srivastava*	**1**
3.	The sources of Kundmala, a Sanskrit Drama *Dr. Uma Kant Mishra*	**1**
4.	"Kundmala" A combination of charming simplicity and striking realism in style *Dr. Uma Kant Mishra*	**1**
5.	Happy Re-union of the Ideal Lovers *Dr. Uma Kant Mishra*	**1**
6.	मुगलों की आर्थिक नीति : एक समीक्षा *डा. संजय शंकर मिश्रा, राजभान चर्मकार*	**28**
7.	भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव *डा. पूनम मिश्रा, करुणापति त्रिपाठी*	**33**
8.	विक्रमोर्वशीयम् में वर्णित सौन्दर्य-प्रेम का वैशिष्ट्य *डा. द्वारका नाथ त्रिपाठी*	**39**
9.	सीधी जिले के शा.पूर्व. माध्यमिक विद्यालय ठाढ़ीपाथर के शिक्षकों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरुकता का अध्ययन *डा. सुषमा श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह*	**45**
10.	वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता *डा. संजय शंकर मिश्रा, डा. शिप्रा दूबे*	**56**
11.	इतिहास लेखन में व्यक्तिनिष्ठता की समस्या *डा. पूनम मिश्रा, विनय कुमार कुशवाहा*	**65**
12.	विद्यार्थियों की बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में योगाभ्यास का महत्व *डा. सुधा सोनी*	**68**
13.	''घरेलू हिंसा-उषा किरण योजना'' *डा. प्रतिभा श्रीवास्तव*	**74**

14. भारत के प्रमुख जनजातीय आन्दोलन **78**
डा. महेन्द्र मणि द्विवेदी

15. भारत में महिला शिक्षा : मूल्यांकन **83**
डा. संजय शंकर मिश्रा, डा. शिप्रा दूबे

16. बी.एड. शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन **94**
डा. नीलम मिश्रा, श्रीमती सुषमा शर्मा

17. रघुवंश महाकाव्यम में यज्ञ की महत्ता **98**
डा. देवेन्द्र प्रसाद तिवारी

18. प्राचीनशास्त्र की वैज्ञानिकता एवं मानव जीवन में प्रभाव **102**
श्रीमती क्षिप्रा सिंह

19. वाण की वाणी में वैदिकवाणी का विलास **106**
डा. सूर्य नारायण गौतम

20. नारी शक्ति की प्रतीक : सरोजनी नायडू **109**
डा. सुधा सोनी

21. मध्यप्रांत में राष्ट्रवादी भावना-उदय, उद्‌भव एवं विकास **111**
डा. पूनम मिश्रा, विनय कुमार कुशवाहा

22. व्रतस्वरूप मीमांसा **115**
प्रो. वाल्मीकि प्रसाद मिश्र

23. वेदान्त दर्शन में माया-एक विचार **118**
डा. उमाकान्त मिश्र

24. बघेलखण्ड में पत्रकारिता का प्रादुर्भाव एवं जनजागरण में उसका योगदान **127**
डा. विभा श्रीवास्तव, श्रीमती रमा श्रीवास्तव

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

THE SIGNIFICANCE OF RENVOI UNDER PRIVATE INTERNATIONAL LAW

*Prof. (Dr.) Vinod Tiwari**
*Birendra Kumar Tiwari***

Abstract

International Law is a important issue in the present day developing society. It contains mainly with two types of problem.

1. The Problem relating to society of nation and International Organization which are governed by the branch called "Public International Law"

2. The problems relating to individuals and their properties belonging to different nations which are regulated by the branch called "Private International Law" or conflict of Law".

The conflict of laws rule of the forum may refer the "Law" of the Foreign State or its conflict of law rules. If it refers to its conflict of law rules then the court of the forum has accepted what is known as the doctrine of Renvoi. The term renvoi also refers to the rules that, in a lawsuit by a nonresident upon a cause arising locally, the capacity to sue is determined by the law of the non - resident domicile, rather than by local law. In private international law, the public policy doctrine or order public concerns the body of principles that underpin the operation of legal systems in each state. This doctrine related to the social, moral and economic values that tie a society together: values that vary in different cultures and change over time. Law regulates behaviour either to reinforce existing social expectations or to encourage constructive change, and laws are most likely to be effective when they are consistent with the most generally accepted societal norms and reflect the collective morality of the society.

INTRODUCTION

The law of every state includes the domestic of Internal law which applies to local situation, and a body of law which is applicable in a situation involving a foreign issues. The latter is commonly referred to as the conflict of law rules,

*Professor & HOD of Law, Rajeev Gandhi Law College Bhopal (MP)
**Assist. Professor of Law, Rajeev Gandhi Law College Bhopal (MP)

where a foreign country is the place of domicile or the place where the contract was made or lex situs of the property.

DEFINITION OF RENVOI

Renvoi is the legal doctrine that applies when there is a conflict of laws in a particular court case. "Renvoi is a French word meaning "reference back" The term renvoi is gotten from the French and literally means to "send back or return unopened" where the significant elements in the case are divided between two countries e.g. France and England, such a case is the case of conflict of law for any court litigating.

For example "A" a British subject, dies domiciled in French and he leaves some goods in England and the question before the English Court comes regarding the distribution of these goods, then the English Rules of Private International Law lay down that in such a case the law of domicile of the deceased shall apply. The English law well, therefore, refer the English Court to French Law, which is law of the domicile in the present case.

Another ways when a British citizen living in France dies intestate the problem of renvoi arises whenever the rule of the conflicts of law of France refers to the law of foreign country, but the conflict rule of the law of the foreign country would have referred the question to the "law" of the first country or the law of some third country.

According to Graveson, when special reference has been made to a foreign system of law through the operation of the connecting factor, the question arises of the definition of the meaning of foreign law, for instance, the law of domicile or the "lex situs" made relevant by the connecting factor.

Illustration X, a British subject whose domicile of origin was English, died intestate domiciled in Italy, leaving movable property in England. Since such property could only be administered under a grant of administration from the English Court, that court might be called upon to advise the administrator as to what law he should apply in distributing to movable property. The general principles of English conflict of laws which in itself constitutes a general principle of connection is that in the case of a deceased intestate, distribution of movable property must be made according to the law of the deceased's domicile at the date of his death. Distribution according to Italian law is therefore indicated. The question now arises, shall distribution be made according to internal Italian law as applied to the distribution of Italian Movables of Italian subjects domiciled in Italy or shall it be according to Italian Law in the wider sense, which includes Italian rules of conflict of Law.

Where a matter before a court has an international element, arise the court will initially apply Private international law rules of the jurisdiction it is located

to decide which law applies. If A's law is the applicable law, the court will apply A's domestic law. However, if the applicable law is that of another jurisdiction (B) the court must decide whether to apply B's domestic law or B's including B's own Private International Law (PIL) rules. If the court decides on B's Private international Law rules, and B's Private International Law rules refer back to the law of A or refers to a 3rd jurisdiction this reference is know as Renvoi

In Abate v. Abate1 the husband had obtained a decree of nullity in the Swiss Ganton of the Grisons at a time when he was domiciled in Italy. He later sought a declaration in England that the Swiss decree was a valid and effective decree annulling the marriage. Expert evidence established that it would be recognized by the Italian Courts.

The doctrine Renvoi was given initial adopted in the Forgo V. Administration2 de domain which was decided by the French Court decision. The court observed the estate of a Bavarian national who had settled in France acquiring a legal domicile there and then died intestate in france leaving moveable properties there. The French court referred the question of the distribution of his intestate estate to Bavarian Law. It was found that under the Bavarian law of succession to moveable property (intestate state) was governed by the law of the place (lex Situs). The French accepted this remission to its law and applied the French internal law.

In similar other case of Estate of fuld, decd (NO 3) v. Hartley3.The judge found that the deceased domiciled in Germany and accordingly referred the matter to German law whose conflict rule referred this to the law of nationality that is Ontario Canada. The will was formerly valid under the Ontario domestic or internal law but not under German internal law. However, the judge for the transfer to the law of Ontario including its conflict rules. The German law accepted backward reference and therefore German conflicts rules becomes inoperative in the end, the judge pronounced against the will.

SCOPE OF THE DOCTRINE

It is universal principle that the English doctrine of renvoi has been restricted in its practical application, to questions of formal and intrinsic validity of will, to issues of intestate successions to movables and (as often claimed) to questions of recognition of foreign divorce decrees. According to Cheshire, in the countless cases dealing with such matter, as contracts, sales of movable gifts, insurance inter vivo or mortis causae, mortgages, negotiable instruments, partnership, dissolution of foreign Company and so on, the English courts. Renvoi has been adopted in cases

Regarding the formal validity of wills, when referred to the law of a foreign country, have always applied the native law of that country as in Collier v. Rivaz4.

The doctrine of renvoi has been applied to legitimate an adulterine child, which would not have been possible under English law at the time. In the sphere of family law, there is some authority for the view that renvoi applies to formal validity of marriage and it has, in the past, been employed in questions of capacity to marry, although subsequent changes make this a precedent of limited value. The doctrine of renvoi is not applied in the area of commercial law; a stipulation that a contract is to be governed by the law of Arcadia is normally taken as a reference to the native law of Arcadia.

RENVOI IN ENGLISH COURT

English court in course of the past many years have pursued on three different views of approaching in dealing with the question raised by the need to define the law of country.

1. In a broad sense of cases, the court has always taken the meaning of "The Law of the Country" to be native or internal or municipal law only. Not only has this view been generally and perhaps unconsciously, followed in matter of mercantile contracts, torts, and other matter not normally governed by the personal law of the individual, but there is justification for assuming that it has been applied in every unreported cases in which questions of personal law have been involved.

2. The second meaning, which has been attached by English Courts to the expression "Law of Country" is the entire law of the foreign country, including its rules of conflict of laws.

3. For a long of period English Courts, is one form or another, have regarded the reference to the "Law of a country" as one to the law which the courts of that country would apply, and have considered themselves for the purpose of such courts. It is in the tradition of the common law to seek to express law in judicial term.

It has been pointed that the study of the cases indicates that English Court concludes by subordinate its own choice of law rules to those another country. In the opinion of Dr. Cheshire, the following are the defects of foreign court theory of Renvoi.

1. The theory suffers from ambiguity.
2. It ignores the true nature of rules for the choice of law.
3. It is inconsistent with the fundamental Principles of Private International Law.
4. An adoption of the theory does not necessary produce uniform results.
5. The theory is difficult to apply apart from the above defects it is recognized by jurists in the following cases.

1. This theory is recommended for the recognition of divorce decree.

2. It is also recommended in cases dealing with title to the property, movable and immovable both which are situated abroad.

3. It is used in resolving disputes relating to the formalities of wills

In the above discussion It is evident that the Private International law committee has recommended that the Hague convention of 1951, designed to reconcile the clash between the lex domicile and the lex patrai – the most usual situation to raise a question of "renvoi" should not be accepted by great Britain5. The convention has been ratified by Halland and Belgium, and signed by France, Spain and Luxembourg.

END NOTES

1. 1961 I ALL ER 569
2. Forgo Vs. Administration
3. 1966 WLR 71
4. Collier v. Rivaz
5. Private International Law Committee 7th Report (1963)

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

ROLE OF WOMEN IN NATIONAL DEVELOPMENT CHALLENGES & POSSIBILITIES

Prof. Vibha Srivastava

Introduction

Women in India consistently lag behind the men in terms of access to education, health care, jobs etc. Apart from the economic and social inequality, women in India are victims of heinous crimes such as, dowry deaths, rape, molestation and immoral trafficking. As per the statistics;

- The female child sex ratio (0-6 years) is 914 per 1000 males
- Rural female literacy rate only 58% while rural male 78%
- Women employment in urban areas is only 13.9% while in rural areas is 29.9%. With the rise in poverty, many women are forced to work in very low end and low paid jobs.
- Employment of women in organized sector is less than 8%.
- Women especially in the child bearing age often deficient in nutrition due to poverty. As a result the number of maternal deaths in India is one of the highest in the world and 87% of all pregnant women in India are anemic.

Unless drastic measures are taken to improve female literacy, create skills and capability among women for enabling them to stand on their own feet and care for themselves and family, it will be difficult for India to prosper as a nation. Many NGOs are working at the grass root level to empower women to attain economic participation in order to overcome poverty and inequality. You can support this effort by contributing to the following causes to help in the empowerment of marginalized women.

The principle of sexual equality in education - one facet of the general principle of the equality of the sexes is well acknowledged in the Indian society. It is true that sexual equality is of more relevance to political life, such as democracy, secularism, and the rights of the individual and it became enshrined in numerous national and international documents as a politically correct, universal value.

Women's Status

Women account for roughly half the world's population, perform two-thirds of the hours worked, receive one-tenth of the world's income, and have less than

---

Professor & HoD (History Dept.), Govt. Girls P.G. Colleges, Rewa, (M.P.) Mob. 08989469651

one hundredth of the world's property registered in their names. Female deprivation is particularly acute in the developing countries viz. India, Pakistan, Sri Lanka etc. with high levels of poverty, though in affluent nations women also suffer low status due to conservative attitudes.

The most dramatic and telling statistic of women's status is the sex-ratio in the population, that is, the number of females per 100 males. It is a well-known fact that life-expectancy at birth favours females. This appears to be a biological constant. Yet, the proportion of females to males varies greatly across different regions of the world. For example, the proportion of females is 52.5% in the industrialised world but in sub-Saharan Africa women account for only 51% of the population. The figures are 48% of the population in East Asia and less than 47% in South Asia. From figures such as these, economist Amartya Sen has estimated that there are 100 million women "missing" in the world. Sen describes the fate of these women as "one of the more momentous problems facing the contemporary world." This is a moral as well as a development-related problem.

The overwhelming reason why 100 million women are missing in the world is excess female mortality. In the developed world, women outlive men by an average of six years; by contrast, in large parts of South Asia, men can expect to live longer than women.

Differential mortality is only the most dramatic manifestation of systematic discrimination against females. Women and girls are more likely to be impoverished than men and boys. Also, studies have found that girls are fed less than their brothers and that their illnesses are less likely to be treated. It should come as no surprise then that, in most regions of the world, female literacy and education fall far short of male literacy and education, as shown in Table 1. While poverty and cultural factors must surely influence the extent of female deprivation, they do not explain it entirely. For example, sub-Saharan Africa is one of the poorest regions of the world but the problem of excess mortality of females is much less severe there than in South Asia.

Table 1 : Male-Female Gaps in education, 1990

(Index : Males = 100)

Region	**Adult Literacy**	**Primaryenrolment**	**Secondaryenrolment**	**Tertiaryenrolment**
Nordic countries	—	100	101	121
OECD	—	99	98	103
All Developing Countries	73	88	78	70
Least Developed Countries	57	84	67	44
Arab states	61	92	77	65

East Asia	80	96	79	73
Latin America and Caribbean	97	98	98	70
South Asia	55	75	60	48
SE Asia and the Pacific	90	97	95	73
sub-Saharan Africa	66	85	72	46

***Source** : Human Development Report 1995, Annex table A2.6, page 68.*

***Notes**: The figures relate to women's education in relation to men's, the index for men being 100. Thus, for example, in least developed countries, the adult literacy rate for women was only 57% that of men, while in Latin America and in the Caribbean, it was 97% that of men.*

National Economic and Social Gains from Female Education

Equality of the sexes - in terms of men and women's command over resources, their access to education and health, and in terms of freedom to develop their potential - has an intrinsic value in its own right. The equal treatment of the sexes for intrinsic reasons is, in the parlance of welfare economics, the equity reason for reducing gender-imbalances. A second important reason in favour of reducing gender-imbalances is what might be termed the instrumental reason, that is, the gains to be had from granting equality. For example, if with equal education, women's contribution to National Economic development (or to other desirable goals) is comparable to men's, then reducing gender-imbalances in education will enhance women's capacity to contribute to India's National Development. This is the efficiency reason for reducing gender inequality in areas where women are currently deprived. Both the intrinsic (equity) and instrumental (efficiency) based reasons for gender equality are emphasised in today's era.

National Economic Efficiency & Development

Human capital theory suggests that just as physical capital (machines) augments people's economic productivity, so human capital acquired through education improves the productivity of individuals. Studies of the sources of economic growth demonstrate persuasively that education plays a major role as a factor in the rise of output per worker. The new growth theories in economics place education and human resource development at the centre of their explanation for long-term economic growth. Confidence has grown in the belief that education affects economic growth because many studies have shown the positive correlation between a country's educational effort and its economic status, and causality has been attributed to education. Prominent examples of this are the so-called "miracle" economies of East Asia.

If female schooling raises human capital, productivity, and economic growth as much as male schooling does, then women's disadvantage in education is

economically inefficient. Research world-wide shows that, in general, the economic benefits from women's education - calculated as the economic rate of return to education - are comparable to those from men's education. Thus, from the point of view of economic efficiency, the gender gap in education is undesirable.

National Social Efficiency & Development

While the economic benefits of educating girls are similar in size to the economic benefits of educating boys, recent findings suggest that the social benefits from investing in female education are far greater than those from investing in male education. Specifically, female education has powerful effects on the total fertility rate (and hence on population growth), the infant mortality rate, the female disadvantage in child survival, and on child health and nutrition. By contrast, statistical analyses show that male schooling has relatively much smaller effects on these important social outcomes.

For example, a recent study by Subbarao and Raney (1995) using national aggregate data from 72 countries regressed the total fertility rate of 1985 on the male and female secondary school enrolment rates lagged by 10 years, i.e. on the enrolment rates of 1975. The objective was to examine the effect of education on fertility, controlling for a number of other factors such as family planning service provision and per capita income. The results show that female secondary school enrolment (lagged by 10 years) is inversely correlated with the total fertility rate but that male secondary school enrolment shows no strong correlation. Similarly, a regression of the 1985 infant mortality rate on 10 year lagged male and female secondary school enrolment rates shows that while female education is associated with lower infant mortality, male education has no statistically significant effect.

A similar exercise by Murthi, Guio, and Drèze for India using district level aggregated data shows that whereas the district female literacy rate had a strong inverse correlation on the district average total fertility rate, on under-five child mortality rate, and on the female disadvantage in child survival, the district male literacy rate had no significant effect on each of these outcomes. Moreover, district per capita income, urbanisation, and the spread of medical facilities were not statistically significant determinants of total fertility rate. While these latter three variables do have positive effects on child survival levels, their effects were relatively small compared with the powerful effect of female literacy.

Finally, a large body of microeconomic evidence shows that increases in women's education generally lead to increases in their labour force participation as well as in their earnings. Educated women's greater participation in labour market work and their higher earnings are thought to be good for their own status (economic models say "bargaining power") within the household, and are good for their children because it appears that a greater proportion of women's

income than men's is spent on child goods. On the down side, it may be thought that educated women's greater labour force participation takes them away from their children for longer periods of time (than is the case for uneducated or less educated women) and this may disadvantage educated women's children through neglect. At present this is a relatively unresearched issue. However, limited evidence suggests that children whose mothers work have just as good or better educational outcomes than children whose mothers do not work.

The findings in the studies cited above are corroborated by international as well as national studies, and they demonstrate the powerful role of women's agency and women's educational empowerment in reducing desired family size, fertility, population growth, child morbidity, child mortality, and gender-bias in child mortality, while at the same time showing that men's education mattered comparatively less to these important social outcomes.

Pathways through which Education Affects National Social Outcomes/ Development

Why should education of females significantly reduce the fertility and mortality rates and improve child health? What are the pathways through which girls' education leads to these social gains? Economists tend to focus on the role of incentives as a way of understanding phenomena. They reason that female education lowers the fertility rate by reducing desired family size and that this, in turn, is because education raises the value of women's economic activities by raising the labour market rewards from going out of the home for work. In other words, the opportunity-cost of staying at home for child bearing and rearing increases as women become more educated and, so, educated women desire smaller families. Education may also change women's preferences about the quantity versus the quality of children, with educated women choosing fewer children but of better "quality". Moreover, as mentioned earlier, recent research suggests that a greater proportion of women's cash income than men's is spent on child goods so that women's education and the consequent increase in women's income would appear to have particular benefits for child quality.

Education of women improves child health because of educated mothers' greater knowledge of the importance of hygiene and of simple remedies. All this lowers infant mortality, which in turn means that a family does not need to have a large number of children in order to hedge against the possibility of premature death of some children. Further, it appears that education of females increases the age at marriage (or at cohabitation) and through this delay, lowers the total fertility rate, i.e. number of children ever born to a woman.

Finally, some studies find that mother's education has a greater impact on the educational attainment and school achievement of children than father's

education. This is plausible given the greater interaction between mother and children in most families since, in most countries, fathers are usually the main earners in the household. In this way, education of females contributes more significantly (than the education of males) to increases in human capital, productivity, and economic growth not only in their own generation but also in the next generation.

Gender Equality in Education: National & Universal Value?

It appears that there is an increasing challenge to the principle of gender equality not only from religious fundamentalists but also from a broader current, particularly in India, that questions the universality of the principle, contesting it as a "western value". For example, when a recent study found that Pakistan had forgone much economic growth between 1970 and 1985 because of its large scale failure to invest in the education of its females, a large group of angry Pakistani economics academics called education of females a "western value" and argued that education of females had led to increased incidence of divorce, family breakdown and social problems in western countries. As Fred Halliday, professor of International Relations at London School of Economics, says, perhaps the most pervasive and difficult of all the moral issues confronting the world at the moment is that of universal versus particular values.

Indeed, the Pakistani detractors who questioned the usefulness of women's education and claimed that it had wrought family breakdown in western countries might have a valid argument. Access to education *per se* is not sufficient; the content of education is also important, as emphasised in today's era.

The Way Forward in India

In order to see how more girls can be educated in India, it is essential to ask what holds them back from gaining education currently. There are many reasons why women's education seriously lags behind men's education, particularly in developing countries as seen in Table. The most commonly cited is that in certain societies many parents continue to envisage a strict gender division of labour. If for most of her adult life a daughter will be a housewife, it seems pointless to educate her. The immense contribution that education can make to women's efficiency in child rearing and in domestic tasks is insufficiently recognized. In India, societal norms such as early age marriage or the dowry system militate against girls' education. But, most importantly, when people live on low incomes - as in rural areas of all developing countries - it is the mismatch between the costs and benefits of girls' schooling that causes the gender gap in education to persist. In most developing countries, where typically there is no social security or state pension, male children still provide old age support to their parents but female children do not, any benefits of a daughter's education being reaped by

her in-laws. Thus the expenditure on boys' schooling results in benefits for the parents but not expenditure on girls' schooling. In other words, in India, there is an asymmetry in parental incentives to educate sons and daughters.

These explanations of the gender disadvantage in schooling have important policy implications. First, they suggest the need for public education about the intrinsic and instrumental value of women's education. Such a policy step would aim to change conservative attitudes towards girls' schooling. Secondly, they suggest that public policy should compensate for the asymmetry in parental incentives to educate girls and boys by giving extra subsidies for girls' schooling. This makes sense because many of the benefits of girls' education are public benefits, i.e. they accrue not only to the educated individual and her family but also to society in general - for example, lower infant mortality and fertility rates. One further policy suggestion is that Indian Government should improve the economic incentives for women's education by attempting to reduce job and wage discrimination against women in the labour market, for example, through stricter labour legislation. This would raise the economic returns to women's education. Evidence suggests that cultural inhibitions can be overcome if the labour market (i.e. economic) incentives for acquiring education are strong enough.

Summary and Conclusions

In this paper I have presented that, in India, the social gains from female schooling are generally far greater than those from male schooling. These findings have led, in recent years, to a widespread recognition of the importance of women's education, though the principle still faces challenges from certain quarters. International agencies that provide development assistance to economically less developed countries have come to realise the momentous advantages of expanding girls' access to schooling and are now enthusiastically championing the cause.

The main policy prescriptions of this paper are that Indian Government and other organisations should attempt to educate people about the equity and efficiency benefits of female education and that public policy should encourage girls' access to schooling by extra subsidies in order to compensate for the asymmetry in parental incentives to educate sons and daughters in poor societies. It is also argued that education *per se* is not sufficient. It is clear that societies which have achieved universal education are currently extremely deficient socially despite their economic prosperity. In India, the next step in the evolution of secular thinking will, it is hoped, be in the important area of the content of education.

- Amartya Sen, "Women's Survival as a Development Problem," *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences* 43 (1989): 14-29. Also see A. Sen, "Missing Women," *British Medical Journal* 304 (1992): 587-8.

- The total fertility rate (TFR) is simply the number of children ever born to a woman. In aggregated national data, the TFR of a country is the average number of children born per adult woman in the country. The infant mortality rate (IMR) is the number of children - per thousand born alive - that die before reaching the age of one.
- For example, Lawrence Summers, Chief Economist at the World Bank, states "educating girls quite possibly yields a higher rate of return than any other investment available in the developing world" (see "The Most Influential Investment," *Scientific American* [August 1992] 108). Similar statements appear in many World Bank documents.

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

The sources of Kundmala, a Sanskrit Drama

Dr. Umakant Mishra*

The plot of the Kundamala is borrowed from Uttarakanda of Valmiki's Ramayana. The Uttararamacarita of Bhavabhuti, too, deals with the same part of Rama legend. It has been suggested by Dr. Belvalkar that the source of Bhavabhuti's drama is probably the version of Rama's story contained in the Padma Purana and not Ramayana of Valmiki. This may or may not be true but it appears fairly certain that **Dinnaga** is indebted only to Valmiki for his plot. The Puranas, it is believed, were finally edited in the Gupta period. Dinnaga, too, belongs to the same age. When he wrote Kundamala, the Padma Purana may not yet have been compiled in its final form and if compiled at all, it must have been so recent a work that its version could not have attained wide circulation and sanctity. A very brief version of the story of Rama is also to be found in the Ramopakhyanam of Mahabharata but it does not contain any reference to the events round which the plot of Kundamala is woven.

Kundamala and the Ramayana: – the main part of the plot of the Kundamala, as we have said above, is borrowed from Valmiki. But the poet has deviated from the Ramayana in numerous places in order to heighten the dramatic effect. Some important deviations are noted below:-

(1)In the Ramayana Rama directs Laksmana to take Sita beyond the Ganges, near the hermitage of the sage Valmiki on the bank of the river Tamasa and leave her there in the forest, it being intended that the hermitage of the sage would afford her a place of refuge.

गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः।
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः।।
तत्रैतां विजने देशे विसश्ज्य रघुनन्दन।
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरूष्व वचनं मम।।

-Val.Ram.U.Kanda.S.45,17-18

While leaving Sita in the forest, Laksmana tells her–

आश्रमान्तेषु च मया त्यक्व्या त्वं भविष्यसि।

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)–ठा. र.म.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

And again –

राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगावः।
सखा परमैको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः।।
पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः।
उपवासपरैकाग्रा वस त्वं जनकात्मजे।।

While on the other hand, Valmiki seems to have been expecting the arrival of Sita.

आयान्ती चासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिना।

U.K.S. 49, 8.

In Kundamala, Laksmana does not cross the river Ganges. He leaves her on this side of the river and the Asrama of Valmiki too is situated on the same bank.

The events narrated in Act II-IV do not find any place in the Ramayana and it is just here that the poet by his imaginative genius has created exquisite and delicate scenes of highest dramatic interest, many of which were borrowed later on by Bhavabhuti.

Finally the end in the Ramayana is tragic while in the Kundamala, Dinnaga follows the convention of Sanskrit drama which never ends as a tragedy. Sita is accepted back by Rama and the lovers are united after a separation of nearly ten years. Kusa and Lava are respectively anointed as Maharaja and Yuvaraja. All ends happily as Rama tells us in reply to a question of valmiki –

त्वद्दर्शनेन विधिना परिशुद्धवर्षत्ति.
र्जाता महाध्वरसखी मम सैव पत्नी।
न्यस्तं च सूनुयुगलं भुवनाधिकारे
किं स्यादतः प्रियतमं गुरूणभिधेयम्।।

-Kund, VI. 44.

The play begins with the exile of Sita and covers a period of about ten years, it being definitely stated by the Vidusaka in Act V that it was the tenth year since Sita had been abandoned. The first Act begins with Laksmana leading Sita into exile, and does not seem to cover the action of more than a single day. It ends late in the evening when Laksmana retires from the forest. The second Act is separated from the first by an interval of practically the whole of the period of Sita's exile. The preparations for the sacrifice have almost been completed and Rama's envoy has reached the hermitage of Valmiki inviting the sage to the sacrifice. The third Act begins in the forenoon following the preceding Act and ends just after the afternoon the same day. There seems to be an interval of five days between the third Act and the fourth. It is the seventh day since the arrival of Sita with Kusa and Lava at the Naimisa forest and consequently the sixth since the arrival of Rama who reached a day later. The fourth Act thus begins

five days after the third Act in the morning and the action spreads over the whole day, the Act concluding with a description of the setting sun. The fifth Act begins the following day in the morning just after the conclusion of the morning bath and prayers. Both the fifth and the sixth Acts do not cover more than a few hours, it being the express injunction of the sage that the recital of the Ramayana should conclude before the time of the mid-day bath.

Kundamala and Uttararamacharita – Both the plays are based upon the incidents to be found in the last Kanda of the Ramayana, necessary changes being freely made to improve the dramatic effect. In strict comformity to the canons of Sanskrit dramaturgy, which prohibit a tragic end, both the plays end with the happy re-union of Rama and Sita after years of sorrowful separation in contravention of the original story. Rama's meeting with the invisible presence of Sita has been very happily conceived by Dinnaga in order to create an opportunity for Sita to witness the pathetic distress of Rama in the absence of his beloved and his deep-rooted bond of affection for her. In this particular respect, Bhavabhuti is solely indebted to his predecessor, the author of the Kundamala, for the suggestion of Rama's meeting with Vasanti and the invisible presence of Sita in the Dandaka forest. Bhavabhuti convinces the audience of the chastity of Sita by means of an embryo drama spun into the original which in itself is less convincing than the emphatic proclamation of the goddess Earth in the Kundamala, borrowed from the original tale.

As a poem, the Uttararamacarita is decidedly superior to the Kundamala. There is vigour in Bhavabhuti's expression, passion in his poetry, genuineness in his emotion, richness in his thought and imagination – qualities which at best can only be found in their partial intensity in the Kundamala. But as a drama, the Kundamala, has undeniably certain merits which are conspicuous only by their absence in the Uttararamacarita. The simplicity of the prose and verso alike is responsible for the rapidity of thought and action in the Kundamala, while the Uttararamacarita compares very unfavourably with it on account of the author's fondness for long descriptions and alliterative compounds which are obviously undramatic. As compared with Bhavabhuti, Dinnaga shows little or no fondness for display; his descriptions are generally not labored. Bhavabhuti boldly omits the part of the Vidusaka, being conscious perhaps of his inability to handle it effectively. Whatever may be the true explanation for this omission, the fact canot be denied that the absence of the jester, who is a regular figure in most Sanskrit dramas, makes his composition seriously suffer from the spectator's point of view. It may, however, be pointed out that even in the Kundamala, the character of the Vidusaka is not well-developed. He is more a helpful companion of the king than a character which entertains the audience.

The most far-reaching difference in the two plays is in the point of view with which the two great dramatists approach their theme. To Bhavabhuti Rama is the embodiment of all that is great and noble in humanity and Sita, a goddess of perfect type. Throughout his play, he tries to justify the conduct of Rama in exiling the virtuous Sita. The preceptor and the mothers who might have stayed his hand and counselled moderation are sent away at a distant sacrifice when she is exiled. But Dinnaga does not take any particular pains to jutify Rama. He is more human than Bhavabhuti. His Sita is of the noblest type and yet perfectly human in her feeling. Bhavabhuti's Sita does not even grumble but Sita in the Kundamala is an altogether different creature –

किन्न खलु तस्यैव निरनुकोशस्य समान एष प्रसवः प्रेक्षितव्य इति वचनीयकठटकोपहितं जीवितं परिरक्षामि।

'yet should I not preserve my life, covered with the thorns of disrepute, so that I may look after this offspring, ruthless as himself.'(P. 14.)

सीताया अपि नाम एवं सम्भाव्यते इति सर्वथाऽलं महिलात्वेन। (P. 14.)

If even Sita's name is to be thought of in such a manner of what avail is womanhood. (P. 14.)

Could Bhavabhuti ever think of putting such words in the mouth of Sita? The culmination of her righteous indignation is reached when in the last Act, she takes Kusa and Lava aside, who were greatly agitated by the revelations about their parentage, and asks them –

क एषः, यो युवाभ्यामेवं प्रेक्षितः। (P. 137.)

"Who is he to you that you look at him in this manner?"

Sita of Dinnaga is not a mere "Dharana". She is the highest type of womanhood, and yet not too good to be called human.

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

"Kundmala" A combination of charming simplicity and striking realism in style

Dr. Umakant Mishra*

The difflculties in accepting Mallinatha's reference to Dinnaga pointed out by Prof. Keith (Keith : Sanskrit Drama p. 145) have automatically disappeared with the discovery of Kundamala. Whether the author of our drama is identified with Dinnaga, the celebrated Buddhist logician, or not, it seems probable that he roused the jealousy of that "Prince among poets" and this in itself is an ample vindication of his greatness. It may be that Kalidasa by pitting himself against the author of the Kundamala was greatly underestimating the potentialities of his own genius. Yet it cannot be denied that Dinnaga must have been a very conspicuous light of his age –one who alone, if indeed anyone, could be thought of by Kalidasa as a rival and could have the bold- ness to accuse even Kalidasa of plagiarism. His style may be summed up as a happy combination of the charming simplicity of Kalidasa and the striking realism of Bhavabhuti. He lacks, however, fine polish and finish of the former. Of Kalidsasa's luxuriant imagination and richness of thought he has but little. Nor is he a poet of the ideal as Kalidasa certainly is. His characters are more human and realistic than Kalidasa's. Both Rama and Sita are creatures of more vital life and experience that Dusyanta and his love. Even Sita of Bhavabhuti which shows a great advance towards realism as compared with Shakuntala of Kalidasa would not approach our mortal women so closely as Sita in the Kundamala. Of course, the limited range from which the characters have been drawn does not go a long way to make the comparison very apt.

Dinnaga is admirably simple and, therefore, easily intelligible. In lucidity he generally surpasses even Bhasa. His prose which is generally free from cumbersome and long compounds moves easily and freely and contributes greatly to the directness and rapidity of his action. He is singularly free from the artifices which are the bane of the later Kavya style. Though he shows, ever and anon, a fondness for the accumulation of similar sounds –

(e.g. पदे पदे मे पदमादधाना शनैः शनैरेतु मुहूर्त्तमार्या। कलहंसाः कलगिरः निर्लक्षणो लक्ष्मरठाः। आर्यस्य रमें भवनेऽपि वास – स्तव प्रवासे वनवास एं। सजलजलद, etc.)

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)–ठा. र.म.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

he happily has the good sense not to sacrifice perspicuity for the sake of the achievement of what after all is mere sound effect. He is simple without being ineffective, a particularly happy instance in this connection being the forceful protest of Rama against Kanva's use of the royal title while addressing him in Act IV, verse 2.

अहं रामस्तवाभूवं त्वं मे कण्वश्च शैशवे।
यूयमार्या वयञ्चाद्य राजानो वयसा कष्टाः।।

'In childhood I was 'Rama' unto you , and you were Kanva unto me; but while the age has made a venerable sage of you, of me (it has made) only a king;

In the use of upami he is certainly no match for Kalidasa. Nevertheless, some of his comparisons may be read with interest. For example –

त्वमतिप्रबलेन हृदयसन्तापेन वडवानलेनेव भगवान् महा– समुद्र आत्मनो महत्वे न परिहीयसे, अहं पुनः स्वभावलघुतया देव्याः सीताया गति स्मष्त्वा दावानलेनेव तुषारबिन्दुर्निरवशेषं परिशुष्यामि। (P.101)

'like the revered ocean with the submarine fire, you with the exceedingly severe affliction of your heart, are not diminished in greatness, but I , being constitutionally light-hearted, am being dried up altogether by the recollection of Queen Sita's plight like a dew-drop dried up by the forest conflagration.'

प्रविश्य तरूमूलानि नीत्वा मध्यन्दिनातपम्।
अध्वनीना इव छाया निर्गच्छन्ति शनैः शनैः।।

(Kund III. 18)

'After having whiled away the mid-day heat by resorting to the roots of the trees, the shade like the travellers, recedes slowly and slowly.'

Such are the happy comparisons which the poet has skilfully woven into his composition. Though we cannot use for Dinnaga the words **करूणस्यमूर्त्तिरथ वा शरीरिणी** applied so aptly to the genius of Bhavabhuti, we find genuine pathos throughout the play. The scene of Laksmana leaving Sita in the desolate forest is exceedingly pathetic.

एते रूदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य
हंसाश्च शोकविधुराः करूणं रूदन्ति।
नष्त्तं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं
तिर्यग्गता वरममी न परं मनुष्याः।।

(Kund I. 18)

'Gazing at the Queen the deer are shedding tears giving up grazing; the swans overwhelmed with grief are crying piteously and the peacocks also have given up (their) dance: better are these lower animals than men.

The verse reminds us of the speech of Priyamvada in Sakuntala :-

उग्गलिअ दब्भकवला मिआ परिच्चत्तरणच मोरा।
ओसरिअपराडुपत्ता मुअन्ति अस्सू विअ लताओ।।
उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः।
श्रपसृतपाराडुपत्राः मुञ्चन्त्यश्रुरणीव लताः।।

Rama's grief for Sita during the latter's invisible presence and his vain attempts to trace his beloved and to catch hold of her reflection in the lake excites pity in every human heart, not less pathetic is Rama's description of the futility of his own attempt.

तृषितेन मया मोहात् प्रसन्नसलिलाशया।
अञ्जलिर्विहितः पातुं कान्तारमृगतृष्णिकाम्।।

(Kund IV. 22)

'Hoping to obtain transparent water, I, being thirsty, have, through delusion, folded my hands (into a cup) to drink (only) of a mirage in the wilderness.'

A feeling of his extreme penitence for the great wrong done to Sita finds strong expression in-

नीतस्तावन्मकरवसतौ वन्ध्यतां शैलसेतुः
देवो वह्नि च विगरिणतः शुद्विसाक्ष्ये नियुक्तः।
इक्ष्वाकूरणां भुवनमहिता सन्ततिर्नेक्षिता मे
किं किं मोहादहमकरवं मैथिलीं तां निरस्य।।

(Kund III. 3)

Verily, the stony bridge over the ocean was rendered futile; the fire-god as well, appointed as witness of her purity was disregarded; the world-renowned off-spring of the Iksvakus was ignored: what indeed, have I done in abandoning, through madness, the Princess of Mithila.

His sense of the sickly sensibility of the uninterrupted miseries of Sita is effectively brought out in a simple verse-

पूर्वं वनप्रवासः पृचाल्लङ्.का ततः प्रवासोयम्
आसाद्य मामधन्यं दुःखाद् दुःखं गता सीता।

(Kund III. 13)

'Firstly exile into the forest, then Lanka and after that this banishment; having come to me, the unfortunate one, Sita has suffered misery after misery.'

The delineation of the feelings of a long absentee from home in Act VI has an exquisitely human touch about it.

यां यामवस्थामवगाहमानमुत्प्रेक्षते स्वं तनयं प्रवासी।
विलोक्य तां ताञ्च गतं कुमारं जातानुकम्पो द्रवतामुपैति।।

(Kund IV. 13)

'Whatever age, a sojourner abroad imagines his son to have reached, seeing that age attained by (other's) boys, his heart bursting with feeling, melts.'

Sweet and charming is the description of the spontaneous regard which springs up for the King in the heart of the princes Kusa and Lava. Rama's explanation of the onrush of tears in his eyes at the first sight of the ascetic lads whose identity is not yet revealed is very happily couched –

आपातमात्रेण कयापि युक्त्या
सम्वन्धिनः सन्नमयन्ति चेतः।
विमृश्य किं दोषगुणानभिज्ञ
श्चन्द्रोदये श्च्योतति चन्द्रकान्तः।।

(Kund V. 10)

'Those who are related enslave the mind, in some strange manner at mere sight. Say if the moonstone, unconscious of merits or demerits (being inanimate) melts at the rise of the moon after due deliberation.'

Apart from the description of the gentler aspects of nature for which ample scope is offered by the scenes in the Naimisa forest, the author has attempted to give us in Act VI a glimpse of the wilder workings of nature – 'nature red in tooth and claw 'and his description of entry of the Earth does not fail to excite awe.

नदः पातालमूलात्प्रभवति तुमुलं पूरयन् व्योमरन्ध्रं
पातक्लिष्टा इवैते दिशि दिशि गिरयो मन्दमन्दाश्चरन्ति।
बुद्धानन्दाः समन्ताल्लवणजलधयो मथ्यमाना इवासन्
सीमामुल्लंध्य वेगादुदनिधिसलिलैः स्वानि वेलावनानि।।

(Kund VI.24)

'A loud noise filling up tumultuously the vacuum of the sky proceeds from the nether regions. These hills, as if discomfited by their falls move about lingeringly in the quarters. The overjoyed saline oceans have with fury outstepped their limits, the forests on their shores with ocean waters and seem to have been churned (into foam).

The Kundamala is a notable addition to Sanskrit drama. Its publication has certainly Sanskrit dramatic literature. Dinnage, its author, is a master of dialogue. He is successful in not only delineating remarkable portraits but the special gift of painting the characteristic traits in a character by a few simple but effective strokes of pen. This can be illustrated from Sita's character.

वेदवती–अयि अपणिडते। तथा निरपेज्ञस्य निरनुकोशस्य कृते कीद्दक् त्वमसितपज्ञचन्द्रलेखेव दिने दिने परिहीयसे।

सीता– कथं स निरनुकोशः?

वे – येन परित्यक्कासि।

सी – किमहं परित्यक्का?

वे – एवं लोको भाणति सत्यं पुनर्हृदये।

सी – अथ शरीरेण न पुनहृदयेन।

वे – कथं परकीयं हृदयं जानासि?

सी – कथं तस्य हृदयं सीतायाः परकीयं भविष्यति?

'Sita's character is thus enhanced and made impressive in a manner which no other Indian dramatist has succeeded in portraying.

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

Happy Re-union of the Ideal Lovers

Dr. Umakant Mishra*

'Kundmala' has found an honoured place amongst the great dramas of Sanskrit language. The charming simplicity of its language, the natural elegance of its style, the human touch that permeates throughout its plot are qualities rarely to be met within works of this class.

In the beginning in Act-I through words of Sutradhar it is discovered that Sita in advanced pregnancy is being led into exile by Laxman.

As the forests on the Ganges are difficult to traverse on a chariot, Laksmana advises Sita to alight and walk on foot. Consequently, both get down and walk gently towards the stream from which the balmy breezes blow to greet the distinguished visitors. Sita feeling exhausted, seats herself under the shade of a tree. Laksmana takes this opportunity to break to her the decision of Rama to abandon her. Under the severity of the shock, Sita sinks rapidly into a swoon from which she is revived by the Gangetic breeze. Then ensues a very pathetic conversation in the course of which Laksmana brings home to Sita that her exile meant no reflection upon her character or any consequent loss of affection for her on the part of Rama, who had taken this step solely in the interest of the royal house whose good name was threatened by the scandal current among the people due to her residence in Ravana's palace for a long time. Laksmana on his part, implores Sita not to be driven by the intensity of her grief to put an end to her life as that would mean the extinction of the great Raghu family. Sita sends message to Rama that he should not worry himself into bad health constantly thinking of her fate and that he should assiduously apply himself to the performance of his duties to his subjects.[1] Laksmana then retires after having repeatedly entreated the presiding deities of the forest, the sages, the mountains and the Ganges to protect the Queen. The sage Valmiki, who had heard of the bewailing lady from his disciples, comes to the scene and after having convinced himself of the innocence of Sita through his contemplative vision, assures her of his protection and escorts her to his hermitage.[2]

By means of an interlude, the poet informs the audience of the events that have happened after the close of the first Act. The twin sons of Sita, named by Valmiki as Kusa and Lava, have stepped beyond infancy. They are studying the Ramayana composed by the sage. At the same time, the preparations have been

---

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)–ठा. र.म.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

made in the Naimisa forest for the imperial Horse-Sacrifice by Rama and invitations have been issued to renowned sages including Valmiki. Here ends the interlude. Then Sita is shown, overwhelmed with anxiety, brooding pensively over her separation from Rama and bewailing her lot.[3] Her beloved companion, Vedavati, tries in vain to palliate her grief by dilating upon the heartlessness of Rama in abandoning her. Sita, in spite of apparent injustice done to her, fails to find fault with her Lord. On the other hand, she eulogises his fidelity by alluding to the perils he underwent in his efforts to rescue her from Ravana. Vedavati suggests that Rama might accept the hand of another lady, in Sita's absence, to be his companion at the sacrifice. She pathetically replies that she could prevail upon her Lord's heart but not upon his hand. Vedavati consoles her by assuring her that the days of her exile are numbered.[4] Immediately after this a sage from behind the curtain announces the arrival of Rama's envoy at the hermitage of Valmiki inviting the sage to the Horse-Sacrifice. Simultaneously with the proclamation, Kasyapa commences his journey and Sita also hurries to the hermitage to perform the valedictory ceremonies cf Kusa and Lava before their departure for the sacrifice.

Rama and Laksmana are shown gently strolling on their way to the hermitage. Rama is piteously bewailing the loss of Sita when Laksmana takes the opportunity to divert him by referring to the Gomati flowing close by.

Both reach the stream, descend to the bank and discover in the water a garland of Kunda flowers, which Rama, on the basis of the familiarity of arrangement, concludes to have been strung by Sita.[5] Both march against the current along the bank intent upon tracing the source of the garland. The sight of smoke in the far off distance and the sound of the chanting by the sages assures Rama of the vicinity of the hermitage of the sage. Laksmana observes foot-prints marked on the sand and from their lovely and sluggish formation recognizes them as those of a woman. Rama definitely pronounces them to be Sita's. Both follow closely the line of foot-marks which going up an elevated land disappear suddenly. They resolve to allay their fatigue by sitting under the exceedingly delightful shade of the clump of creepers close by. Sita is shown plucking flowers concealed behind the thicket whence she overhears the conversation between them.[6] The spectacle of Rama piteously bemoaning her loss is too much for Sita and it is really with great difficulty that she can resist the temptation to disclose her presence. The sage Badarayana who has been sent by Valmiki to receive Rama, then enters upon the stage apparently in search of Rama, whom he finds seated in the company of Laksmana in the creeperbower. Rama discovers to his comfort that noon has elapsed.

Act IV begins with a dialogue between two female ascetics, Yajnavedi and Vedavati. The latter begins by disclosing the intention of Tilottama, a celestial

courtezan to imitate the deeds of Sita in the presence of Rama in order to sound his affections for Sita. At the instance of Vidusaka, Vedavati decides to prevent the divine harlot from her performance. The dialogue further reveals that Sita is temporarily residing on the shore of the lake and that she, like all womenfolk of the hermitage, is invisible to the eyes of men through the supernatural powers of Valmiki. Here ends the Interlude. Sita is shown wearing a pair of mantles which had been presented to her as a keepsake by the presiding sylvan deity of the Citrakuta mountain during her previous exile. The very thought of exile brings to her mind a train of bitter memories and she bursts into tears. Her companion Yajnavedi advises her to cheer up with the sight of a couple of swans sporting in the lake. Then enters Rama with Kanva who had been specially deputed by the sage to divert him with the sights of the forest. The ascetic describes the grandeur of the Naimisa forest in which the sun 'does not cause the withering of the plants or the drying up of the pools'[7] and which is perpetually resonant with the samans chanted by the sages.

Rama also joins in the general eulogy of the site. Suddenly he finds his eyes smarting with smoke and he descends to the shore of the lade to refresh them by washing. He perceives in water the reflection of Sita who, as described above, was seated there closely watching the swans. In vain does he madly attempt to trace her. He faints and Sita rushes to revive him with the breeze from her skirts. Rama recovers and pulls at the garment of Sita. The garment drops. He casts away his own mantle and wears instead the mantle of Sita. His own garment is taken by Sita in turn. He indulges in piteous bewailings and implores her to show herself to him. Just then the Vidusaka enters and informs Rama of the intention of Tilottama to act the part of Sita. He is convinced that he had been befooled by the celestial courtezan and thinks even that upper garment to have been artificially prepared by her which he had formerly recognized to be Sita's. just then the advent of evening is announced from behind the curtain and the Act closed with the description of the sunset.

Act V opens with an announcement from the Vidusaka of the congregation time of the ascetics. He is shown escorting Rama into the audience-hall. Rama is still pondering over his strange experience of yesterday and feels that his mind which had utterly lost all sense of pleasure or pain has been, as it were, regenerated by the sight of Sita's reflection and the like. The Vidusaka criticizes Rama for his indifference towards Sita, a charge to which Rama readily pleads not guilty. As the time of ascetic's meeting is drawing near, Rama asks his friend to see that the gate-keepers are duly posted on their duties. The Vidusaka reports on his return the presence at the gate of two handsome ascetic lads, bearing striking resemblance with Rama and Laksmana in their boyhood, arrived to recite in Rama's presence the Ramayana composed by Valmiki. Rama's curiosity is roused and he asks his

friend to usher them in without delay.[8] As the lads approach the King, they being overwhelmed with instinctive reverence, find it difficult to resist the temptation to salute. Rama who is not aware of their identity and believes them to be Brahmanas is strongly perturbed at this salutation which should have been addressed to their preceptors. He presses them closely to his breast and seems to feel the ecstasy resulting from a son's embrace. He justifies his attention to the lads by asserting that children deserve to be fondled by even those who are advanced in merit. The sight of the boys fills Rama's heart with pathetic longings and it is not without grave anxiety and deep anguish of mind that he muses over the fate of his beloved and his offspring in case of her survival.[9] Suddenly the Vidusaka cries in frenzied tones to the King to make the boys quit his lap for "whosoever not belonging to the Raghu family ascends the throne has his skull rent asunder." Rama is surprised to find the boys uninjured but he satisfies himself with the belief that the ascetics' persons are invulnerable even to Indra's thunderbolt because of having received the benediction which averts all evil. His conversation with the boys reveals that they are twins descended from the solar race and have arrived there under instruction of the sage Valmiki. Their father's name is the Ruthless One and their mother is called Daughter-in-law by Valmiki and Queen by other residents of the hermitage. This astonishing similarity bewilders Rama and he feels exceedingly restless. A voice from behind the curtain asks the boys to proceed with their recitation and Rama also sends word to his friends and relations summoning them to his presence.

As Rama enters the audience-hall and occupies the royal seat, he is greeted by the courtiers, the members of the royal family and the elite of his subjects assembled there. At his instance the ascetic lads commence the recitation. He is surprised to find that it is his own family which constitutes the theme of the poem. At Rama's bidding, they recite the poem from the abduction of Sita onwards. The recitation rouses genuine pathos and both Rama and Laksmana are overwhelmed with a sickly sensibility of the miseries of Sita. They describe how Sita is exiled by Rama and left all alone, crying and bewailing in a desolate forest full of beasts here they stop. The sage Kanva is hastily summoned. He describes how Sita after she had been abandoned in the desolate wilderness gave birth to two twins in the hermitage of Valmiki – the twins Kusa and Lava, who had just concluded their recitation before his Majesty. The disclosure of the identity of the ascetic lads casts an agreeable surprise upon all present and so great is the intensity of emotion in the case of Rama, Laksmana, Kusa and Lava that all the four rapidly sink into a swoon from which they do not recover till the arrival of Sita and Valmiki. When all is quiet, the sage takes the opportunity to condemn Rams's action in having abandoned the guileless Sita whose purity of character had already been established by the fire-god. Valmiki asks Sita to proclaim her

chastity again. She appeals to mother Earth to vindicate her honour and lo! the Earth 'pulled from the great depths by the virtuousness of the daughter of Janaka' emerges from the nether regions and in a forceful and unequivoeal speech followed by floral showers from the sky, she proclaims to the world the purity of Sitas character. The entire assembly is convinced that the scandals that lay at the bottom of all the misfortunes of the innocent Queen were without foundation. Rama now accepts Sita once more and Earth disappears having glorified the union of the two ideal lovers by pronouncing a benediction. Kusa and Lava are anointed as heir-apparents by Valmiki. The Act ends with the Bharata-vakya as usual with the Sanskrit drama.

सन्दर्भ :

1. मम वचनात्तं विज्ञापय मन्दभागिनीम् अनुशोचन् वर्णाश्रमपरिपालनमभिघ्नन्नात्मानं न बाधय। सद्धमे स्वशरीरे सावधानो भवेति। (कुन्द.1/14 के आगे)
2. कुन्दमाला-प्रथम अंक श्लोक 30,31,32
3. कुन्दमाला-द्वितीय अंक पृष्ठ संख्या 38,39
4. कुन्दमाला-द्वितीय अंक पृष्ठ 40 'वे.—ननु समासन्नमेव युष्माकं राजदर्शनम्'।
5. राम—(निर्वर्ण्य रोमाञ्चमभिनीय) वत्स, दृष्टपूर्वम् इदं कुसुमरचनाविन्यासकौशलम्।
   ल—क्वदृष्टम्?
   राम—कृ वान्यत्रेदृशस्यावस्थानम्?
   ल—किं देव्याम्?
   राम—अथ किम्? —कुन्दमाला, तृतीय अंक पृष्ठ 48
6. ल.—आर्य! अलं शोकेन।
   रा—कथं न शोचामि मन्दभाग्यः? पश्य पश्य-पूर्वं वनप्रवासः पश्चाल्लङ्का ततः प्रवासोऽयम्। आसाद्यमामधन्यं दुःखाद् दुःखं गता सीता।। —कुन्दमाला, तृतीय अंक, श्लोक 13
7. न म्लानिं तरुपल्लवेषु सरसां तोयेषु नैव क्षयं सन्तापं न जनस्य किन्तु जनयत्यालोकमात्रं दृशम्।। —कुन्दमाला, चतुर्थ अंक, श्लोकार्द्ध 7
8. राम—किमस्मच्छैशवानुकारिणी तयोराकृति।
   वि—अर्थ किम्।
   राम—वर्धते में कुतूहलम्, तत्प्रवेशयाविलम्बितम्। —कुन्दमाला, पंचम अंक, पृष्ठ संख्या 187

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

मुगलों की आर्थिक नीति : एक समीक्षा

डॉ. संजय शंकर मिश्रा*
राजभान चर्मकार**

आर्थिक विकास समाज का अभिन्न अंग होता है। कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जीवन का आधार स्तम्भ माना जाता है। किसी भी युग में किया गया आर्थिक क्षेत्रों का विकास उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी भलीभांति उपलब्ध कराता है। मुगलकाल का आर्थिक क्षेत्र भी किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं था। उस समय अनेक प्रकार के कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास तेजी से हो रहा था जो कि मुगल शासकों के अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कला आदि के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुआ। इस काल के आर्थिक क्षेत्रों में किये गये विकास का समीक्षात्मक रूप में शोध पत्र में विवेचन किया गया है।

भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ई0 में बाबर ने किया था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक विभिन्न मुगल शासकों ने आर्थिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। इस समय आर्थिक क्षेत्रों में मुगल शासकों द्वारा विशेष सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया गया था, कृषि के लिए सिंचाई का साधन, व्यापार के लिए यातायात की व्यवस्था की गई थी। विदेशों से भी आयात और निर्यात में सहयोग मुगल शासकों द्वारा प्रदान किया जाता था। इस काल के आर्थिक क्षेत्रों में किया गया विकास समाज के लिए आज भी मार्गदर्शक एवं महत्वपूर्ण है।

मुगलकाल में कृषि का विकास

भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुगलकाल में विभिन्न प्रकार की फसलें उगायी जाती थीं, गेहूँ, जौ, धान, ईख, तिलहन, दलहन, अफीम, पान, सिघाड़ा आदि बहुत सी फसलें पैदा की जाती थी। मुगलकाल में तम्बाकू की भी खेती होने लगी थी। इसके अलावा रेशम और रूई की खेती भी बड़े पैमाने में की जाती थी। चावल असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी तट, तमिल देश और कश्मीर में पैदा किया जाता था। आइने –ए–अकबरी में रबी की पैदावर की सोलह फसलों तथा खरीफ की पच्चीस फसलों की भू–राजस्व दारों का उल्लेख है।

मुगलकाल में राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत भू–राजस्व था, भू–राजस्व का विकास अकबर ने किया था और शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** एम.ए., एम.फिल. (इतिहास), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

थी उसने 98 मील लम्बी रावी नहर लाहौर तक बनवायी जिसे 'नहर–ए–फैज' कहा जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल शासक कृषि की उन्नति तथा किसानों की समस्याओं का निवारण समय–समय पर करते थे, जिससे राजकोष में वृद्धि होती थी। अतः 1704 ई0 में अकाल एवं युद्ध से उत्पन्न संकट के कारण पूरे दशक में जजिया माफ कर दिया गया था तथा मुगल शासकों ने दुर्भिक्ष तथा अन्य संकट के समय में जनता की पूरी सहायता समय–समय में करते थे।

मुगलकाल में उद्योगों का विकास

भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग था। मुगलकाल में सूती, रेशमी व ऊनी सभी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। मुगलकाल में सूती वस्त्रों के प्रमुख केन्द्र बंगाल के सोनार गांव, उत्तर प्रदेश में मऊ, काशी और आगरा, सिन्ध पंजाब में लाहौर, सक्खर, ठट्टा, गुजरात में अहमदाबाद, पटना, बड़ौदा, भडौच और सूरत आदि बहुत से सूती व्यवसाय के केन्द्र थे।

अकबर ने कश्मीर के रेशम से इतना प्रभावित था कि उसने वहां के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया था। अबुल फजल के अनुसार, ''अकबर ने लाहौर में 1000 कारखाने स्थापित किये थे।'' जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्रों का उपयोग आरम्भ किया था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल सम्राट अपनी आवश्यकता के कपड़े प्रायः अपने कारखाने में तैयार करवाते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट ने विदेशी कारीगरों की सहायता से सरकारी कारखानों में बड़ी उच्चकोटि के वस्त्र बनवाते थे जो कि विदेशों से आने वाले वस्त्रों का मुकाबला करते थे।

बंगाल गुजरात और पंजाब में गुड़ को साफ करके चीनी और मिश्री बनाई जाती थी। मिश्री का प्रयोग धनी ही कर सकते थे क्योंकि अकबर के शासनकाल में मिश्री रूपये की पांच सेर मिलती थी। मुगल शासकों ने अपने सैनिकों के साज–सज्जा की आपूर्ति के लिए लौह उद्योग को प्रोत्साहित किया था। मुगलकाल में कागज उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ था तथा लाहौर एवं आगरा के शाही कारखानों में भी कागज का उत्पादन किया जाता था।

मुगलकाल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास

मुगलकाल में आन्तरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार विकसित थे। मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया था, जिससे व्यापारियों को आने–जाने में सुविधा होती थी। व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों द्वारा होता था। मुगलों द्वारा व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करने से भारत का विदेशी व्यापार बहुत तेजी में बढ़ा था। मुगल बादशाह व्यापारिक कर भी बहुत कम लेते थे जिससे आयात–निर्यात की वस्तुओं पर 3.5 प्रतिशत से अधिक का कर नहीं लिया जाता था।

आन्तरिक व्यापार– प्रत्येक मुगल शासकों के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। शेरशाह सूरी ने अनेक राजमार्गों का निर्माण करवाया तथा यात्रियों को ठहरने के लिए

जगह–जगह सराएँ बनाए गये थे। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए चौकियां स्थापित की गई थी तथा इन चौकियों मे सेना की तैनाती की गई थी। अब व्यापारी वर्ग स्वतंत्रता पूर्वक अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगे थे। व्यापारिकयों को केवल एक स्थान पर ही चुंगी, राहदारी, तमगा व मीरबहरी आदि कर देने पड़ते थे। अकबर ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये राहदारी एवं अन्य करों को समाप्त कर दिया था। जहाँगीर ने तमगा व मीरबहरी नामक कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बड़े व्यापारिक केन्द्रों में विभिन्न वस्तुओं के प्रवेश एवं विक्रय पर लिए जाने वाले करो को समाप्त कर दिया था, जिससे आन्तरिक व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला था।

बाह्य व्यापार– मुगलकाल में विदेशी व्यापार को भी काफी प्रोत्साहन मिला था। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर बसने तथा उन्हें मुगलों द्वारा व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने से भारत के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस समय भारत का बाह्य व्यापार फ्रांस, हालैंड, पुर्तगाल, इंग्लैण्ड, अरब, मिश्र, मध्य एशिया, फारस, श्रीलंका, वर्मा, चीन, दक्षिण–पूर्व–एशिया द्वीप समूह आदि देशों से था। बाह्य व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों द्वारा होता था।

अकबर के शासनकाल में अंग्रेज और डच व्यापारियों ने भी इस देश से बड़े पैमाने पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। जहाँ–जहाँ व्यापारिक कारखाने थे, वे धीरे–धीरे व्यापार के केन्द्र बन गए थे। विदेशी व्यापारियों ने भी धीरे–धीरे भारत के कपड़े, शौर, नील, कच्ची सिल्क और अन्य वस्तुओं के लिए मण्डियाँ स्थापित की। यूरोप को भी समान खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में हालैंड के लोगों तथा अंग्रेजों ने भारत और पश्चिम के बीच सीधा व्यापार स्थापित किया था और सूरत यूरोप वासियों के लिए आयात और निर्यात का केन्द्र बन गया था।

मुगलकाल में सिक्कों का विकास– मुद्रा पद्धति में शेरशाह सूरी ने बहुत से सुधार किए, उसने पुराने सिक्के हटा दिए और एक नया तांबे का सिक्का दाम प्रचलित किया। एक चांदी के रूपये का भारत 11.5 माशे था। यह रूपया शेरशाह ने चलाया था। अकबर और जहाँगीर बड़े सुन्दर सिक्के ढलवाते थे। अकबर के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के थे। अकबर के एक चांदी के सिक्के के एक भाग में धर्नुधारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएँ अंकित हैं और ऊपर देवनागरी में 'रामसिय' शब्द लिखा है। जहाँगीर के सिक्कों में कलमा का प्रयोग और खलीफा का नाम भी अंकित था। मुगल शासकों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें खोली थी, जैसे– दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि बहुत से जगह उनके देखभाल के लिए दरोगा नियुक्त रहते थे।

मुगलकाल में नाप व तौल के पैमाने– अकबर के मुगल सम्राट बनने से पूर्व तौल का सबसे बड़ा पैमाना मन होता था, जो 40 सेर का हुआ करता था। अकबर ने सेर का वजन 30 दाम व मन का भार 55.32 पौंड के लगभग कर दिया था, जो पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित था। जहाँगीर और शाहजहाँ के काल में भी पौंड का वजन अलग–अलग था।

बैंकिंग व्यवस्था– मुगलकाल में बैंकिंग व्यवस्था विकसित नहीं थी, किन्तु कर्ज की लेन–देन आधुनिक बैंक ड्राफ्ट या चेक की भांति धन जमा करने या अपने धन लेने की सुविधा मुगलकाल में विभिन्न रूपों में प्रचलित थी। सर्राफा महाजन व बनियों के द्वारा ऋण देने, ब्याज सूत प्राप्त करने, सिक्के जांचने और बदलने का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाता था। महाजन बैंकरों का कार्य विस्तृत पैमाने मे करते थे।

अकाल– मुगलशासन काल में अनेक बार अकाल पड़ा था। अकाल में सहायता प्रदान करने वाला पहला बादशाह अकबर था। अकबर के राज्यकाल में पहला दुर्भिक्ष 1555–56 ई0 में पड़ा था। इसके बाद 1573–74 ई0 में गुजरात में दुर्भिक्ष आया सबसे विनाशकारी अकाल 1630–32 में शाहजहां के काल में पड़ा था। ऐसे समय में किसानों की सहायता के रूप में खालसा भूमि में भू–राजस्व का 70 लाख रूपये माफ कर दिया गया था। कश्मीर में दुर्भिक्ष के समय शाहजहाँ ने एक लाख रूपये बटवाये तथा मुफ्त भोजन वितरित करने की आज्ञा दी। औरंगजेब ने राहदारी व पानदारी कर हटा दिया था। औरंगजेब का समकालीन ईश्वरदास नागर ने फुतुहाल–ए–आलमगिरि में लिखा है कि 1688–89 में हैदराबाद में सूखे के कारण बादशाह ने एक वर्ष के लिए जजिया तथा अन्य करों की वसूली बंद कर दिया था।

मुगलकाल की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी। अकबर ने कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया तथा अपने सूबेदारों को निर्देश दिये थे कि वे कुएँ, तालाब तथा नहरों आदि का समुचित व्यवस्था करें परन्तु औरंगजेब तथा उसके पश्चात् के मुगल शासकों ने कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। इस काल में कुछ उद्योगों का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था तो कुछ का संचालन धनवान लोग करते थे।

अकबर के काल में 36 कारखाने थे जिनमें विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता था। वस्त्र उद्योग मुगलकाल में सबसे अधिक प्रगति पर था। गांवों में तथा नगरों दोनों में सूती वस्त्र विशाल मात्रा में तैयार किये जाते थे। मुगलकाल में आन्तरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार उस समय काफी विकसित था मुख्य रूप से विदेशी व्यापार बर्मा, चीन, श्रीलंका, जापान, नेपाल, ईरान, मध्य एशिया, अरब तथा अफ्रीका के देशों के साथ होता था। इस समय व्यापार प्रगति पर था।

लेकिन समय के अनुसार किसानों कच्चे मजदूरों, कारीगरों, साधारण घरेलू सेवकों और छोटे–छोटे दुकानदारों की स्थिति अकबर से औरंगजेब के समय तक धीरे–धीरे और गिरती ही गयी और बाद के मुगल सम्राटों के काल में तो बहुत ही खराब हो गयी थी। औरंगजेब के काल में कृषि उद्योग और व्यापार पर उसके लगातार युद्धों और प्रशासकीय निर्बलताओं का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य के अर्थव्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी थी और आर्थिक व्यवस्था लगभग चौपट हो गयी थी और जो कुछ रह गया था उसको अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने और भी खराब कर दिया था। किन्तु यह

कह सकते हैं कि अपने युग की परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक स्थिति मुगलकाल में अच्छी रही थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. महाजन, वी.डी., मध्यकालीन भारत (1000–1761), एस. चन्द, दिल्ली, 2011
2. वर्मा, हरिशचन्द्र, मध्यकालीन भारत, भाग–2, दिल्ली वि.वि., 2011
3. चन्द्र, सतीश, मध्यकालीन भारत, ओरियंटल ब्लैकस्वान, दिल्ली
4. मजूमदार, राय चौधरी, मध्यकालीन भारत–2 मद्रास, 1990
5. राधेशरण, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति (1200–1750 ई0), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2007
6. शर्मा, एल.पी. मध्यकालीन भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2011
7. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, आगरा
8. पाण्डे, एस.के. मध्यकालीन भारत, प्रयाग एकेडमी, इलाहाबाद, 2011
9. सिंह, हरीश, मध्यकालीन भारत, दिल्ली, 2012
10. भार्गव, डॉ. वी.एस., मध्यकालीन भारत, जयपुर, नई दिल्ली

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव

डॉ. पूनम मिश्रा*
करुणा पति त्रिपाठी**

सारांश

प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का आधिपत्य रहा है। यद्यपि यहॉ कई विदेशी आक्रमण हुए किन्तु भारतीय संस्कृति की आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया। हिन्दू धर्म में व्याप्त दोषों ने बौद्ध, जैन, वैष्णव एवं शैव धर्म के उद्‌भव को प्रेरित किया। 7वीं सदी में इस्लाम के उदय और उसके तीव्र प्रसार ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस्लाम ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और कला पक्ष पर अपना प्रभाव स्थापित किया। स्थापत्यकला और चित्रकला में इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भारतीय समाज एवं संस्कृति को इस्लाम ने किस मात्रा और किस दिशा में प्रभावित किया, प्रस्तुत शोध पत्र में इसी बात का अध्ययन किया गया है।

भारतीय संस्कृति मनुष्य द्वारा विकसित सभ्य और मानव बनाने वाले तत्वों में से एक है। ईसा के एक सहस्त्र वर्ष पूर्व जब हिन्दू संस्कृति का संश्लेषण और समन्वय हो चुका था, उसके पश्चात 1000 ई. तक के सुदीर्घ युग में भारत अन्यों को सभ्य बनाने वाला देश था क्योंकि इस युग में भारत में सांस्कृतिक एकीकरण हो रहा था और साथ ही साथ लंका, ब्रह्मा, स्याम, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया और मध्य एशिया के तुर्किस्तान तथा अफगानिस्तान के अधिकांश भाग में भारत की संस्कृति का विस्तार हो रहा था एवं भारत की आध्यात्मिक शक्तियों के संपर्क के कारण चीन, कोरिया और जापान का रुपांतर हो रहा था। भारतीय संस्कृति ने विश्व सभ्यता के कोष में अपना योगदान देकर अन्य राष्ट्रों की सहायता की और साथ ही विस्तृत और गहन जीवन तथा उसकी समस्याओं को हल करने में भाग लिया।

भारतीय संस्कृति के विस्तार का आधारभूत सिद्धांत एकीकरण और प्रकटीकरण था, न कि प्रतिबंध और दमन। प्राचीनतम हिन्दू संस्कृति और सभ्यता में एकीकरण की इतनी अधिक शक्ति थी कि देश के प्रारंभिक आक्रांता जैसे यूनानी, शक, हूण आदि भारतीयों में पूर्णरुपेण मिल गये और वे अपने एकात्म व अनन्यता को संपूर्णतया खो बैठे।1परन्तु तुर्क और अफगानियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस्लामी आक्रमणकारियों के साथ भारत में नवीन, विभिन्न और निर्दिष्ट सामाजिक और धार्मिक विचार प्रवेश कर गये और इनका

* प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

संपूर्ण एकीकरण असंभव था परन्तु जब कभी दो प्रकार की सभ्यताएँ और संस्कृतियॉ सदियों तक परस्पर संपर्क में आती है तो वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है।

इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है – शान्ति में प्रवेश करना। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ई. में मक्के में हुआ। 622 ई. में उन्होनें मक्का छोड़कर मदीने की हिजरत की, जिस वर्ष से इस्लाम का वास्तविक आरंभ माना जाता है। इस्लाम का भारत में प्रवेश 7वीं सदी में ही हो गया था और मोपला लोग उसी समय मुसलमान हो गये थे किन्तु इस्लाम और हिन्दूत्व के बीच निकटता 12वीं सदी के पश्चात आयी। इस प्रकार इन दोनो धर्मो की समीपता के 800 से भी अधिक वर्ष हो चुके है किन्तु आज भी स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नही मिलता। यद्यपि इस लंबी यात्रा के दौरान एकता का एक आंदोलन अकबर ने चलाया था किन्तु उसे औरंगजेब ने काट दिया, दूसरा आंदोलन महात्मा गॉधी ने चलाया और उसे मुहम्मद अली जिन्ना ने काट दिया। अतः सामान्यतया यह स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है कि हिन्दुत्व एवं इस्लाम के बीच कोई बड़ा समन्वय या मिश्रण का कार्य हुआ किन्तु फिर भी दोनों ने अपना प्रभाव अवश्य एक दूसरे पर छोड़ा है जिससे उनके मूल में कोई विकार नहीं आता। इस्लाम ने जितना प्रभाव हिन्दुत्व पर ड़ाला, उससे कहीं अधिक प्रभाव हिन्दुत्व का इस्लाम पर पड़ा है।

हिन्दुत्व पर इस्लाम के प्रभाव का सर्वप्रथम उल्लेख सर चार्ल्स इलियट के विख्यात ग्रंथ 'हिन्दुइज्म एंड बुद्धिज्म' से 1921 ई. में पता चलता है जिसमें उन्होने कहा कि – रामानुज, मध्व तथा लिंगायत या वीरशैव पर कुछ इस्लामी प्रभाव हो सकता है। इसके बाद डॉ. ताराचंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्युएंसेस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में यह उल्लेख मिला कि शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचार्य और दक्षिण के अलवार संत एवं वीरशैव तथा लिंगायत सम्प्रदाय ये सभी इस्लामी प्रभाव से प्रभावित हुये। डॉ.ताराचंद्र और प्रो. हुमायूँ कबीर यह कहते है कि स्वामी शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद इस्लाम से लिया, यह बात विद्वानों के गले नहीं उतरती। अगर शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत इस्लाम से ही लिया था तो फिर उन्होनें मूर्तिपूजा का विरोध और उसकी निन्दा क्यों नही की जो कि इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है।2शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का जन्म श्रुतियों से हुआ था और उन्होने जो मत प्रतिपादित किया वह वास्तव में वेदों और उपनिषदों में निहित सत्य का ही विकसित रुप था। भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव कई रुपों में दिखाई देता है।

मुसलमानों के आगमन से पूर्व हिन्दू बाह्य आडम्बरों, छूआछूत, अंधविश्वास तथा विभिन्न कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में एक ईश्वर में आस्था रखने वाले तथा समतामूलक समाज का नारा देने वाले इस्लाम ने समस्त मानव की समानता का उद्घोष करते हुए ऊॅच–नीच, जाति–पाति आदि के भेद का विरोध करते हुए कर्म को वरीयता दी जिसका उपेक्षित समाज ने तहेदिल से स्वागत किया और इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए। समतामूलक समाज की बात इस्लाम के आने के 1400 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म और उसके

पश्चात जैन धर्म में भी उत्पन्न हुई थी किन्तु उनमें कई मतान्तरों के उत्पन्न होने और आडंबरों के प्रवेश से उनकी लोकप्रियता धूमिल हुई। इस्लाम का जब भारत में प्रवेश हुआ था तो साम्प्रदायिकता जैसी कोई भावना भारतीय जनमानस पर नही थी। इस्लाम के प्रचार संबंधी उत्साह ने भारतीय जनता की अनुदार प्रवृत्तियों को पुष्ट किया। उनको यह विश्वास हो गया कि धर्म के क्षेत्र में अधिक कट्टरनीति को अपनाए बिना धर्म और समाज को इस्लामिक प्रभाव से सुरक्षित करना आसान कार्य नही है।

धार्मिक नेताओं और सुधारकों ने इस्लाम के कुछ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को स्वीकारा। हिन्दुओं ने उदारतापूर्वक मुस्लिम पीरों और मजारों का पूजन प्रारंभ किया। मुस्लिम पीरों की कब्रों पर हिन्दू मिठाईयॉ चढ़ाते और कुरान के पाठ का श्रवण करते। वे कुरान को एक देववाणी के समान मानने लगे, जीवन में बुरे प्रभावों और अपशकुनों से बचने के लिए घरों में कुरान की प्रतियॉ रखने लगे। पंजाब में अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदों, रावलपिंडी के ब्राह्मणों और बहराइच में सालार मसूद की मजार के उपासक हिन्दुओं का उल्लेख है। अजमेर के शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के भक्तों में बहुसंख्यक हिन्दू भी थे। भक्ति आंदोलन में भी सूफीओं के प्रभाव को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। यदि इस्लाम के भीतर समानता वाला सिद्धांत प्रबल नहीं होता, सूफियों और हिन्दू भक्तों के बीच सत्संगति का संबंध नहीं होता और यदि समाज के हर तबके में नये जागरण की गॅूज नहीं उठी होती तो वैष्णव आचार्य सामाजिक आचारों में उदारता दिखाने को तैयार हो जाते, इसकी संभावना कम ही प्रतीत होती है।

जाति व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दू सामाजिक संरचना का एक सशक्त आधार रही है जो सतत परिवर्तनशील एवं अस्थिर संस्था के रुप में कार्यशील रही। यद्यपि सैद्धांतिक रुप से इस्लाम जातिवाद को स्वीकार नही करता था फिर भी मुस्लिम सामाजिक जीवन में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विदेशी वंशों के परिवार जैसे अरब, तुर्क, अफगान तथा फारसियों के वंशज सबसे ऊची जाति के माने गये और आगे चलकर अशरफ (अरबी अर्थ– प्रतिष्ठित) कहलाने लगे।3हिन्दू शास्त्रों मनु और यज्ञवल्क्य स्मृतियों में जाति भ्रष्ट अथवा बहिष्कृत व्यक्तियों को पुनःजाति में सम्मिलित कराने की कोई व्यवस्था नही थी। यह व्यवस्था सर्वप्रथम देवल स्मृति में की गई जिसमें 96 श्लोक है जो संभवतः 10वीं सदी में लिखी गई थी। शायद सिन्ध प्रदेश मुसलमानों के हाथों में चले जाने के बाद जब पश्चिमोत्तर भारत की जनता धडल्ले से मुसलमान बनायी जाने लगी तब उसे पुनः अपनी जाति में लौटने की व्यवस्था के निमित्त यह स्मृति आनन–फानन में लिखी गई। परम्परागत भारतीय जाति व्यवस्था पर इस्लाम का प्रभाव समभाव से नही पड़ा। कई जातियों जैसे ब्राह्मण एवं वैश्य पर इस्लाम का प्रभाव न्यूनतम रहा। जबकि क्षत्रिय, कायस्थ, जुलाहा, दर्जी, तेली, नाई, धुनियॉ, मनिहार, धोबी आदि पर इस्लाम का प्रभाव अत्यधिक रहा।

मुसलमान जब भारत आए तब यहॉ भाषा दो रुपों में चल रही थी जिनमें से एक का उदाहरण चन्द, विद्यापति आदि की कविताओं में है और दूसरे का खुसरों की पहेलियों और

मुकरनियों में। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरों को खड़ी बोली में हिन्दी कविता का जनक माना है। अमीर खुसरों का साहित्य खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य है । उस समय अधिकतर ब्रज अथवा अवधी का प्रचलन था जिसमें रहीम, रसखान, मुबारक, आलमस और शेख ने भी कवितायें लिखी। रहीम, रसखान और कबीर के संबंध में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि '' इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिन्दू वारिये''। इस्लाम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय साहित्य के भावुकता वाले पक्ष पर ही पड़ा। यह वही क्षेत्र था जहॉ पर धर्म की बाधा नहीं थी। हिन्दू मुसलमानों के परस्पर सम्मिलन से ऊर्दू का जन्म हुआ। अकबर के काल में संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया । अबुल फजल ने किशन जोशी, गंगाधर, महेश, महानन्द आदि का फारसी में अनुवाद किया। नकीब खॉ, अब्दुल कादिर बदायूनी, और थानेसर के शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया। फैजी ने गणित के लीलावती का और मौलाना शेरी ने राजतरंगणी का अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनवर–ए–साहिली और फैजी ने नल दमयंती की कहानी फारसी में लिखी।

14वीं सदी के लेखक मौलवी नवी के अनुसार – इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर की सृष्टि का अनुकरण करके तस्वीरें बनाना गुनाह का कार्य है। इसीलिये जो लोग भी कपड़े, कालीन, सिक्के या बर्तन पर चित्र बनाते है, वे इस्लाम के नियम से गुनाहगार है।4उस निषेध के फलस्वरुप औसत मुस्लिम समाज मूर्ति शिल्प एवं चित्रकारी के प्रति उदासीन रहा। कुछ समय पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। हुमायूँ ने अब्दुस्समद और मीर सैयद अली नामक दो चित्रकारों को ईरान से भारत बुलाया। ये भारत में ईरानी शैली के प्रचारक हुए। ईरानी और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण तारीखे खानदाने तैमूरिया और बादशाहनामा के पृष्ठों में देखा जा सकता है।5अकबर के समय में चित्रों की बड़ी उन्नति हुई, जो उनकी पुष्ट रेखाओं, मीने जैसी दबीज रंगों एवं प्रवेगपूर्ण तथा प्रकाण्ड आलेखनों से स्पष्ट है। अबुल फजल लिखता है कि चित्रकला ने इस काल में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, निर्जीव वस्तुऍ भी ऐसी लगती थी जैसे कि वे सजीव हो। मीर सैयद, अब्दुस्समद, दसबंत और बसावन चित्रकला में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इन चार कुशल चित्रकारों के अलावा अकबर के काल में 13 और प्रथम श्रेणी के चित्रकार थे। इनमें से अधिकांश हिन्दू थे। जहॉगीर के काल में भारतीय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुॅच गयी थी। इसका मुख्य कारण चित्रकला के प्रति स्वयं उसका अनुराग, प्रकृति प्रेम और श्रेष्ठ चित्रकारों का संरक्षण था। शाहजहॉ के काल में चित्रकला में बारीकी और नफायस में बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है किन्तु यह दरबारी शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकी। औरंगजेब ने चित्रकला के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया।

स्थापत्य के क्षेत्र में भी इस्लाम का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इस्लाम के आगमन से भारतीय और इस्लामी दो विभिन्न कलाओं का सम्मिश्रण और समन्वय हुआ। इस्लाम के अनुयायी पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप

से अपने साथ कुछ कला लाये थे। कल्पना की व्यापकता, विशालता और सरलता मुस्लिम भवनों की विशेषताएँ थी।6हिन्दू भवन निर्माण शैली में मुसलमानों ने अधिक विस्तार, विशालता तथा चौड़ाई की विशिष्टता सम्मिलित की। उन्होनें आकृति और नवीनता में भी वृद्धि की। रंगों के लिए उन्होनें विविध रंगों के पाषाणों का उपयोग किया और कभी–कभी कुरान की आयतों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों को उत्कीर्ण कर उन्हे सुशोभित किया। मुस्लिम इमारतें वायु और प्रकाशयुक्त होती थी, हिन्दू भवनों की भॉति अंधकारमय नहीं। इन इमारतों में उद्यानों और प्राकृतिक परिदृश्यों का भी कुशल उपयोग किया जाता था। सफेद संगमरमर के प्रयोग से इमारतों की सुन्दरता में वृद्धि हुई जैसा कि ताजमहल को देखने में प्रतीत होता है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूँ का मकबरा, कुतुबमीनार, ताजमहल, बुलंद दरबाजा, गोल गुम्बज आदि अनेक इमारतें इंडों इस्लामिक स्थापत्य कला के कुछ नायाब नमूने है।

संगीत इस्लाम में वर्जित था किन्तु सूफियों के यहॉ साधना के एक आवश्यक अंग के रुप में संगीत को समझा जाता था। भारतीय और ईरानी संगीत के मिलन से उसमें नवीनता आयी। कव्वाली, तराना, आदिगीत, सरपरदा जिल्फ, खानगीरि, आदिराग, सांक्षमरा, आड़ा, चारताल, सूलफरक आदि ताल कदाचित अमीर खुसरों की ईजाद है। सितार फारसी भाषा का शब्द है। अमीर खुसरों ने वीणा से सितार और मृदंग से तबला का अविष्कार किया। रबाब, सरोद, दिलरुबा आदि अनेक वाद्यों के नाम मुसलमानों ने रखे है। ख्याल का अविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। बीजापुर के इब्राहिम आदिलशाह ने संगीत पर नौरस नामक किताब लिखी थी। आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के काल में 36 संगीतज्ञ थे। तानसेन उस युग का सर्वश्रष्ठ संगीतज्ञ था और अबुल फजल के अनुसार उस जैसा संगीतज्ञ भारत में पिछले एक हजार साल में नहीं हुआ था। संगीत के प्रति अकबर की रुचि और उसकी संरक्षता के कारण संगीत गायन और संगीत वादन दोनों में ही बड़ी उन्नति हुई। उसके दरबार में हिन्दू और मुस्लिम संगीत पद्धतियों का मुक्त रुप से सम्मिलन हुआ और अन्त में दोनों ही एक दूसरे से इतनी घुल मिल गयी कि उनका अलग–अलग पहचानना कठिन हो गया। इस दौरान हिन्दू संगीत का रुप एक हद तक कुछ बदल सा गया। विलियम फिच के अनुसार जहॉगीर ने सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों को सात दलों में विभाजित किया था। शाहजहॉ स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ था।

ज्योतिष के विकास में भी मुसलमानों का योगदान रहा है। हिन्दुओं ने देशांतर और अक्षांश गिनने की प्रणाली मुसलमानों से ली है। जन्म–पत्री बनानें की ताजक पद्धति हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों से ली प्रतीत होती है। अरबी पद्धति की सहायता से महाराजा जयसिंह ने हिन्दू पंचांग का सुधार करवाया।

कई धातुओं से रसायन बनाने का रिवाज मुस्लिम आगमन के बाद विकसित हुआ। कागज बनाना और कलई करना भी यहॉ मुसलमानों ने आरंभ किया। पत्थर, चॉदी और सोने पर मीनाकारी का काम, जामदानी, जरदोजी और जामेवार भी मुस्लिम काल में ही

चले। मुसलमानों के चूड़ीदार पाजामा तथा शेरवानी को हिन्दुओं ने स्वीकार कर लिया। कसे चुस्त पायजामें राजपूतानियों ने मुस्लिम नारियों से लिये।

इस प्रकार राजनीतिक संबंधों में विद्वेष होने पर भी हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के सम्मिलन से सुदूरगामी परिणाम प्राप्त हुए। मुस्लिम विजेता अपने साथ निर्दिष्ट सामाजिक और धार्मिक विचार लाये थे जो हिन्दुओं के विचारों से मौलिक रुप से भिन्न थे। इस्लाम के आगमन ने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया है। ऐसा नही है कि यह प्रभाव एकाकी रहा हो, हिन्दू संस्कृति ने भी मुस्लिम समाज और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। यह विवाद का विषय हो सकता है कि किसका प्रभाव अधिक रहा और किसका कम किन्तु इसमें कोई संशय नही कि इससे भारतीय संस्कृति परिमार्जित ही हुई है।

संदर्भ ग्रंथ

1. लुनिया,बी.एन., भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल हॉस्पिटल रोड़ आगरा, 1999, पृ. 279

2. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एंड संस पृ. 246

3. थापर, रोमिला, भारतका इतिहास (1000 ई0 पूर्व से 1526 ई0 तक), 1975, पृ. 228

4. पाण्डेय, रवि प्रकाश, भारतीय सामाजिक विचार, पृ. 246

5. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एंड संस पृ. 192

6. लुनिया,बी.एन., भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल हॉस्पिटल रोड़ आगरा, 1999, पृ. 302

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

विक्रमोर्वशीयम् में वर्णित सौन्दर्य-प्रेम का वैशिष्ट्य

डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी

विक्रमोर्वशीयम् नाटक की गणना त्रोटक में होती है। त्रोटक का लक्षण बताते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं–

सप्ताष्टनवपंचाङ्गं दिव्यमानुषसंश्रयम्।
त्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यंङ्कं सविदूषकम्।।1

महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विक्रमोर्वशीयम् नामक नाटक में उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम और मिलन की कथा का मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। उर्वशी नारायण के जंघे से उत्पन्न अप्सरा है जो विश्व के सकल काल्पनिक सौन्दर्य की सारतत्व व अप्राप्य आदर्श है जिसके लिए सभी कालों तथा सभी देशो ंमें मनुष्य की आत्मा तड़पती आई है। इसकी प्राप्ति केवल पुरूरवा कर सकता है। जिसका पिता बुध तथा माता इला है तथा जो ईश्वरीय प्रेरणा का प्रतीक है। इस प्रकार पुरूरवा का वंशगत संबन्ध सूर्य एवं चन्द्र जैसे दैवी एवं प्राकृतिक शक्तियों से है।

उर्वशी के लिए वह अपनी मानुषी पत्नी का,सम्पूर्ण पार्थिव ऐष्णाओं एवं प्रसिद्धि का भी परित्याग कर देता है और अपनी सम्पूर्ण अन्तरात्मा को उस ईश्वरीय सौन्दर्य में निमज्जित कर देता है। किन्तु वह भी अपनी मनःकाक्षित वस्तु का निर्वाध उपयोग नही कर सकता है।

उर्वशी पुरूरवा का जो अतिम संयोग सम्पन्न होता है उसका परिणाम हुआ है बालक आयुष। जो ईश्वरीय संसर्गो से गौरवान्वित मानवजीवन तथा क्रिया का प्रतीक है। महाकवि कालिदास ने इस भव्य रूपक को मानवीय प्रेम की अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिवर्तित कर दिया है।2

विक्रमोर्वशीयम् में जिस प्रणय का चित्रण हुआ है, वह बड़ी ही सावधानी से पालित एवं वर्धित हुआ है तथा जिसके पूर्ण परिपाक के संपादनार्थ सन्तानोत्पत्ति आवश्यक ठहराई गई है। प्रारम्भ में ही सूत्रधार ने आर्यमिश्रों से जो निवेदन किया है उसमें प्रणयीजन तथा सद्वस्तु एवं पौरुष के प्रति क्रमशः उदारता तथा सम्मान प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है।3

अतः विक्रमोर्वशीयम् के प्रणय–लोक में कवि के द्वारा यदि एक ओर सौन्दर्य की मादकता तथा हृदय की द्रवणशीलता का अन्वंकन किया गया है, तो दूसरी ओर प्रेम को गृहस्थी की मर्यादा में बाँधकर तथा उसे पौरुष का प्रसाद बनाकर सद्वस्तु में रूपान्तरित किया गया है।

---

* व्याख्याता एवं अध्यक्ष (संस्कृत), धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

आदिकाल से ही संस्कृतवांग्मय में नारी की प्रतिष्ठा को एक कसौटी के रूप में माना जाता रहा है। उसमें वीर्यक्षोभ उत्पन्न करने की असीम सामर्थ्य है। अप्सरायें विशेषतया इसी दृष्टि से काव्य–संसार में सम्मानित होती रही है। उनमें भी उर्वशी सबकी मौलमणि है जो सृष्टि का अनुपम अलंकार है तथा जो रूपगर्विता लक्ष्मी को भी मात करती है। पुरूरवा एक विशेष परिस्थिति में उर्वशी का दर्शन करता है,जब वह भय से नेत्र बन्द कर लेती है और स्थपर मूर्च्छित होकर गिर जाती है, पुरूरवा उर्वशी से कहता है कि हे सुन्दरी ! धैर्य धारण करो और अपने प्रशस्त नयनों को उसी प्रकार खोल दो जैसे प्रातःकाल होने पर कमलिनी अपना पुष्पकलिकाओं को खोल देती है।4

पुरूरवा,उर्वशी को प्रथमदृष्ट्या मूर्च्छितावस्था में देखता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है है कि मानो कोई सुकुमार नलिनी अपना पुष्पोन्मीलन करने वाली है। अन्य कवियों की अपेक्षा राजवैभव के अमर गायक कवि कालिदास की सौन्दर्य–दृष्टि बहुत ही ऐन्द्रियता मूलक है। उर्वशी का हृदय अभी काप रहा है। पुरूरवा उस नारायणीय रूपसी के पुष्ट पयोध ारों के बीच पड़ी हुई मन्दारमाला तथा उच्छ्वास से स्तन पर पड़े वस्त्र के हिलने से यह अनुमान कर रहा है कि इसका कुसुम कोमल हृदय अभी भी भय से काँप रहा है। यद्यपि कवि का प्रकट स्नेह उर्वशी के भयकम्प की स्थिति की विज्ञप्ति ही है, तथापि यह कहना भी बड़े साहस का कार्य है कि, कवि पुरूरवा के माध्यम से,उस स्वर्गीय अप्सरा के निश्चेष्ट सौन्दर्य की सम्पूर्ण मादकता की अनुभूति से अनुप्राणित नहीं रहा है।

उर्वशी प्रकृतिस्त होकर,जब आखें खोलती है,तब पुरूरवा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे चन्द्रमा के निकल आने पर रजनी अन्धकार की कारा से मुक्त हो गई हो। जैसे रात के समय विना धुयेंवाली आग की लपट हो, जैसे गंगा की वह धारा हो जो किनारे के स्पर्श से किंचित कलुषित होकर पुनः स्वच्छ एवं निर्मल बन गई हो। 5

अंधकार से मुक्त हुई रात्रि,निर्धूम अग्नि–शिखा तथा स्वच्छ गंगा की धार–इन सब अप्रस्तुतों की नियोजना करके, कालिदास ने मूर्च्छा से जगी हुई उर्वशी के रूप–सौन्दर्य की जो विवेचना की है वह अत्यन्त ही व्यंजक है।6

यहाँ पर कवि यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मनोहर स्वरूप कोई तपस्वी उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि किसी सद्वस्तु के बनाने के पूर्व बनाने वाला अपने मस्तिष्क में उस वस्तु की अवधारण करता है तत्पश्चात् ही उसके निर्माण की प्रक्रिया में रत होता है। इसकी सृष्टि के लिए कान्ति प्रदाता चन्द्रमा स्वयं ब्रह्मा बना होगा, या श्रृंगार–रस के देवता कामदेव ने इसकी रचना की होगी, अथवा कुसुमाकर वसन्त ने ही इसे स्वयं रचा होगा। अन्यथा वेद के निरन्तर अभ्यास से संसार के प्रति अनासक्ति के फलस्वरूप विषयोपभोग से जिनका मन ही दूर हो गया हो ऐसे नारायण ऋषि के द्वारा यह संभव नहीं की वे ऐसी अनुपम सुन्दरी की रचना अर्थात् उत्पत्ति कर सकें। महाकवि ने उर्वशी को नारायण मुनि के जघन प्रदेश से उत्पन्न बताया है।7 राजा पुरूरवा की उक्ति में सर्वाधिक निराली बात यह है कि वह वेदानुशीलन का अभ्यास तथा विषय विमुख बार्धक्य रूप–लक्ष्मी की समुचित

अनुसशां नहीं कर पाता है। अर्थात् उसकी दृष्टि में सौन्दर्य उपभोग्य है। अपनी सम्पूर्ण रचनाओं में ही महाकवि ने नारी रूप को ऐन्द्रियता को मुखरित किया है। कुछ ही समय के सम्पर्क से ही उर्वशी तथा पुरूरवा एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

चित्रलेखा के पूछने पर उर्वशी कुछ अप्रत्यक्ष भाव से ही स्वीकार करती है कि उसके लोचन पुरूरवा के रूप का पान कर रहे हैं क्योंकि उसने उसे विपत्ति से बचाया है। पुरूरवा का मन तो पहले से ही ढल चुका है। रथ के हिलने डुलने से उर्वशी के शरीर का स्पर्श उसके शरीर से हो जाता है। जिससे उसे रोमांच हो आया है मानो मनसिज के अंकुर ही उद्भिन्न हो गये हों। उर्वशी विदा लेते समय अपनी सखियों सहित जब उड़ती है तब लता की शाखा में वैजयन्ती माला के फँसने का नाट्य कर राजा की ओर घूमकर देखने का अवसर निकालती हैं। उर्वशी के चले जाने पर राजा स्पष्ट ही कहता है कि–

अहो ! मदन दुर्लभ वस्तु की ही अभिलाषा करता है। यह अप्सरा आकाश में उड़कर जाती हुई मेरे मन को शरीर से उसी प्रकार बल पूर्वक खींचे लिए जाती है जिस प्रकार कोई राजहंसी टूटे हुए कमल की नाल से उसका तन्तु खीच ले जाती है।8

उर्वशी और पुरुरवा अभी भी दोनों संकोचशील हैं लेकिन जिन परिस्थितियों में पार्वती अथवा शकुन्तला अपने प्रणयाभिलाषियों से मिली है उनकी अपेक्षा विल्कुल भिन्न एवं इन्द्रिय रस से परिपूर्ण स्थिति में उर्वशी और पुरूरवा का प्रथम मिलन संम्पन्न हुआ है। कालिदास की यह अपूर्व उद्भावना है उन्होने इस स्वर्गीय अप्सरा और उसके प्रणय के चित्रण में अपनी कवि सुलभ कल्पना को खुलकर खेलने का अवसर दिया है।

द्वितीय अंक में पुरूरवा का पूर्व राग वर्णित है। राजमहल के निकट स्थित उद्यान में सूर्य पूजा से लौटने पर वह अनमना दिखाई देता है। रानी औशीनरी ने चेरी को राजा की उदासी को जानने का आदेश दे रखा है।

पुरूरवा ने भूलवशात् रानी को उर्वशी कहकर संबोधित कर दिया है जिससे उसका नव प्रेम–रहस्य रानी के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। वह माणवक से कहने लगा कि, मेरे जिस हृदय मे कामदेव ने अपने बाण मारकर उस स्वर्गलोक की सुन्दरी के लिए प्रवेशद्वार बना दिया था उसमें वह केवल देखने भर से ही समा गई है। पुरूरवा उर्वशी के सौन्दर्य से अविभूत है। उसका कथन है कि, उर्वशी का शरीर अभूषणों का भी आभूषण है। श्रृंगार प्रसाधनों का प्रशाधन है और उपमाओं का भी प्रत्युपमान है।

प्रमदवन में पहुचने पर दक्षिण पवन से उसमें स्पर्धा का भाव जगता है। क्योंकि वह पवन माधवीयता को सींचता हुआ उसे एक कामी के समान प्रतिभात होता है। उद्यान की नव विकसित वसन्तश्री उसे और भी पीड़ित करती है। दुर्लभ उर्वशी की प्राप्ति की दुर्निवार अभिलाषा से कामदेव ने उसके हृदय को पहले से ही छलनी बना दिया था।

अब स्त्री नख के समान लाल कुरबक के पुष्प, अशोक के रक्त कुसुम तथा ईशद् दिखाई पड़ने वाले पराग कणों से पीली भासित होने वाली रसाल मंजरिया मधुश्री की ऐसी शोभा प्रदान कर रही है मानो वह मुग्धा की अवस्था को पार कर अब यौवन में प्रवेश कर रही हो। लम्बी सांस रोककर पुरूरवा माणवक से निवेदन करता है कि,

''उसकी रूप श्री के दुर्ललित आकर्षण ने मेरे नेत्रों को मोहिनी पाश में बाध दिया है। अतैव इस उपवन की फूली हुई लताएँ और कोमल पौधे मुझे पसंद नहीं आ रहें हैं। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे मेरे मन की साध पूरी हो जाय।''9

पुरूरवा न तो गहरी नीद में सो ही सकता है जिससे उसे प्यारी के दर्शन स्वप्न में सुलभ हो सकें और न ही चित्र–फलक पर उसकी प्रतिकृति ही बनाकर मन बहलाव कर सकता है क्योंकि बीच में ही उसके नेत्र आँसुओं की उफान से डबडबा जाते हैं।

उर्वशी और चित्रलेखा दोनों ही राजा का उपालम्भ सुनने के बाद भोजपत्र पर अपना प्रेम पत्र लिखकर राजा के आगे हवा में फेंक देती है। बाद में जब चित्रलेखा प्रकट होकर उर्वशी के प्रणय पीड़ा का निवेदन करती है,तब पुरूरवा अत्यन्त आर्तभाव से प्रार्थना करता है कि, हम दोनों का प्रणय एक दूसरे के प्रति समान प्रवृद्ध है तो एक तपे हुए लोहे को दूसरे तपे हुए लोहे से जोड़ देना हीं समीचीन है–''तप्तेन तप्तमयसा घटनाययोग्यम्''

कालिदास ने एक तप्त लोहे को दूसरे तप्त लोहें से जोड़ दिया है। उर्वशी में पूर्ण यौवन की सम्पूर्ण विभूतिया उद्भिन्न हो गई है सुन्दर सुविकसित नितम्ब कदली वृक्ष के समान सुष्ठु जंघे अत्यन्त पीन परस्पर सटे हुए उरोज तथा देह पोर–पोर झुकी हुई उर्वशी प्रारम्भ से ही प्रगल्भा है ज्यों ही वह माया की ओढ़नी फेककर प्रकट होती है तथा राजा का अभिवादन करती है त्यों ही उसे नेपथ्य से आदेश मिलता है कि भरत मुनि द्वारा नियोजित अष्ट रसाश्रय नाटक में अभिनय करने के लिए स्वर्गपुरी को लौट जाय। पराधीन होने के कारण उसका शरीर पर तो कोई अधिकार है नहीं लेकिन अपना हृदय जो सर्वांशतः उसका है वह पुरूरवा को समर्पण किये जाती है। यह मन मिलन तन मिलन की निश्चित भूमिका तैयार कर चुका है। जो प्रणय परिपाक की अन्तिम कसौटी है।

उर्वशी के अदृश्य हो जाने पर जब उसका लिखा हुआ प्रेम–पत्र भी हवा में विलुप्त हो जाता है तब राजा अत्यन्त आर्तभाव से निवेदन करता है–''हे वसन्त के प्यारे मित्र दक्षिणपवन ! तुम्हें अपना शरीर सुरभित करना हो तो तुम लताओं पर खिले हुए फूलों का पराग क्यों नहीं उठा लेतें हों ? मेरी प्यारी के हाथ का लिखा हुआ पत्र तुम्हारे किस काम आयेगा ? तुम तो स्वयं अंजना से प्रेम कर चुके हो अतः अब तुम जानते ही हो कि, ऐसी ही मन बहलानेवाली वस्तुओ को देखकर कामीजन जिया करते हैं।

अचानक पहुचने पर जब वह पत्र रानी को प्राप्त हो जाता है तब पुरुरवा झूठ बोलकर अपना अपराध छिपाना चाहता है और ऐसा करने में असफल होकर रानी के पैरों पर क्षमा हेतु गिर जाता है। रानी के रूठ कर चले जाने पर वह विदूषक से कहता है कि, उर्वशी से प्रेम करने पर भी वह औशीनरी को पूर्ववत् प्यार करता है अर्थात् पुरूरवा दक्षिण नायक है।

तीसरे अंक में नाटककार ने कथानक के अन्य सूत्रों को संकलित किया है। इसमें प्रधान सूत्र यही है कि, क्योंकर उर्वशी गोत्रस्खलन के अपराध के कारण स्वर्गच्युत होने का श्राप पाती है। तब इन्द्र उसे इस शर्त के साथ पुरूरवा सहवास की अनुमति प्रदान करते

हैं। इस अंक का एक नवीनतथ्य यह है कि, रानी औशीनरी ने पियानुप्रसादन व्रत किया है तथा महाराज को मणिहर्म्य भवन के पृष्ठभाग पर वह चन्द्रिका और रोहिणी का मिलन देखने के लिए नियत वेला में दासी निपुणिका के साथ नियत स्थान पर पहुचती हैं और चन्द्र पूजा के बाद राजा की पूजा कर इस प्रकार निवेदन करती हैं–

''आज मैं चन्द्रमा तथा रोहिणी के दैवीयुग्म को साथी बनाकर आर्यपुत्र को प्रसन्न कर रही हूँ। आज से जिस किसी स्त्री को भी आर्यपुत्र चाहेंगे और जो कोई भी आर्यपुत्र की समागम प्रणयिनी बनना पसन्द करेगी उसके साथ मैं प्रेम का व्यवहार करूँगी। रानी के ऐसा निर्णय लेने के बाद उर्वशी विना सविध परिणय के ही पुरूरवा की सहधर्मिणी बन गई। उर्वशी स्वयं इस बात के लिए व्यग्र है कि, उसे कुलटा न समझा जाय। देवी ने महाराज को उसके हाथों दान दे दिया है, इसीलिए वह उनके साथ विवाहित स्त्री के समान व्यवहार करती है।

पुरूरवा प्रधानतया प्रणयी के रूप में ही चित्रित किया गया है इसी लिए मणिहर्म्य की छत पर वह देवी औशीनरी के अनुरोध से आ तो गया है किन्तु उर्वशी मिलन कि चिनता उसे नितान्त अधीर बना रही है। उसका पूर्वानुराग जो द्वितीय अंक में प्रारम्भ हुआ वह तृतीय अंक में और भी प्रवृद्ध वन गया है यद्यपि वह नीली राग की सीमा का अतिक्रमण करता हुआ भी मंजिष्ठा राग की अतिशेभा को प्राप्त नहीं कर सका है। उर्वशी को बराबर देखकर भी वह जो उसका संयोग नहीं प्राप्त कर पा रहा है उससे उसकी आन्तरिक पीड़ा और भी घनी बनती जा रही है। इस प्रकार वह समस्त प्रणयी समाज का प्रतिनिधि बन जाता है। उसके निम्नलिति कथन में प्रेमलोक का एक ज्वलन्त सत्य मुखरित हो गया है।

''जिस प्रकार विसम् शिलाओं के बीच में आजाने से नदी का प्रवाह और भी वेग

शील बन जाता है उसी प्रकार जब अपने प्रिय से मिलने के सुख में बाधाए उत्पन्न हो जाती हैं तब प्रेम के स्थान पर उसकी जलन सौगुनी और अधिक बढ़ जाती है। उर्वशी मिलन की उत्कण्ठा में पुरूरवा अत्यन्त कृशकाय एवं अधीर हो गया है'' 10

विक्रमोर्वशीयम् एक नाटक है इसमें पाच अंक हैं। इस नाटक का नायक पुरूरवा तथा नायिका उर्वशी है। विक्रमोर्वशीयम् नाटक में उर्वशी और राजा पुरूरवा के प्रेम का हृदयस्पर्शी वर्णन कर आत्मा और परमात्मा के मिलन को रूपान्तिरित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि, जिस प्रकार आत्मा परमात्मा के लिए व्यग्र होती है उसी प्रकार परमात्मा भी उत्कृष्ट आत्माओं को अपने में समाहित करने के लिए व्यग्र होता है।

सन्दर्भः–

1. साहित्यदर्पण
2. श्री अरविन्द ,कालिदास सेकण्ड सिरीज पृ.54
3. प्रणयिषु वा दाक्षिण्यादथवा सद्वस्तु पुरुषबहुमानात्।
   श्रुणुत जना अवधानात् क्रियामिमां कालिदासस्य।। *(विक्रमोर्वशीयम् 1.2)*
4. तदेतदुन्मीलय चक्षुरायतं निशावसाने नलिनीव पंकजम्। *(विक्रमोर्वशीयम् 1.6)*

5. आविभूते शशिनि तमसा मुच्यमानेवरात्रि–
   नैशम्यार्चिहुतभुज इव च्छिन्नभूयिष्ठधूमा।
   मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा
   गंगारोधः पतनकलुषा गच्छतीव प्रसादम्।। *(विक्रमोर्वशीयम् 1.9)*
6. अस्याःसर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रोनु कान्तिप्रदः।
   श्रृंगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः।
   वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्त कौतूहलो
   निर्मातुं प्रभवेन्नोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः।। *(विक्रमोर्वशीयम् 1.10)*
7. उरूद्भवा नरसखस्य मुनेः सुरस्त्री *(विक्रमोर्वशीयम्)*
8. विक्रमोर्वशीयम् .1.20
9. विक्रमोर्वशीयम् .2.8
10. विक्रमोर्वशीयम् 3.8

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

सीधी जिले के शा.पूर्व. माध्यमिक विद्यालय ठाढ़ीपाथर के शिक्षकों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरुकता का अध्ययन

डॉ0 सुषमा श्रीवास्तव*
अलिखेश सिंह**

प्रस्तावना

6 से 14 वर्ष आयु समुह के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराये जाने एवं 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को साक्षर करने के संकल्प का भारतीय संविधान की धारा 45 में उल्लेख है जो स्वतन्त्रता के 10 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण किया जाना था। यह कार्य पूर्ण न होने के कारण डी0पी0ई0पी0 योजना लागू की गयी। इसके बाद भी यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया तो सन् 2002 में एस0एस0ए0 की योजना लागू कि गयी एस0एस0ए0 के अन्तर्गत 5 से 14 वर्ष आयु समूह के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा समस्त विद्यालयों में योजनायें लागू हुयीं।

जिनका मुख्य उद्देश्य –

1. सुविधाओं का लोक व्यापीकरण
2. नामांकन
3. ठहराव एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा है।

आजादी के बाद स्कूलों की संख्या में अतिशय बढ़ोत्तरी हुयीं। हमें विदित है कि संख्या में वृद्धि गुणवत्ता में कमी के रुप में परिलक्षित होता है। शिक्षा के केन्द्र में भी ऐसा ही हुआ। सिद्धान्त समाज में शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये किन्तु राजनैतिक हस्तक्षेपों एवं अन्य कारणों से भी उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है आज देश में स्कूलों एवं अध्यापकों की कोई कमी न होने पर भी शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि में आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। यह एक गंभीर चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है।

1. अध्ययन का औचित्य – शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं विद्यार्थियों के अभिवृत्ति में घनिष्ट संबंध होता है बालक एवं बालिकाओं के हृदय में सीमित परिवार की भावना का जितना विकसित व पल्लवित शालायें व अध्यापकगण कर सकते है उतना अन्य लोगों के

* प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास0कन्या महा0विद्या0सीधी (म0प्र)
** शोध छात्र, शिवाजी नगर नौढ़िया, सीधी म0प्र0

बस की बात नहीं है शालाएँ ही ऐसी साधन है जिसके द्वारा छात्र छात्राओं में जनसंख्या को कम करने की चेतना जागृत करने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

क्रियात्मक शोध की आवश्यकता–शिक्षा के विकास में जनसंख्या शिक्षा बहुत उपयोगी है जनसंख्या वृद्धि की समस्या वर्तमान में किसी राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व की संमस्या है और विकसीत देशों की अपेक्षा विकास सील देशों में यह अति गंभीर रुप धारण कर चुकी है। आज हमारे देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तीस करोड़ से आज के समय लगभग बढ़ कर सवाव सौ करोड़ हो गयी है। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या स्थिरी करण ही है जो जनसंख्या शिक्षा के बिना संभव नहीं है।

समस्या का केन्द्रीयकरण

समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन सुलभ हो जाने पर भी यदि प्राथमिक एवं माध यमिक स्तर के शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते तो वॉछित उद्देश्यों की पूर्ति संभव ही नहीं है तथा समस्त प्रशिक्षण भौतिक एवं बौद्धिक संसाधन निरर्थक साबित होते हैं। जिस कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यायल से जब बालक आगे चलकर उच्च शिक्षा में कदम रखता है तक उसे अत्यन्त कठिनाईयो का सामाना करना पढ़ता है जिससे वे उच्च शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते और दिशा हीन होकर जीवीकोपार्जन तक के लिए भटकते हुये परिवार एवं समाज के लिए न चाहते हुए भी एक बोझ बन कर रह जाता है।

1. शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध निम्नांकित प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है।

1. जनसंख्या शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरुकता का पता लगाना।
2. शिक्षकों के शिक्षण कार्य में जनसंख्या शिक्षा के उपयोग में रुचि लेने हेतु कार्ययोजना बनाना।
3. शिक्षकों के शिक्षण कार्य मे जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रतिरूचि उत्पन्न करने के लिए बनायी गयी कार्य योजना का प्रभावशाली ढंग से क्रियानवयन करना।
4. क्रियान्वित की गयी कार्य योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

2. शोध के प्रश्न

प्रस्तुत शोध निम्नांकित शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु निष्पादित किया गया है।

1. ऐसे कौन – कौन अध्यापक हैं, जो जनसंख्या शिक्षा के प्रति सजग है?
2. शैक्षणिक कार्य में जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति उन अध्यापकों की क्या रुचि है?
3. जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति शिक्षकों की रुचि उत्पन्न करने एवं जागरुक बनाने हेतु क्या कार्य योजना बनायी जाए?

4. जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति रुचि एवं जागरुता पैदा करने हेतु निर्मित कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए ?
5. जनसंख्या शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु क्रियान्वित कार्य योजना के प्रभाव का अध्ययन कैसे हो?

3. परिकल्पना

प्रस्तुत शोध निम्नांकित परिकल्पनाओं पर आधारित है –

1. जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति सजग न रहने वाले शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर उनके उदासीनता के कारणों का पता चल सकेगा।
2. जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति उनके रुचि न लेने के कारणों को जानकर उनके निराकरण एवं समाधान हेतु प्रभावशाली कार्य योजना बनायी जा सकेगी।
3. जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्धीसार्थक कार्य योजना निर्मित कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
4. शिक्षकों के जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति उदासीनता के कारणों का निराकरण कर उन्हें शिक्षण कार्य हेतु प्रेरित किया जा सकेगा।
5. जनसंख्या शिक्षा के उपयोग के प्रति रुचि का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

मुख्य शब्दों की परिभाषा –

टी0एल0एम0– टी0एल0एम0 से तात्पर्य विषय वस्तु को पढ़ाते समय कक्षाओं में शिक्षक छात्र अन्तक्रिया में शैक्षणिक समस्याओं के समाधान एवं शैक्षणिक बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों द्वारा जो चार्ट, मॉडल, और प्राकृतिक वस्तुओं का कक्षा में उपयोग छात्रों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किया जाता है।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

मानव इस समय विकास की प्रक्रिया में पूर्ण सभ्यता के शिखर पर चढ़ता चला जा रहा है। वह अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विज्ञान के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी कहावत को भी पीछे छोड़ इस क्षेत्र में आगे को बढ़ता जा रहा है। शिक्षा से किसी ब्यक्ति विशेष की ही प्रगति नहीं अपितु गॉव शहर और साथ–साथ देश की प्रगति निहित है अर्थात शिक्षा ब्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को विकसित और समृद्धशाली बनाती है। शिक्षा हमारे चिन्तन को विवेक सम्मत बनाती है जिससे हम सही और गलत के फर्क को भली भाति समझ पाते है और हमें कुरीतियों तथा अन्याय की जड़ो को उखाड़ फेकने में मदद मिलती है। शिक्षा ही मनुष्यों को प्रकृति और समाज से सम्बन्ध स्थापित कराता है जिससे वे प्रकृति को सरलता और सुगमता से जान पाते है और प्रकृति से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर मानव जीवन को सुगम बनाने में मद्द करते हैं।

इस समय शिक्षा को हमारी सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पद्धति के अनुरुप बनाने की आवश्यकता आ गई है जिसमें सम्मिलित पाठ जीवन तथा परिस्थितियों से

सम्बन्धित हो। साथ ही छात्रों में देश प्रेम का उदय हो। हम जीवन पर्यन्त सीखते रहें क्योंकि जहॉ सीखने कि प्रकिया बन्द हो जाती है हमारा हम्र डिब्बे में भरे पानी की तरह हो जायेगा तथा हम सब कूप मंडूप बने रहेंगें।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण परिपक्व बनाना है। शिक्षा केवल वही नहीं जो विद्यालयों पुस्तकों तथा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है वरन् व्यापक अर्थो में शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा वह अलौकिक स्तम्भ है जिस पर आरोहित हो कर प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र को उस दिशा में अग्रसर करने को उत्प्रेरित कर सकता है जो विकासोन्मुखी हो। शिक्षित राष्ट्र की दौड़ में अपना प्रतिनिधित्व बनाये रख सकता है।

इस सम्बन्ध में महापुरुषों के निम्नमत है :–

गाँधी जी के अनुसार, "व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है।" शिक्षा अनादिकाल से चली आ रही मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में विशेष योगदान दिया है।

जॉन लॉक के अनुसार, "व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा के विकास के लिये यह आवश्यक है कि देश की शिक्षा उसकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार हो।"

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, "हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। मनुष्य की शक्ति बढ़ती है बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।"

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार –

"सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है।"

स्वतन्त्रता से पूर्व शासकीय विद्यालयों की संख्या कम थी। प्रायः जिले में एक ही शासकीय विद्यालय हुआ करता था। शिक्षक प्रशिक्षित एवं योग्य थे। प्रधानाध्यापक का नियन्त्रण उत्तम था। शैक्षणिक उपकरणो की कमी नहीं थी। विज्ञान की प्रयोग शालाओं में समुचित व उत्तम कार्य व्यवस्था थी। छात्र भी सीमित थे।

लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली से अंग्रेजों ने ऐसे भारतीय गुलामों का निर्माण किया और उन्हे ढेर सारी सुविधाए देकर अपने ही भाई–बहनों के बीच नफरत के बीज बोए। ऐसी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को झकझोर कर रख दिया।

किन्तु इन शासकीय विद्यालयों से ऐसे मेधावी छात्रों का निर्माण भी हुआ जो कि इन तथा कथित अंग्रेजों द्वारा निर्मित तन से भारतीय तथा मन से अंग्रेंजों के गुलामों की भावनाओं को झकझोरा और उनके अन्दर राष्ट्रीय भावनाओं का निर्माण भी किया।

इस प्रकार यद्यपि नगर में स्थित मात्र कुछ शासकीय/अशासकीय विद्यालयों ने जहॉ अंग्रंजों के चाटुकार क्लर्कों व छोटे मोटे अफसरों का निर्माण किया वही राष्ट्रीय विचार

धाराओं से ओत प्रोत ऐसे नेताओं व नेत्रियों का भी निर्माण किया जो कालान्तर में बड़े बड़े वैज्ञानिक साहित्यकार वकील व चिन्तक राजनेता के रुप में उभरें। उपर्युक्त महान विभूतियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया एवं भारत को आजाद कराया। आजादी के बाद शिक्षा का उद्देश्य भी बदला तथा देश के नव निर्माण में शिक्षा संस्थाओं की बाढ़ सी आ गयी।

आजादी के बाद देश के नवनिर्माण की दिशा में भारतीय विकास परिषद् का जन्म हुआ। विकास को गति देने के लिये देश के सर्वागीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन किया गया। चतुर्दिक विकास को गति मिली। इस समय देश में दशवी पंचवर्षीय योजना संचालित है।

योजना आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्यापक योजनओं का निर्माण हुआ। शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा पर ब्यापक मंथन हुआ व योजनाओं को मूर्त रुप दिया गया।

इसी परिपेक्ष्य में 1949 में राधाकृष्णन आयोग 1952 में मुदालियर आयोग 1966 में कोठारी आयोग व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना हुई।

उपर्युक्त आयोगों में शिक्षा के प्रसार में अपना अपना अनुकरणीय योगदान देकर शिक्षा जगत में अभूतपूर्व परिर्वतन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक व गुणात्मक सुधार समय समय पर तय कियें। फलस्वरुप शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार के प्रयोग कर शिक्षा में निरन्तर सुधार किया गया।

आजादी के पचास पचपन वर्षो में स्कूलों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई। जब किसी क्षेत्र में संख्या में वृद्धि तेजी से होती है तो उस स्थिति में उसकी गुणात्मकता में कुछ कमी भी देखी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों की संख्या में द्रुत गति से बढ़ोत्तरी हुई। किन्तु शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता की कमी परिलक्षित हुई।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में तेजी से वृद्धि हुई। विद्यालयों की मान्यता के जो मापदण्ड़ निर्धारित किये गये उनमें सरलता परिलक्षित हुई। सिद्धान्तः समाज में शिक्षा के ब्यापक प्रसार हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये किन्तु उनमें राजनैतिक हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ा कि उद्देश्य धरे के धरे रह गये।

आज देश में विद्यालयों की कोई कमी नहीं है फिर भी शिक्षा के गुणात्मक विकास में लगातार कमी परिलक्षित हो रही है। यह एक गम्भीर व चिन्ता का विषय है।

3.1 न्यादर्श चयन –

सीधी जिले के कुसमी विकासखंड का शा0पूर्व0माध्यमिक विद्यालय ठाढ़ीपाथर।

3.2 न्यादर्श की वस्तु स्थिति –

शा0पूर्व0माध्यमिक विद्यालय ठाढ़ीपाथर सीधी जिले के विकासखंड कुसमी के पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है।

3.3.1 शिक्षक प्रश्नावली –

शोधकर्त्ता द्वारा स्वनिर्मित शिक्षक प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्रस्तुत प्रश्नावली में कुल छः प्रश्न है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रकृति एवं जनसंख्या शिक्षा के उदेद्श्य एवं आवश्यकता से संबधित है।

4.1 प्रदत्त संकलन–

चिहिन्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों पर प्रश्नावली प्रशासित कर आकड़ों का एकत्री करण किया गया। संग्रहित प्रदत्तों को निम्नानुसार तालिका बद्ध किया गया।

शिक्षक प्रश्नावली खंड

क्र0	प्रष्न	अवयव	प्रतिउत्तर प्रतिषत्
1.	जनसंख्या वृद्धि के मुख्य अवयव है।	जन्मदर	निरंक
		मृत्युदर	निरंक
		वृद्धिदर	निरंक
		उपरोक्त सभी	100

ब्याख्या– प्रश्न क्रमांक 1 जनसंख्या वृद्धि के मुख्य अवयव है के प्रतिउत्तर में लगभग शत् प्रतिशत् शिक्षकों ने जन्मदर, मृत्युदर एवं वृद्धिदर को जनसंख्या वृद्धि के मुख्य अवयव के रुप में निरुपित किया है।

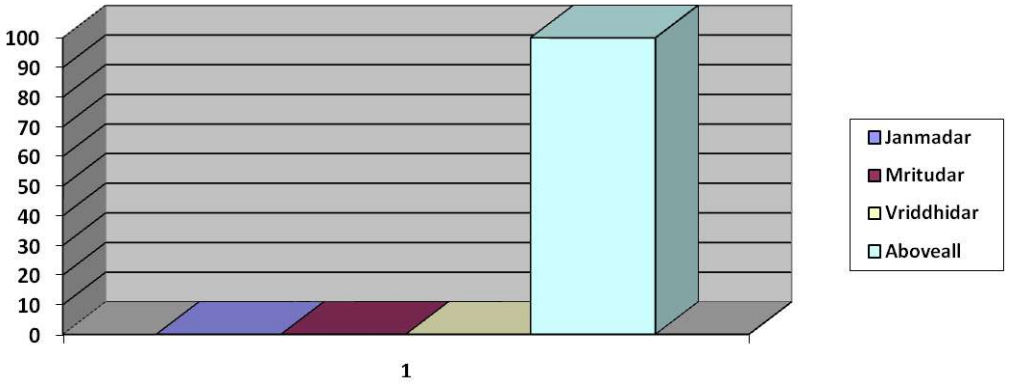

क्र0	प्रष्न	अवयव	प्रतिउत्तर प्रतिषत्
2.	जनसंख्या कि प्रकृति के अवबोध को विकसित करने हेतु सर्वाधिक प्रयास की आवष्यकता है।	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	.....
		राष्ट्रीय स्तर पर	20
		सामाजिक स्तर पर	20
		विद्यालय स्तर पर	60

ब्याख्या– प्रश्न कमांक 2 जनसंख्या कि प्रकृति के अवबोध को विकसित करने हेतु सर्वाधिक प्रयास की आवश्यकता है के प्रतिउत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंक प्रतिशत, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास की आवश्यकता लगभग 20 प्रतिशत्, सामाजिक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने और विद्यालय स्तर पर लगभग 60 प्रतिशत् शिक्षकों ने महसूस किया है।

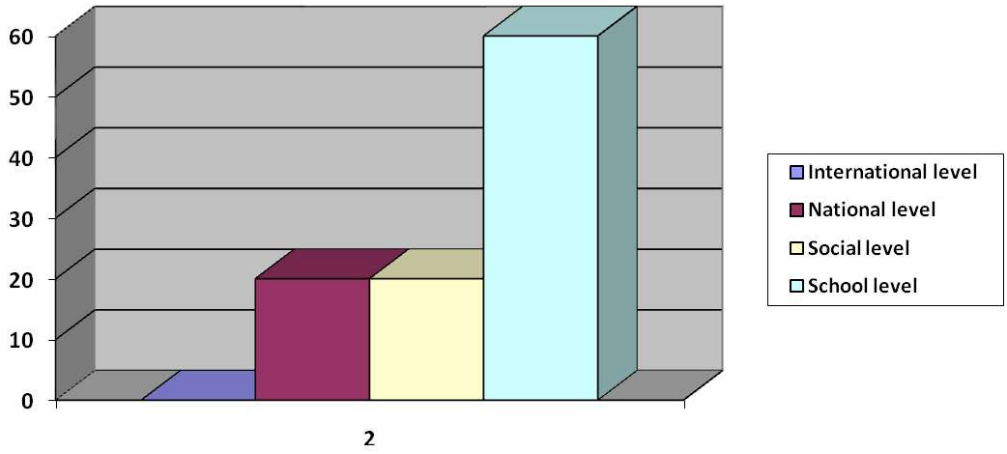

क्र0	प्रष्न	अवयव	प्रतिउत्तर प्रतिषत्
3.	जनसंख्या विस्फोट की समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है।	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कियाकलाप	.....
		शासन स्तर पर कियाकलाप	20
		समाजिक स्तर का किया कलाप	20
		विद्यालय स्तर पर प्रदाय की जनसंख्या षिक्षा	60

ब्याख्या– प्रश्न कमांक 3 जनसंख्या विस्फोट की समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है के प्रतिउत्तर में लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने लगभग 20 प्रतिशत् शासन स्तर के कियाकलाप को समस्या समाधान के रुप में, लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने सामाजिक स्तर के कियाकलाप को समाधान के रुप में, जबकि लगभग 60 प्रतिशत् शिक्षकों ने विद्यालय स्तर पर प्रदाय की गयी जनसंख्या शिक्षा को समस्या के सबसे प्रभावी समाधान क रुप में निरुपित किया है।

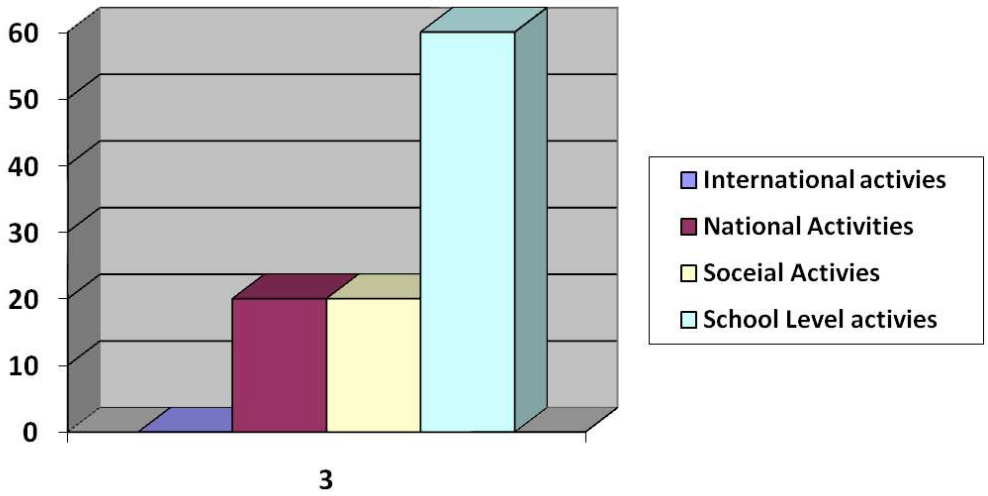

क्र0	प्रष्न	अवयव	प्रतिउत्तर प्रतिषत्
4.	जनसंख्या शिक्षा से आसय है निम्नाकित में से किसमें विद्यार्थियों को निपुड़ एवं दक्ष्य बनाना।	जनसंख्या संबधित चित्र एवं मानचित्र में	निरंक
		साख्यिकीय आकड़ों के ज्ञान देने में	निरंक
		साख्यिकीय आकड़ों के प्रयोग एवं ब्याख्या की समझ पैदा करने में	20
		उपरोक्त सभी में	80

ब्याख्या– प्रश्न क्रमांक 4 जनसंख्या शिक्षा से आसय है जनसंख्या शिक्षा से आसय है निम्नांकित में से किसमें विद्यार्थियों को निपुड़ एवं दक्ष बनाना के प्रतिउत्तर में लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने सांख्यिकीय आंकड़ो के प्रयोग एवं ब्याख्या की समझ पैदा करने और लगभग 80 प्रतिशत् शिक्षकों ने जनसंख्या संबधित चित्र एवं मानचित्र में, सांख्यिकीय आंकड़ों के ज्ञान देने में और सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रयोग एवं ब्याख्या की समझ पैदा करने, उपरोक्त तीनों में विद्यार्थियों को निपूर्ण एवं दक्ष बनाने पर बल दिया है।

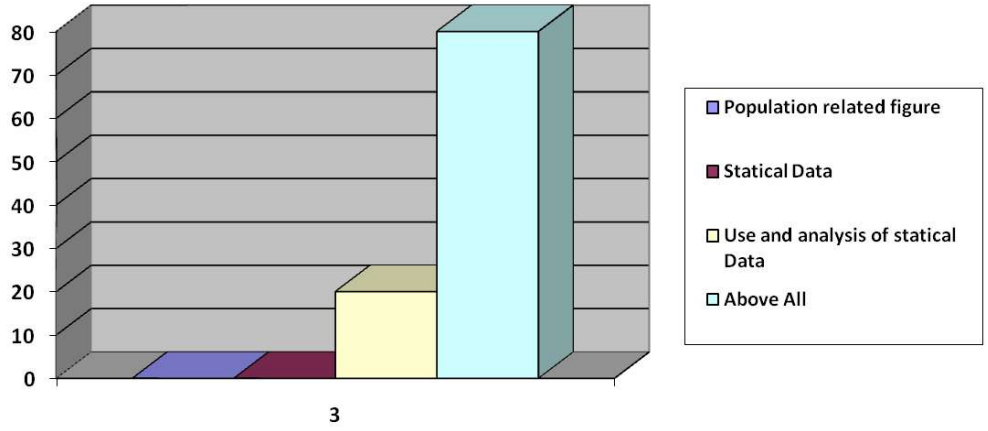

क्र0	प्रष्न	अवयव	प्रतिउत्तर प्रतिषत्
5.	जनसंख्या शिक्षा का उद्देष्य है।	जनसंख्या के विषय में जानकारी देना	20
		जनसंख्या विस्फोट के परिणामों से अवगत कराना	20
		परिवारों के मानक के प्रति वांछित दृष्टि कोण तैयार करना	20
		उपरोक्त सभी	40

ब्याख्या– प्रश्न कमांक 5 जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है के प्रतिउत्तर में लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने जनसंख्या के विषय में जानकारी देना, लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने जनसंख्या विस्फोट के परिणामों से अवगत कराना लगभग 20 प्रतिशत् शिक्षकों ने परिवारों के मानक के प्रति वांछित दृष्टिकोण तैयार करने पर अपना अपना मत प्रस्तुत किया है और लगभग 40 प्रतिशत् शिक्षकों ने जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य उपरोक्त सभी अर्थात जनसंख्या शिक्षा में जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों से अवगत कराना एवं परिवारों के मानक के प्रति वाछित दृष्टि कोण तैयार करना निरुपित किया है।

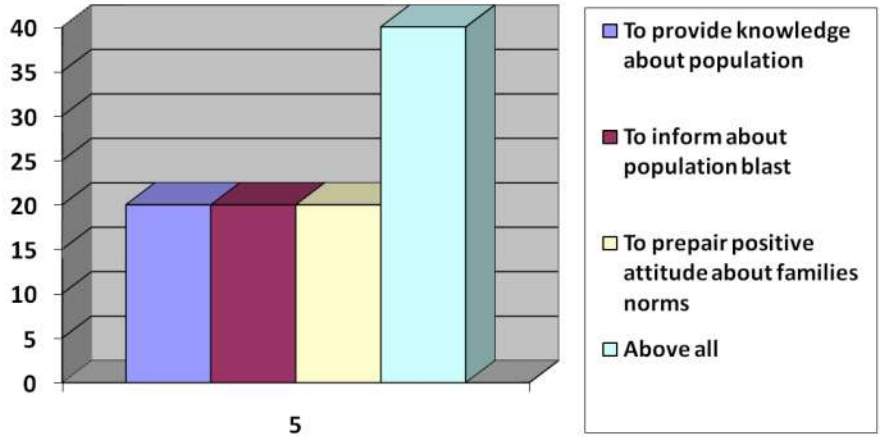

क	कथन	प्रतिउत्तर		
		हॉ प्रतिषत्	नहीं प्रतिषत्	अनिश्चित प्रतिषत्
1.	परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाना।	80	निरंक	निरंक
2.	जनसंख्या को षिक्षा का अभिन्न अंग बनाना।	100	निरंक	निरंक
3.	जनसंख्या षिक्षा के माध्यम से जन सामान्य को जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों से अवगत कराना।	100	निरंक	निरंक
4.	परिवार की सुख शान्ति व देश के विकास हेतु जनसंख्या शिक्षा के द्वारा चेतना जागृत करना।	100	निरंक	निरंक
5.	जनसंख्या शिक्षा का सामाजिक बुराईयों से निजाद दिलाने में मददगार होना।	80	निरंक	10

ब्याख्या– प्रश्न क्रमांक 6 जनसंख्या शिक्षा के लिए आवश्यक है के प्रतिउत्तर में लगभग 80 प्रतिशत् शिक्षकों ने परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यकमों को सफल बनाने, लगभग शत् प्रतिशत् जनसंख्या को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने, जनसंख्या शिक्षा के माध्यम जनसामान्य को जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों से अवगत कराने, परिवार की सुख शान्ति व देश के विकास हेतु जनसंख्या शिक्षा के द्वारा चेतना जागृत करने के विकल्पो में अपना अभिमत हॉ के रुप में दिया है और लगभग 80 प्रतिशत् शिक्षकों ने जनसंख्या शिक्षा का सामाजिक बुराईयो से निजाद दिलाने में मद्दगार माना है।

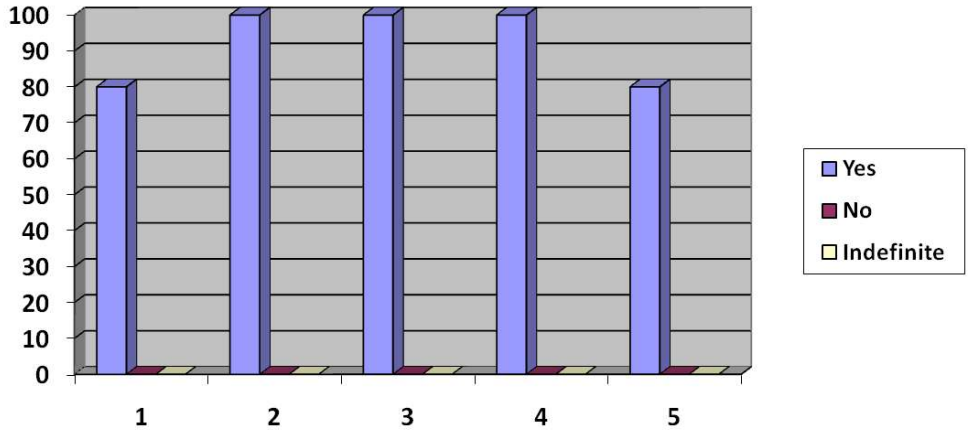

1. परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यकमों को सफल बनाना।
2. जनसंख्या को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना।
3. जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जन सामान्य को जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों से अवगत कराना।
4. परिवार की सुख शान्ति व देश के विकास हेतु जनसंख्या शिक्षा के द्वारा चेतना जागृत करना।
5. जनसंख्या शिक्षा का सामाजिक बुराईयों से निजाद दिलाने में मददगार होना।

निष्कर्ष एवं विवेचना –

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा शिक्षकों के जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरुकता का विश्लेषण करने पर प्राप्त जानकारी की विवेचना निन्नाकित है– विद्यालय में कार्यरत लगभग शत् प्रतिशत शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति पाई गयी। शिक्षकों के अभिवृत्ति एवं विद्यार्थियों के अभिवृत्ति में घनिष्ठ संबंध है।

यदि शिक्षकों की अभिवृत्ति जनंसख्या शिक्षा के प्रति सकारात्मक है और जनसंख्या शिक्षा को उनके द्वारा समर्थन दिया जाता है तभी विद्यार्थियों में भी जनसंख्या शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होगा।

समस्या का निदान –

क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता द्वारा शाला के शिक्षको की जनसंख्या शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुये इसके महत्व के ब्यवहारिक उपयोगिता से परिचित कराते हुये इसके आवश्यकतानुसार कक्षागत उपयोग को बल प्रदान किया गया।

रिपोर्ट एण्ड जर्नल :–

एडसिल, नई दिल्ली (2002), रीसर्च ए.सट्रेक्र इन प्राइमरी एजूकेशन भाग प्रथम एवं द्वितीय एडसिल नई दिल्ली।

बुच, एम. बी (1979), सेकेन्ड सर्वे ऑफ रीसर्च इन एजूकेशन सोसाइटी फार एजूकेशनल रिसर्च ए.ड डब्लपमेन्ट बरोदा,इण्डिया।

बुच, एम.बी., थर्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन बड़ौदा।

भारत सरकार (2000), सबके लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नयी दिल्ली।

शिक्षा की प्रगति (2001.04), शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश।

गवर्मेन्ट ऑफ इ.डिया, गवर्मेट प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली।

अध्ययन –

पाण्डेय, सुषमा, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ब्यवस्था, निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता

डॉ0 संजय शंकर मिश्रा*
डॉ0 शिप्रा दुवे**

प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियो ने यह स्वीकार किया है, कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास भी होना चाहिए। हमारे भारत में कहा गया है कि ''विद्या ददाति विनयम'' विद्या से विनय प्राप्त होता है। विनय के अंतर्गत शील, सच्चरित्रता आदि सब गुण आते है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के नैतिक व्यवहारों से है। सच्चरित्रता के अन्तर्गत शील और नैतिकता की वे भावनाएँ निहित हैं, जिसमें मनुष्य अपना सुख छोड़कर दूसरों को सुख दे, अपना स्वार्थ छोड़कर परमार्थ साधन करें और मन वचन तथा कर्म से किसी को कष्ट ना दे।

बहुत से शिक्षाशास्त्रियों ने नैतिक शिक्षा को चरित्र प्रधान शिक्षा माना है चरित्र समाज की नैतिक धारणा के अनुसार आंका जाता है । शिक्षा में चरित्र शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक चरित्र का विकास हमारे जीवन का और हमारी शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। यद्यपि अन्य देशों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है, कि चरित्र क्या है, व्यवहार में इसको कैसे प्रगर किया जा सकता है। अमेरिका में लोकतंत्र में चरित्र की पहचान के लिए दो परिक्षाएँ मान्य है (1) पहली तो यह कि क्या व्यक्ति अपने समाज के अधिकतम लोगों के हित के लिए जीवन–यापन करता है? यह तो सामाजिक परीक्षण है।

इसका उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन–यापन करता है वह देश का नागरिक है लोकतंत्र का केवल यह उद्देश्य है कि प्रत्येक पुरूष व स्त्री की भावना शुद्ध हो सभी सद्वृत्त हो।

(2) दूसरी यह है कि क्या वह व्यक्ति प्रसन्नता के साथ जीवन–यापन कर रहा है अर्थात् क्या जीवन की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार सटीकता के साथ अपने जीवन का मेल बैठा रहा है? जब तक शिक्षा के द्वारा यह समर्थकता नहीं उत्पन्न की जा सकती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन के साथ मेल बैठा पा रहा है तब तक शिक्षा का लक्ष्य सफल नहीं समझना चाहिए। इन परीक्षणों के अतिरिक्त और भी अनेक विशेष नैतिक उद्देश्य हो सकते हैं।

नैतिक व चरित्र शिक्षा के अंतर्गत उस समाज के नैतिक नियमों का पालन करना चरित्र का विशेष अंग होना चाहिए। इसका अर्थ है संयत रूप से शिष्टता के साथ स्वार्थ

** विभागाध्यक्ष , शासकीय ठाकुर रणमत प्रताप सिंह महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)
* अतिथि व्याख्याता बी.एड. विभाग अ.प्र.सिंहवि.वि.रीवा (म0प्र0)

छोड़कर अपने अन्य साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने से बड़ों का आदर करना व इस प्रकार को व्यवहार करना जिससे राष्ट्र व समाज गौरवान्वित हो सके।

नैतिक शिक्षा का अर्थ :– शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानवता के गुणों का विकास करना है। उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं जो नैतिकता को दृढ़ता प्रदान न करें।ऋग्वेद में कहा गया है, कि ''शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अभिमान रहित तथा आत्मविश्वासी बनाये''।

हरबर्ट ने शिक्षा के सम्पूर्ण को एक ही शब्द में प्रगट किया है वह है नैतिकता।

गॉधी जी ने कहा है वह शिक्षा की क्या जिसमें चरित्र निर्माण न हो और वह चरित्र ही क्या है जिसमें व्यक्तिगत परित्रता न हो।''

गॉधी जी के अनुसार ''मैंने हृदय की शिक्षा को अर्थात् चरित्र के विकास को हमेशा पहला स्थान दिया है.....चरित्र के विकास को शिक्षा की आधारशिला माना है। यदि बुनियाद पक्की है तो अवसर मिलने पर बालक दूसरी बाते अपनी ताकत से स्वतः जान सकते हैं।

विश्वविद्यालय आयोग (1948–49) :– जीवन के उच्चतर मूल्यों पर पर्याप्त बल देते हुए लिखा है यद्यपि देश की विशालता, आवागमन के सुगम साधन, अतुल सम्पत्ति,विस्तृत, शिक्षा प्रसार, सम्पति आदि अपने आप में महत्वपूर्ण है, किन्तु ये किसी देश की महान नहीं बनाते। हमे आत्मा को अतृप्त रखकर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए। तब हमारे बीच निष्क्रिय आत्मा वाले वैज्ञानिक एवं सुरूचिहीन तकनीक व्यक्ति होगें जिसमें नैतिकता न होगी और न होग कोई स्पष्ट ध्येय हागा। यदि हम अपने को सभ्य बताते हैं तो हमें असहायों व दुःखियों के प्रति सहानुभूति देश, धर्म, जाति, रंग से परे मानव भाई–चारा, शान्ति एवं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम नृशंसता के प्रति घृणा व न्याय के प्रति सतत् लगाव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि राधाकृष्णन् आयोग ने आज की परिस्थितियों की भविष्यवाणी की है।

शिक्षा में नैतिकता के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाने के कारण ही शिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगार है कार्यालय में भ्रष्टाचार है, नारियों का अपमान हो रहा है। वृद्धों की उपेक्षा की जा रही है, कमजोर पर अत्याचार हो रहे हैं तथा निर्धनता और निरक्षरता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में नैतिकता के महत्व को किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता। आज विज्ञान की प्रगति में परिणामस्वरूप पुराने रीति–रिवाजों परम्पराओं व अन्धविश्वास पर अधारित मान्यताओं के प्रति निरंतर जनमत परिवर्तित हो रहा है। अतः औपचारिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का केवल प्रचार–प्रसार ही पर्याप्त नहीं। अपितु मनुष्य के नैतिक विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। इसके लिए सकारात्मक परिस्थियॉ उत्पन्न करनी होगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव :– 1948–49 में डॉ. राधा कृष्णन् की अध यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इसकी राय थी की सभी शिक्षण संस्था का प्रारंभ प्रार्थना सभाओं से हो छात्र दो मिनट का मौन रखे।

● स्नातक वर्ष के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, व तृतीय वर्षो में छात्रों को क्रमशः भारत विभिन्न धर्मो के प्रमुख नेताओं विश्व के विभिन्न धर्मो के नेताओं व साहित्य व धार्मिक समस्याओं व दर्शन का ज्ञान छात्रों को कराया जाये। आयोग द्वारा किये गए यह सुझाव अप्रत्यक्ष रूप से मूल शिक्षा देने पर बल देते हैं।

धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा :–

1959 में डॉ. श्री प्रकाश की अध्यक्षकता में एक समिति का गठन हुआ जिसे धार्मिक व नैतिक शिक्षा समिति (Committee on Religion and moral Education- Shri Prakash) कहा गया है। इन्होंने सभी छात्रों में उचित आचरण की शिक्षा हेतु निम्म सुझाव दिए–

● शिक्षा के प्रत्येक कार्यक्रम में परिवार को उचित महत्व दिया जाए व उसके दोषों का उन्मूलन किया जाए।

● विश्वविद्यालय का प्रारंभ ईश विनय से किया जाए।

● प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे ग्रंथ रखे जाये जो छात्रों को धार्मिक मूल्यों का ज्ञान दे।

● शिक्षा द्वारा अच्छे आचरण की बातों पर बल दिया जाये व इसी आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाये।

● समाज सेवा पाठ्यक्रम सहगार्मी क्रियाओं का अभिन्न अंग हो।

● छात्रों में वाद–विवाद, स्वतंत्रता चिन्तन व आलोचनात्मक चिन्तन के गुणों का विकास किया जाये।

● विद्यालय के विभिन्न धर्मों के उत्सवों का सामूहिक अयोजन हो जिसके द्वारा छात्रों में वांछनीय नैतिक व आध्यामिक मूल्य विकास हो सके।

कोठारी शिक्षा आयोग का सुझाव :– 1964–1966 कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ व आयोग ने इस बात पर बल दिया था कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए और छात्रों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह नैतिक व आध्यामिक मूल्यों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रख सके। आयोग ने यह भी कहा कि आज के युवा में सामजिक व नैतिक मूल्यों के प्रति जो अवहेलनात्मक दृष्टिकोण है, उसके कारण ही सामाजिक व नैतिक संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कारण हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम शिक्षा व्यवस्था को मूल्य परख (Value Oriented) बनाए।

आयोग ने जो सुझाव दिये–

● केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन सभी विद्यालयों में नैतिक, सामाजिक व आध यामिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाये व निजी संस्थाओं में भी इसका अनुपालन करने की अपेक्षा की जाए।

• समय तालिका में इन मूल्यों से सम्बंधित शिक्षा के कुछ नियम निर्धारित किए जो किसी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा न लिए जाए वरन् विद्यालय के सामन्य आध्यापक इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करें।

• विश्वविद्यालय स्तर पर धर्म शिक्षा से सम्बंधित जो विभाग है, छात्रों व अध्यापकों की दृष्टि से साहित्य तैयार करें जिनके द्वारा इन मूल्यों का सकारात्मक विकास हो सके।

• सभी धर्मों के छात्रों के लिए ऐसी पाठ्य–पुस्तकों की व्यवस्था की जाये जो विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक व नैतिक मूल्य का तुलनात्मक ज्ञान करा सके।

1985–86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मूल्य शिक्षा के सम्बंध में तीन बाते कही गयी है, जो निम्न है–

• मूल्यों (सामाजिक व नैतिक) के विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाये जिसमें वह इन मूल्यों का विकास करने का सशक्त साधन बन सके।

• शिक्षा द्वारा सार्वभोमिक व शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाये जिससे वह ध ार्मिक कट्टरता, अहिंसा अन्धविश्वासों का दमन करे।

• मूल्य शिक्षा हेतु ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो मूल्यो का सकारात्मक विकास करे। इससे राष्ट्रीय विरासत व राष्ट्रीय लक्ष्यों पर बल दिया जाये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आदिकाल से ही नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया है पहले गुरूकुल में शिक्षा होती थी छात्र स्वतः नैतिक शिक्षा सीख जाते थे भारत स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों ने भी नैतिक शिक्षा पर जोर दिया है।

वर्तमान समय में भारत में नैतिक मूल्यों के विकास की आवश्यकता :–

आज वर्तमान समय में हमे व युवा वर्ग को भारतीय मूल्यों का ज्ञान तो है, परन्तु हम उनके प्रति अस्था नहीं रखते व मूल्य विहीन व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। आज हम सभी आधुनिकता की दौड़ में इतनी तीब्रता से चलना चाहते हैं कि हमारे मूल्य उस दौड़ में कही लुप्त हो रहे हैं। मूल्य परख व्यवहार न करने के लिए हमे आत्मग्लानि तो अवश्य होती है। परन्तु आधुनिक बनने की ललक के आगे हम घुटने टेक देते हैं इसे हम मूल्य अर्न्तद्वन्द (Value crisis) की संज्ञा दे सकते हैं अतः आज हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम नैतिक शिक्षा के द्वारा छात्रों को सही नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराए।

भारत में वर्तमान परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है। क्योंकि यह निम्न कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है–

देश के सुखद भविष्य के लिए–आज हम भारतवर्ष की स्थितियों का यदि अवलोकन करे तो हमें हम ओर भ्रष्टाचार नजर आएगा और इसी करण कभी–2 तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि यदि हम आज का भारत इतना भ्रष्टाचार है तो भविष्य का भारत कैसा होगा। मनुष्य जैसे–2 नगरीकरण व औद्योगीकरण की ओर उन्मुख हो रहा है वैसे–वैसे नैतिकता से दूर जाते जा रहा है। भारत में गॉव की अपेक्षा शहर में नैतिकता की समस्या अधिक है। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर ही स्वयं को केन्द्रित कर रहा है, और इन्हे प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर तक जा सकता है।

अतः छात्र–छात्राओं का प्राथमिक स्तर नैतिक शिक्षा आवश्यक रूप से देनी चाहिए कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति सभ्य व शालीन बने।

धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न अस्पृश्यता मादक दवाओं का सेवन, कालाबाजारी, कर चोरी राजनैतिक भ्रष्टाचार आदि विशेषताएँ उभर रही है, जिससे हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? यदि हमे छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए नैतिक शिक्षा की आश्यकता होगी क्योकि आज के छात्र ही कल के नागरिक बनेगें।

व्यक्ति के सुखद भविष्य के लिए– भारतवर्ष में शनैः–2 उपभोक्ता संस्कृति (Consumers culture) का विकास हो रहा है और व्यक्ति आने सुखद एवं ऐश्वर्य की हर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। आज का मनुष्य स्वकेन्द्रित होता जा रहा है। हमे यह नहीं भूलना चाहिए मनुष्य एक समाजिक प्राणी है व मनुष्य के व्यक्तित्व का वांछनीय प्रस्फुट बिना समाजिक वातावरण के सम्भव नहीं है इस कारण हमारे छात्रों को आज सामाजिक, नैतिक व आध्यमिक मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है। जिससे मनुष्य में अमानवीयता, अलगाववाद व संस्कृति–विहीनता से आपने आप को अलग रख सके। हर व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए उसे बड़ों का आदर करना चाहिए। व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए यदि आज हम अपनों से बड़ों का आदर मान सम्मान करेगें तो वही आदर हमें आगे आने वाली पीढ़ी से मिलेगा। भारत एक संस्कारों का देश है यहॉ छात्रों को पढ़ाई के साथ–2 अच्छे संस्कार भी सिखाने चाहिए। क्योकि हम जैसा व्यवहार स्वतः नहीं पसंद करते वह व्यवहार हम दूसरों से कैसे कर सकते हैं? अतः व्यक्ति को अपने व्यवहार में हमेशा संतुलन रखना चाहिए।

अनैतिकता की परख करने में सामर्थ्य के लिए :–नैतिक मूल्यों का विकास छात्र जीवन में परम आवश्यक होता है एक बालक उस आचरण का अनुपालन करता है जो उसे प्रारम्भ में अपने माता–पिता व अध्यापक से प्राप्त होते हैं। बालक यंत्रवत तरीके से यह व्यवहार सीखता जाता है। इस स्तर पर वह तर्क का सहारा नहीं लेता। यदि माता–पिता एवं अध्यापक का व्यवहार गलत है तो बालक उसे भी अपना लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालक को यह ज्ञात हो कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है क्या उचित है व कया अनुचित है। अच्छे–बुरे अनुचित–उचित का ज्ञान नैतिक मूल्यों की शिक्षा द्वारा सम्भव है। यह शिक्षा छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही देनी चाहिए जिससे व्यक्ति नैतिक–अनैतिक के मध्य अन्तर कर सके।

भौतिक व आध्यात्मवादी संस्कृति में समन्वयन हेतु :–हम ये जानते हैं कि मूल्य का निर्धारण समाज द्वारा होता है औ समाज एक परिवर्तनशील इकाई है। इसका अभिप्राय यह है कि समाज में विद्यमान मूल्य भी सामाजिक परिवर्तन के साथ बदले जाते हैं। भारतीय संस्कृति आदिकाल से आध्यात्मवादी दर्शन पर आधारित हे और इसी कारण हमने शिक्षा में

शुद्धता पवित्रता ईश्वर के प्रति आस्था व अच्छे आचरण का विकास कर सके। परंतु आज के वर्तमान युग में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य धीरे–धीरे भौतिकवाद की ओर खिंचा चला जा रहा है। भौतिकवादी दर्शन का मूल उद्देश्य ही धन कमाना व सुख–सुविधा का जीवन यापन करना। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भौतिकवादी व आध्यात्मवादी दर्शन के मूल्यों में मत भेद है और इन दानों ही मूल्यों की आज आवश्यकता है चूँकि न तो हम पूर्णतया भौतिकवादी हैं और न ही पूर्णतया आध्यात्मवादी। अतः नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है जो नैतिक मूल्यों का विकास करे जिससे हम इन दानों संस्कृति में समन्वय स्थापित कर सके व व्यक्ति को संघर्ष की परिस्थिति से बचा सके।

व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना :–मानव की यह कमजोरी होती है कि वह अपने आपको सुखी रखना चाहता है और जीवन पर्यन्त इस प्रयास में संलग्न रहता है कि वह अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाए। इस करण वह किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण अपनाने में संकोच का अनुभव नहीं करता। इसी कारण हमारे सामने चरित्र ह्रास (Character crisis) की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि व्यक्ति को हम प्रारम्भ से ही व्यवहार करना सिखायें जो मूल्य की कसौटी पर उचित है तो वह जब भी कोई व्यवहार करके अपने आचरण को सही दिशा प्रदान करेगा। नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक सच्चाई ईमानदारी करुणा आदि मानवीय गुणों को सीखेगा व उन्हें व्यवहार रूप में अपनें आचरणमें उतारने का प्रयास करेगा। बाल अपराध की संख्या में कमी लानें के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है जिससे की दिल्ली का निर्भया कांड फिर न हो पाए।

भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए :–आज हम देखते हैं कि छात्र–छात्राओं की बड़ी संख्या पढ़–लिखकर विदेश की ओर गमन कर रहे तो हमें अपने छात्र–छात्राओं को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे देश से लेकर विदेश तक अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति ना भूले और इससे देश में भी भारत की एक अमिट छाप सके। अतः इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को भारतीय शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

बचपन से रखी जाए नींव :–शिक्षाविद रमेश जोशी के अनुसार यू तो बच्चे की पहली पाठशाला घर होती है जहॉ बच्चा विद्यालय जाने से पहले ही बहुत से संस्कार आदतें एवं मूल्य सीख जाता है जो उसे अपने माता–पिता दादा–दादी रिश्तेदार एवं पड़ोस से मिलते है। जब वह विद्यालय जाता है तो उसे एक बड़ा परिवार मिलता है जहॉ उसे घर पड़ोस में सीखे हुए मूल्यों से अंतः क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप वह एक सामाजिक राष्ट्रीय वैश्विक और अंततः शाश्वत मूल्यों के संसार में प्रवेश करता है। धर्म कर्तव्य का ही पर्याप्त है लेकिन आजकल दुनिया में धर्म के नाम पर कुटिल राजनीति अपराध व आतंकवाद का जो गठजोड़ बनता जा रहा है उसे देखते हुए धर्म के संकुचित और कर्मकांडी रूप से विधालयों की नैतिक शिक्षा के पाठ्य क्रम को सावधानी से बचाया जाना चाहिए।

सभी धर्मो मे है नैतिक शिक्षा :–संसार के सभी समाजों में नैतिकता उससे सम्बंधित सत्य कथाएं साहित्यिक कहानियां कविताएं नाटक आदि हैं जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हमने नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त भी पाठ्क्रम में विभिन्न धर्मों उनकी शिक्षाओं देश व समाज की रचनाए पढ़ी है। ऐसा अध्ययन हमें सहिष्णु व उदार बनाता है। जिन समाज में कट्टरता पायी जाती है। उसका कारण यह है कि वहॉ के बच्चों को किसी भी प्रकार से दुनिया के अन्य धर्मों समाजों व जन जीवन से परिचित नहीं कराया जाता है। आज जिस तरह से सारी स्कूल शिक्षा नम्बरों व्यवसायिक शिक्षा का खेल हो गई है उसमें नैतिकता के लिए कोई स्थान बचा हुआ दिखता ही नहीं। एक अच्छे इंजीनियर डॉक्टर नेता उद्योगपति को अपने विषय या व्यवसाय के अतिरिक्त जीवन के सत्य एवं मूल्यों का ज्ञान नहीं होगा तो वह विध्वंसक और असमाजिक और यहॉ तक की समाज विरोधी भी हो सकता है। समाज एवं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है जिसको पाने के लिए लोग अनैतिक काम करते हैं।

व्यवसाय में नैतिकता :–कोई भी व्यवसाय करें उसमें नैतिकता आवश्यक है क्योकि अंततः समाज देश दुनिया और खुद व्यक्ति को सुखी बना सकती है संतोष और यश प्रदान कर सकती है। हम भूल जाते हैं दुनिया छल कपट से भरी है फिर बच्चों को नैतिकता सिखाकर क्या होगाघ एक छोटी सी घटना सही समय पर सुने दो शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते की बच्चे किस गंभीरता से बातों को लेते है और किस गहराई तक उनमें प्रभावित होते हैं। हमारे देश के महान महापुरुष जैसे गॉधी जी, दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद आदि ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिली नैतिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही अपने जीवन की दिशा पायी थी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही महापुरूषों के नक्शेकदम पर चले तो उनकी नैतिकता की नीव मजवूत करनी होगी।

परिवारिक वातावरण एवं नैतिक शिक्षा :–बच्चा जब मॉ के गर्भ में होता है तभी से बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रारम्भ हो जाता है। माता–पिता का खानपान व व्यवहार का प्रभाव गर्भ में रहने वाले बच्चे पर पड़ता है। एक अपराधी के जीवन का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उसके घर में परिवरिक कलह शुरू से ही थी।

पालन–पोषण एवं मानसिक स्वास्थ्य :–जिस बच्चे का पालन–पोषण उचित रीति से उचित समय में उचित रूप से होता है उसी बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक जीवन स्वास्थ होता है। सभी मनोविश्लेषकों ने प्रथम 5 वर्ष तक के बच्चों के अध्ययन से यह स्वीकार किया है। कि बालक के पालन पोषण से उसके व्यवहार एवं व्यक्ति में गहरा असर होता है। परिवार में अनुशासन भी बच्चों के शरीरिक व मानसिक जीवन व नैतिक जीवन में अनुशासन अच्छा रहता है परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भाव होता है ऐसे परिवार के सदस्यों का आगे जाकर सामाजिक जीवन भी उच्च होता है।

अत्याधिक नियंत्रण बच्चे के मानसिक स्वास्थ को विकृत कर देता है व नैतिक गुणों की कमी होती है। बाल अपराध एवं नैतिक शिक्षा–सामाजिक ताने–बाने में हो रहे बदलाव का बड़ा घातक असर किशोरों में हुआ है। भारत में लगातार बाल अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्योरो (एन सी आर बी) के आंकड़ों के अनुसार अलग–अलग अपराधों के लिए गिरफ्तार नाबालिगों में 86 फीसदी बेहर गरीब परिवारों से है। 8 फीसदी बेघर हैं। और 6 फीसदी से कम किशोरियॉ अपराध में लिप्त हैं।

वर्तमान 19 वर्ष में 288 फीसदी बाल अपराधियों की वृद्धि हुई है। 2003 से 2013 के बीच करीब 379283 नाबालिग अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें से 8392 अनपढ़ थे जबकि 13984 अपराधी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके था। 2013 में गिरफ्तार कुल 35244 नाबालिग अपराधियों में से 5800 अपराधी अपने परिवार के साथ रहते थे। म0प्र0 व महाराष्ट्र में सबसे अधिक किशोर अपराधी 2003 से 2013 तक म0प्र0 में 75037 किशोरों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में 72,154 को गिरफ्तार किया गया।

वर्तमान में पढ़े लिखे अच्छे घर किशोर भी बाल अपराध में संलग्न है। कहीं–कहीं माता–पिता अपने बालक–बालिकाओं के अपराध में पर्दा डाल देते हैं। अब नया संशोधित कानून आया है जिससे कि नाबालिक अपराधी को भी बालिग अपराधियों की श्रेणी में रखा जाएगा। नाबालिग बालकों द्वारा अनेक प्रकार के गंभीर अपराध दिन–प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। बालकों द्वारा इस प्रकार के कृत्य से सम्पूर्ण समाज कलंकित होता है। दिल्ली का निर्भया काण्ड इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। देश में 16 से 18 वर्ष की उम्र में किशोर गंभीर अपराध के मामले में से 16 साल के किशारों पर भी आई.पी.सी. के सामान्य कानूनों के तहत कार्यवाही होगी।

इस प्रकार किशोर न्याय संशोधन विधेयक से किशोरों में अपराध के प्रति भय रहेगा। इससे किशोरो द्वारा किये जा रहे अपराधो पर लगाम लगेगी। क्योकि किशोरों द्वारा जो अपराध किया जायेगा उसके लिए उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा इस प्रकार किशोरों किये जा रहे अपराधों में कमी आयेगी।

लेकिन जब प्रत्येक बालक एवं बालिका अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझेगे तब तक सुधार कि सम्भावना कम है। अतः हमें नवयुवकों में नैतिक गुणों का विकास सर्वप्रथम करना चाहिए। इसकी शुरुआत घर परिवार एवं विद्यालय से की जा सकती है।

''जब बीज अच्छा बोयेंगे तब अच्छी फसल काटेंगे।''

अर्थात् जब हम आस पास का वातावरण व संस्कार अच्छे देंगे तो युवा स्वतः ही अपराध ा से दूर रहेगा। सर्वप्रथम बालको को अच्छे बुरे कि पहचान करना सिखाना चाहिए।

हमें छात्र क्षात्राओं में नैतिकता का विकास करना होगा निम्न बिंदुओं का पालन करके क्षात्र अपना जीवन सफल बना सकते हैं।

1. सत्य।
2. अहिंसा।

3. अस्तेय।
4. ब्रम्हचर्य।
5. अपरिग्रह।
6. आत्मनियंत्रण।
7. संतोष।
8. स्वाध्याय।
9. तप।
10. ईश्वर प्रणिधान।

निष्कर्ष :–

आज हम दावे के साथ कह सकते हैं मानव मूल्यों का ह्रास हुआ है। नाश नहीं वे वास्तव में दबा दिए गए है उनको विनष्ट नहीं किया गया है इस कारण आज आवश्यकता इस बात की है कि इन मूल्यों का पुनः उजागरण किया जाए। मूल्य संकट कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके कारण समझे जाए। जैसा आज हमें देख रहे हैं बाल अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को घर से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाय। नवयुवकों को स्कूल में विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से जागृत किया जाए व घर विद्यालय दोनों स्थान में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि बालक बालिकाएँ अपनी बात आसानी से रख सके। बच्चों से मित्रवत् व्यवहार करे। तथा उन्हें समझाये कि ये समय अपने भविष्य को सवारने का है सारी शक्ति अपने उज्जवल भविष्य की ओर केंद्रित करे अन्य किसी समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रहे व नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े।

संदर्भ

1) प्रो. डॉ. नीता त्यागी, नैतिक शिक्षा, साहित्य प्रकाशन आगरा

2) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण्, क्राइसेस ऑफ करेक्टर

3) डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा, डिस्कवरी पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली।

4) डॉ. सरोज सक्सेना, शिक्षा के सिद्धांत, साहित्य प्रकाशन आगरा।

5) डॉ. एस. एस. माथुर, शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।

6) दैनिक भास्कर अखबार, 15.03.2015

7) पत्रिका दैनिक अखवार, 03.04.2015

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

इतिहास लेखन में व्यक्तिनिष्ठता की समस्या

डॉ. पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

मनुष्य का इतिहास विकास की प्रक्रिया पर आधारित है जिसकी वजह से समय–समय पर सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों में भी बदलाव होता रहा है। यही कारण है कि भिन्न–भिन्न काल के विद्वानों और इतिहासकारों ने अपनी आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए इतिहास लेखन की ओर ध्यान दिया है। लोगों की यह मान्यता है कि कोई भी अध्ययन या तो व्यक्तिनिष्ठ होता है अथवा वस्तुनिष्ठ। जब व्यक्ति को विषय बनाते है तो वह अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत का होता है और जब वस्तु को विषय बनाते है तो वह अध्ययन विशुद्ध विज्ञान का होता है परंतु यह सोच सर्वथा भ्रामक है। अध्ययन विषय विज्ञान का हो अथवा सामाजिक विज्ञान का, दोनों में ही व्यक्ति और वस्तु को लिया जा सकता है।1हां यह अवश्य सोचने का विषय है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व दुनिया में कभी भी एक तरह का नही मिलता, इसीलिए व्यक्ति को जिसमें अध्ययन का विषय बनाते है उसमें प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक नही होते होगे।

इतिहासकार एक सामाजिक प्राणी है। उस पर अपने देश, जलवायु और वातावरण का प्रभाव होता है। धर्म व जाति के बंधन भी उसे अपने में जकड़े रहते है। वह चाहते हुए भी उनसे मुक्त नही हो पाता। यही कारण है कि भिन्न–भिन्न इतिहासकारों ने अलग–अलग ढंग से समाज के चित्रण और मानव की उपलब्धियों का आंकलन किया है जो इतिहास की वस्तुनिष्ठता के समीप लाता है।

इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता के संबंध में शोधार्थियों को एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि समस्त उपलब्ध साक्ष्यों को विषयपरकता के आधार पर लिपिबद्ध किया जाता है। प्राचीन और मध्यकाल में अधिकांश विद्वान एवं इतिहासकार राजदरबार से संबंधित होते थे। उनका लेखन कार्य पूरी तरह राजदरबार से संबंधित विषय होते थे जिनके माध्यम से वे अपने संरक्षक और स्वामी के गुणगान को ही अपना कर्तव्य मानकर इतिहास लिखते थे। उनके लेखन में कोई वस्तुनिष्ठता नही होती थी। वे पूरी तरह विषयनिष्ठता के आधार पर अपना कार्य सम्पन्न करते थे जिसमें स्थान–स्थान पर पक्षपात और भेदभाव स्पष्ट रुप से दिखायी देता है।2उदाहरण के लिए इतिहासकार डॉ. आगा मेंहदी हुसैन ने ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के संबंध में जूनाखॉ (मुहम्मद बिन तुगलक) की निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए प्राकृतिक आपदा को उत्तरदायी माना है।

---

* प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा .र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

राज्यों के ऊपर आश्रित लेखक एवं विद्वान तथ्यों और कल्पना का मिश्रण इस प्रकार करते थे कि पाठकों के लिए उसे ध्यानपूर्वक समझ पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता और वे कोई परिणाम निकाल पाने में भी असफल रहते थे। यही समस्या आज भी आधुनिक विद्वानों को परेशान कर रही है।3 बी.शेख अली के अनुसार एक इतिहासकार और वैज्ञानिक में बहुत अंतर होता है। वैज्ञानिक के पास एक प्रयोगशाला होती है जबकि अपनी विषय संबंधी जिज्ञासाओं की संतुष्टि के लिए इतिहासकार पुस्कालय पर निर्भर करती है।

इतिहासकार का व्यक्तित्व साहित्यकार की तरह उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से स्पष्ट होता है। उसकी आंतरिक चेतना, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत रुचि ओर भावना का दिग्दर्शन उसके वर्णन में पाया जाता है जो पूरी तरह से विषयपरक कहा जा सकता है। वस्तुनिष्ठता के नाम पर इसे छिपाना एक विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण कार्य रहेगा। इतिहास का लेखन तर्क प्रधान न हो कर भाव प्रधान होता है क्यांकि हाड़मांस के बने लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उसके द्वारा लिखित पन्नों में होती है जिसमें भावों की प्रधानता को पृथक करके उसे वस्तुपरक नही बनाया जा सकता है।

विषय का चयन एक इतिहासकार अपनी रुचि एवं इच्छानुसार करता है। चाहे घटनाओं का मुल्यांकन कितना ही पक्षपात रहित हो परंतु इसका सारांश उसके अपने ही होते हैं अब क्योंकि इतिहास के लेखन में इतिहासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति स्पष्ट रुप में दिखाई दे जाती है। इस वजह से इतिहास वस्तुनिष्ट न हो कर विषयनिष्ठ होता है। इसी कारणवश सर यदुनाथ सरकार एवं फारुखी का औरंगजेब के प्रति दृष्टिकोण परस्पर विरोधी है और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटना को भी भारतीय और अंग्रेजी इतिहासकारों ने अलग–अलग तरीके से सामने रखा है जो विषयनिष्ठता का ही स्पष्ट प्रमाण साबित होता है।4इतिहासकार के लेखन में समय और तत्कालीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति होती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वह अपने युग के व्यक्तियों को संबंधित करता है जिसका वह खुद भी एक सदस्य होता है।

इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। समय लेखक को और लेखक तत्कालीन समाज को प्रभावित करता है। अतः विषयपरकता इतिहास का एक सामान्य सा लक्षण है। एक इतिहासकार को बीते समय की धारणा से अपने आप को मुक्त करके आज में जीना चाहिए। एक इतिहासकार की भूमिका इतिहास के निर्माण में पूरी तरह वस्तुपरक इतिहास को नकारना नहीं है। इसीलिए इतिहासकार अपने दृष्टिकोण के अनुसार तथ्यों की व्याख्या करता है जो विषयपरकता को बताती है।

मुख्य रुप से इतिहास मनुष्य और उसके द्वारा किए गए कार्यो से संबंधित वर्णन है, पर उसके द्वारा किए गए वही कार्य इतिहास की श्रेणी में आते है जो महत्वपूर्ण, पूरे एवं अद्वितीय होते है। व्यक्ति के द्वारा महत्वहीन कार्यो को इस इतिहास के अंतर्गत नहीं रखते है। संक्षेप में इतिहास की विषयवस्तु के संबंध में इतिहासकारों का दृष्टिकोण जिसमें समय के साथ–साथ इतिहासकारों की नजर में इतिहास की विषय वस्तु सदैव बदलती रहती है

और द्वितीय विषय वस्तु की दार्शनिक अवधारणा है। कालिंगवुड के अनुसार भूतकाल का ज्ञान मानव के मस्तिष्क का ज्ञान है वह अतीत के कार्यो को वर्तमान के संदर्भ में देखता है।5

इतिहास लेखन में व्यक्तिनिष्ठता की समस्या बनी ही रहती है। इतिहासकार चाहे कितना ही निष्पक्ष हो पूरी तरह से वस्तुपरक नही हो सकता क्योंकि उसको लिखने वाला अपने ही हाड़मांस के बने मानव से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। राजदरबार से संबंधित या प्रभावित होकर लिखना, राज्यों के ऊपर आश्रित लेखक का होना, लिखित ग्रंथ में इतिहासकार का व्यक्तित्व दिखाई देना, इच्छानुसार विषय चयन और लेखन का तत्कालीन परिस्थितियों से ग्रसित होना आदि ऐसी समस्याएँ है जिनको छोड़कर लिखना एक इतिहासकार के लिए चुनौती भरा रहता है। यही वजह है कि इतिहास को लिखने में व्यक्तिनिष्ठता की समस्या आज भी है।

संदर्भ ग्रंथ

1. सिंह, परमानंद, इतिहास दर्शन, 1996, पृ. 283
2. खुराना, बंसल, इतिहास लेखन धारणाएँ एवं पद्धतियाँ, आगरा, 2008, पृ. 63
3. खुराना, बंसल, इतिहास लेखन धारणाएँ एवं पद्धतियाँ, आगरा, 2008, पृ. 64
4. चौबे, डॉ. झारखंड, इतिहास दर्शन
5. ई. श्रीधरन, इतिहास लेख (500 ई0 पूर्व से 2000 ई0) हैदराबाद

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

विद्यार्थियों की बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में योगाभ्यास का महत्व

डॉ. सुधा सोनी

किसी भी देश के विकास का आधार उस देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। युवा ही भविष्य में अपने देश, काल एवं समाज का प्रतिनिधित्व करते है। ये अपनी रीति, परम्पराओं एवं अपने सामाजिक मूल्यों को आगे ले जाने वाले होते हैं। अतः इसके लिये शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जो इन मूल्यों को एक साथ लेकर आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकती है।

संचार क्रांति के इस युग में शिक्षा तथा शैक्षिक प्रक्रिया दोनों के अर्थ बदल रहे हैं। सनातन काल से ही शिक्ष का लक्ष्य मानव का निर्माण रहा है। बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने ज्ञान का विस्फोट तथा विज्ञान का प्रसार किया और इसका एक भयावह पक्ष यह उभर रहा है कि शिक्षा, व्यक्ति केन्द्रित होती जा रही है। इसका परिणाम एक सुखद समाज के निर्माण मे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इस विकट समस्या का समाधान शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है।

शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को सभ्य व सुसंस्कृत बनाकर उसे समाज व राष्ट्र का एक उपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है। स्किनर के शब्दों में – ''शिक्षा–मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा–मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है, जिनका उत्थान, विकास और निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है।'' शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। मानव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक समय उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। मानव का अस्तित्व बिना शिक्षा के इस प्रकार है, जैसे बिना पतवार के नाव। टैगोर के शब्दों में – ''सर्वोच्च शिक्षा वह है, जो हमें केवल सूचनायें ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और सम्पूर्ण सृष्टि में एकरसता पैदा करती है।''

(2) सीखने–सिखाने की सप्रयोजन युक्त सतत् प्रक्रिया ही शिक्षा है। स्पष्ट है कि शिक्षा नवजात असहाय शिशु का सर्वांगीण विकास करके उसे अपने जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने योग्य बनाती है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में – ''हमें

प्राध्यापक, इतिहास, शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।''

शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश को पाकर मानव जीवन कमल के समान खिल जाता है, तथा उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है।

अधिकांश व्यक्ति बुद्धि को किसी स्थूल वस्तु के रूप में देखते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप में समझा जा सकता है, जबकि बुद्धि वास्तव में अमूर्त होती है, जिसे छूकर या देखकर नहीं समझा जा सकता है, वरन् इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जाना जा सकता है। टर्मन के शब्दों में – ''व्यक्ति उतनी ही मात्रा में बुद्धिमान होता है, जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है।''

शैक्षिक दृष्टि से यदि देखा जाये, तो बालक की बुद्धि स्तर का अलग– अलग होना उसकी शैक्षिक उपलब्धि को भी प्रभावित करता है। शैक्षिक उपलब्धि से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। फ्रीमेन के शब्दों में – ''शैक्षिक उपलब्धि किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध या कौशलों का मापन करती है।'' इस प्रका हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये छात्र द्वारा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से पूर्व अर्जित ज्ञान या कौशल ही शैक्षिक उपलब्धि है। अर्थात् किसी निश्चित समयावधि में एक या अनेक विषयों में छात्रों के ज्ञान, समझ एवं कुशलता का मापन करता है।

(3) वर्तमान समय में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में आती कमी तथा परस्पर प्रतियोगिता, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुये आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे छात्र तैयार करें, जो समाज के अच्छे नागरिक बनने के साथ–साथ उपयोगी सदस्य भी बन सकें। इस हेतु आवश्यक है कि उनकी बुद्धि स्तर के अनुरूप वातावरण तैयार किया जाये, ताकि उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार संभव हो सके। अतएव वर्तमान समय में विद्यार्थियों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में योग को समाहित करने की आवश्यकता है।

येाग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के धृज धातु के घअ प्रत्यय से हुई है। जिसका अभिप्राय है जोड़ा। योग वैदिक संस्कृति में शरीर को स्वस्थ रखने की प्राचीन विद्या है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हमारा शरीर तभी संयमित होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है। योग मन के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखता हैं। जिससे बुद्धि का विकास होता है। अच्छे संस्कारों का जीवन में समावेश होता है जो अभ्यास के द्वारा हमारी आदतों का निर्माण करते है। मन, बुद्धि और संस्कार से ही आत्मा निर्मल और पावन बन जाती है। सच्चे ज्ञान द्वारा व्यक्ति जीवन की सार्थकता को समझने में समर्थ होता हैं। इसलिये योग शिक्षा की आवश्यकता एवं योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की महती आवश्यकता है। ताकि सही अर्थों में शिक्षा के

उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मनुष्य सही अर्थों में शिक्षित हो सके। क्योंकि योग शरीर को केवल स्वस्थ ही नहीं रखता अपितु शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी बलवान बनाता हैं किन्तु योग की सहज और वास्तविक विधि का ज्ञान न होने के कारण मानव मन की सच्ची शांति से वंचित हो जाते हैं और जीवन के अनमोल क्षणों को गंवा देते हैं।

हमारे मनीषी योग शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे इसी कारण प्राचीन काल में आश्रमों एवं गुरूकुलों में शिक्षार्थियों को योग शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में चित्त की एकाग्रता हेतु ध्यान धारणा तथा प्राणायाम एवं आसन की उपयोगिता आवश्यक है। योग तभी लगता है जब मनुष्य

(4) अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निश्चित करे। इसलिये सबसे पहले हमें निश्चय अर्थात् दृढ़ विश्वास करना होगा। क्योंकि मनुष्य निश्चय ही उसके मन, वचन और कर्म का नेता है। मनुष्य जब बुद्धि से किसी चीज को अच्छा या बुरा निश्चय कर लेता है तब उसका मन उस चीज को प्राप्त करने या छोड़ने का चिन्तन करता है और उसे प्राप्त करने या छोड़ने के विचार से ही वह कर्म का निर्धारण करता है। इसलिये योगाभ्यास मन, वचन औरक र्म को ईश्वर की ओर लगाने का दूसरा नाम है। हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने दैनिक क्रिया में पूजा–प्रार्थना को आवश्यक रूप से शामिल करते हैं किन्तु उसके वास्तविक लक्ष्य को नहीं समझते क्योंकि हमारी पूजा प्रार्थना में कहीं न कहीं लोभ और मोह जैसे विकास शामिल होते हैं। ये विकार मनुष्य के मन को विषैला बनाते हैं। जो आदि मध्य और अन्त तक दुख देने वाले होते हैं। यही विकार हमारी चित्त की एकाग्रता को भंग करते हैं। इन्हीं विकारों के कारण शोक और रोग का जन्म होता हैं। रोगी जीवन दुखदायी होता है। इसलिये पुरूषार्थ का निश्चय कर स्वयं को अव्यक्त आत्मा पर दृढ़ होना आवश्यक है।

मनुष्य स्वयं को देह (शरीर) समझ कर भौतिक सुखों के भंवरजाल में फंसता जाता है। क्योंकि वह अल्प सम्पत्ति की प्राप्ति अथवा दैहिक सुख को ही अपने जन्म सिद्ध अधिकार समक्ष बैठता है और वास्तविक शान्ति को खो देता है। जबकि वास्तविक शान्ति परमात्मा से सम्बन्ध ;ब्वददमबजपवदद्ध जोड़ने से प्राप्त होती है। जब हम सर्वशक्तिमान तथा कल्याणकारी परमात्मा को अपना माता–पिता बन्धु सखा, शिक्षक, गुरू निश्चय करते हैं। उन श्लोकों को सच्चे अर्थों को समझ पाते हैं योगाभ्यास के लिये यह निश्चय भी आवश्यक है। इसलिये हमे निश्चय करना पड़ेगा कि हम सभी एक परमपिता परमेश्वर की सन्तान हैं। लेकिन हमारा निश्चय तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक हमारे अन्दर समर्पण का भाव नहीं आयेगा। अर्थात् तन, मन और धन सब परमात्मा का है। तभी मनुष्य की आसक्ति मिटती है। योगाभ्यास तभी संभव होगा जब व्यक्ति अपने आपको एक निमित्त (ट्रस्टी ज्तनेजमम) अर्थात् एक न्यासी माने और सब कुछ प्रभु को अर्पण कर अनासक्त भाव से कर्म करे हमें घर परिवार सम्पत्ति का सन्यास नहीं करना बल्कि इनसे आसक्ति का

(5) सन्यास करना है। केवल इनसे ही आसक्ति का त्याग नहीं करना बल्कि अपने तन से भी आसक्ति को हटाना हैं क्योंकि भौतिक वस्तुओं का नाश होता है।

योग के लिये मन की सरलता बहुत आवश्यक है। कुटिल व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, उसके योग का अभ्यास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता।

योगाभ्यास का अर्थ ही परम पवित्र परमात्मा पर मन को एकाग्र करना और ईश्वरीय गुणों अथवा सम्बन्ध का मनन करना है। जो व्यक्ति अपवित्रता की बात सोचता है, बोलता है, उसका ध्यान आसुरी कर्म से ही लगा रहता है। इसलिये मन को अनुशासित करने के लिये ब्रम्हचर्य व्रत भी आवश्यक हैं। ब्रम्हचर्य के बिना मनुष्य में न तो स्मृति स्थिर हो सकती है और न ही सहनशीलता तथा समत्व की भावना आ सकती है। इसलिये सात्विक आहार का विशेष महत्व हैं क्योंकि आहार का मनुष्य के विचार से गहरा सम्बन्ध होता है। मनुष्य जैसा आहार लेता है उसका मन वैसा ही सत्व बनाता है और सतोगुणी अर्थात् पवित्र भोजन करने से उसकी बुद्धि पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है अर्थात् उसके मन की एकाग्रता भी वैसे विषयों पर होती है। स्मृति ही सहज समाधि है स्मृति अर्थात् परमपिता परमेश्वर की याद बनी रही इससे आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है। स्मृति को ठीक तरह ईश्वर में लगाने से संसार की स्थिति बदल जाती है। स्मृति में कुछ बातें अवश्य होनी चाहिये कि मैं कौन हूं ? कहां से आया हूं ? मुझे कहां कब और कैसे जाना है ? संसार से मेरा वास्तविक समबन्ध ा क्या है। मेरी प्रथम स्थिति कैसी थी आज क्या स्थिति है मुणे इस स्थिति से क्या लाभ है यदि इन बातों की स्मृति बनी रहे तो उसका मन योग स्थित हो जाता है।1

स्मृति में परमात्मा की याद बनी रहे इसे लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान तो होना ही चाहिये। यदि इन कर्तव्यों को वह न जाने तो अशान्ति फैलती है, चाहे घर के प्रति हो या देश के प्रति, कार्यक्षेत्र के प्रति अथवा समाज के प्रति कर्तव्य की भावना हो यदि

(6) इसका भान ठीक प्रकार से नहीं है तो मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता सबमें बाधा पहुंचती है।

योग अहिंसा की धारणा को अच्छी तरह सिखाता है। चाहे परिस्थिति कितनी ही विषम क्यों न हो व्यक्ति में यह धारणा बनती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य नहीं करता तो हम अपने कर्तव्य को क्यों छोड़े। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अहिंसक ही होता है। उसके अहिंसा के परीक्षा तो तभी होती है जब हिंसा की संभावना वाली परिस्थिति आती है। ज्ञानी व्यक्ति के शस्त्र प्रेम, मधुर भाषा, सहनशीलता आदि है। इसलिये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि – हे वत्स कर्म या कर्तव्य क्या है ओर किस कर्म की क्या गति है, इस प्रश्न पर तो पण्डित जन भी असमंजस में पड़े हुये है, उनकी बुद्धि भी मोहित है। अतः तू कम्र, अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान स्वयं मुझसे प्राप्त कर और कर्मचारी बन।2

सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके धर्म में आत्मा और देह दोनों के अलग–अलग अस्तित्व बोधित है और कर्म के अनुसार पुर्न जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। महर्षि पतंजलि ने आत्म साक्षात्कार का वैज्ञानिक मार्ग दिखाया है। जिनके

दर्शन पर वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुये 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। भारतीय दर्शन और विाचरधारा में तन, मन, आत्मा, मुक्ति और तप की अलग–अलग साधनायें निरूपित हो गई। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। योग आठ अंगों से मिलकर बनी हुई रचना है।

(1) बहिरंग

(2) अन्तरंग

यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान सभाहायोष्टावड़गानि।3

महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में व्यक्ति के पूर्ण धर्म के सारे तत्व मौजूद हैं। उनकी विचारधाराओं, क्रियाओं में पूर्ण वैज्ञानिकता है, एक अद्‌भुत सामंजस्य समाधान और तारतम्यता है। जो हर कसौटी पर खरा उतरता है। योग

(7) मानव मात्र के कल्याण के लिये आवश्यक है। यह एक मार्ग है, सम्प्रदाय या धर्म नहीं है।

युक्त हार विहारस्य युक्त चेस्टस्य कर्मसु

मुक्सवप्नाव बोधस्य योगों भवति दुखहा।।4

बहिरंग – (1) यम (2) नियम (3) आसन (4) प्राणायाम (5) प्रत्याहार

अन्तरंग – (1) ध्यान (2) धारणा (3) समाधि

यम – सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रम्हचर्य

नियम – शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान

आसन –

(1) बैठकर किये जाने वाले

(2) खड़े होकर किये जाने वाले

(3) लेटकर किये जाने वलो आसन

प्राणायाम – नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जायी, सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लावनी

प्राणिधान – ईश्वर के प्रति समर्पण ये बहिरंग और अन्तरंग अष्टांग योग विद्यार्थियों को चार प्रकार की स्वस्थता प्रदान करते हैं। मानसिक स्तर की, शारीरिक स्तर की, बौद्धिक स्तर भी तथा आध्यात्मिक आंतरिक शांति। इनके द्वारा हम सांसों की गति को अपनी इच्छानुसार संतुलित कर सकते हैं।

योग के महत्व को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। यह हमारे देश के लिये गर्व की बात है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. सहज राजयोग कर्मयोग और निर्विकल्प समाधि जगदीश चन्द्र पृ0 22 प्रकाशक – साहित्य विभाग प्रजापिता ब्रम्हा कुमारीज ईश्वरीय वि0 वि0 19/17 शक्ति नगर, दिल्ली

2. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार – डॉ0 सरोज सक्सेना, साहित्य प्रकाशन आगरा पृ0 26
3. श्रीमद् भागवत गीता 6–77
4. स्वामी अगदानन्द जी – महर्षि पतंजलिकृत योग दर्शन पृ0 कं0 प्रका0 श्री परमहंस अडगडानन्द जी आश्रम ट्रस्ट मुम्बई–400007 (2004)
5. आचार्य बलदेव उपाध्याय – भारतीय दर्शन पृ0 614 प्रका0 चौखम्बा ओरियन्टल, वाराणसी

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

''घरेलू हिंसा-उषा किरण योजना''

डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव

प्रसिद्ध फ्रांसिसी दार्शनिक तथा लेख जीन जेम्स रूसों ने लिख है ''मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, पर हर जगह व जंजीरों से जकड़ा हुआ है।'' अपनी इस सुक्ति में रूसों ने शोषण, तथा असामनता के बन्धनों मे जकड़े हुए जन साधारण के स्वतन्त्र होने की और स्वाधीनता आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की कोशिश को व्यक्त किया था। लेकिन इस सूक्तियों मे ही मनुष्य में खासतौर पर महिला को ही आजादी तथा सामनता को बेहतर अवसर प्राप्त नही होता है। आजादी का मतलब सामाजिक सामनता, पारिवारिक सामनता जहॉ वह स्वयं अपने निर्णय ले सके तथा सामाजिक रूप से स्वीकार किये जाये लेकिन महिलाओं के साथ दोयम दर्जे की बात होती है महिलायें सशक्त ना हो पाये इसलिए उन्हें शिक्षा से तो वंचित रखा जाता है। काम का बोझ इतना कि बालिकाये पढ़ाई का सोच ही नही सकती है। प्राईमरी स्तर की शिक्षा, शिक्षा की नींव होती है। जहॉ अनेक बातों का अभाव होता है जैसे कि बालिकाओं के लिए शौचालय का आभाव, महिला टीचर का होना, कामन सम बैगरह ना होने से बालिकाओं का संरक्षण नही हो पता है। इसलिए भी बालिकॉये स्कूल छोड़ देती है। इन सबकी की कमी को पूरा किया ही जाना चाहिए। तो बात आती है। शिक्षा की जो बौद्धिक तथा चहुमुखी विकास का आधार है। वंचित बालिकायें संकीर्णता से घिरी मॉ बाप के दोहरे व्यवहार के मानदण्ड से दबी सिर झुकाये जीवन बिताती है।

लड़कों को आजादी, पर अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और अच्छी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। बालिका पराया धन है यह कह कर दूसरा व्यवहार किया जाता है। यह घरेलू हिंसा ही है, मॉ, बाप, भाई, बहन तथा ससुराल पक्ष के लोगो द्वारा चाहे मौखिक हो या मानसिक, शरीरिक, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा ही है। अक्सर देखा जाता है कि मायके पक्ष में भी लड़की होने की प्रताड़ना दी जाती है, कि तुम लड़की हो तुम्हे ऐसा पढ़ना जरूरी नही है, ऐसा खाना या ऐसा रहना आदि । इस कारण स्त्री या लड़की का स्तर गिरता जाता है, अब आती है ससुराल और यही प्रताड़ना यहॉ भी शुरू होती है। सास, ससुर, पति या अन्य रिश्तेदारो द्वारा प्रताड़ना पत्नी या बहू की तुलना किसी और से करना, दहेज आदि के मामले मे थोड़ा–थोड़ा बोलते रहता उसे आर्थिक रूप से या शारीरकि यौनिक, प्रातड़ना, भावनात्मक प्रताड़ना देना घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पीड़ित महिला और बच्चे

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र), शा.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यलय, शहडोल (म.प्र.)

दोनो ही आते है। बच्चों के साथ भी माता पिता के द्वारा मार पीट करना एंव स्वैच्छिक अधिकारों मे जोर जबर–जस्ती करना आदि भी घरेलू हिंसा है।

क्या है घरेलू हिंसा ? कानून में घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई है। अधिनियम खण्ड की धारा 3 के अनुसार परिवार में किसी भी महिला के साथ उसके पति अथवा अन्य परिजनों द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जिससे महिला का परिवार में जीना दूभर हो जाये अथवा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हो "घरेलू हिंसा" माना जाता है। उस पर आद्यतन हमला या उसके साथ अनैतिक आचरण सहित सभी प्रकार की प्रताड़ना को इसमें शामिल किया जाता है । घरेलू हिंसा का शिकार हर आयु, वर्ग, जाति और उम्र की महिलायें होती हैं । अन्तर तरीके का हो सकता है । यदि किसी महिला के साथ उसी घर में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके विरूद्ध या उसकी देखरेख और अभिरक्षा में किसी बालक के विरूद्ध उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो घरेलू हिंसा ही माना जायेगा ।

घरेलू हिंसा के कई आयाम होते हैं । आमतौर पर वैवाहिक हिंसा एवं घरेलू हिंसा की एक–दूसरे का पर्याय माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है । दोनों में बारीकी अन्तर है । घरेलू हिंसा को पारिवारिक हिंसा भी कहा जा सकता है । जिसमें मायके पक्ष के सदस्य या ससुराल पक्ष के पदस्यों के बीच निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :–

घरेलू हिंसा है । घरेलू हिंसा निवारण कारण एक महत्वपूर्ण कानून है ओर इसके द्वारा घरेलू हिंसा को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा । इस कानून में निम्नलिखित कृत्यों को अपराध घोषित किया गया हैः–

- महिला का शारीरिक, भवनात्मक, आर्थिक, यौन शोषण करना या इसकी धमकी देना।
- महिला को ताना मारना ।
- पुरुष द्वारा घर में महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन और शरीर का कोई नुकसान या चोंट पहुंचाना ।
- महिला को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट देना या ऐसा करने की मंशा रखना ।
- महिला का यौन उत्पीड़न ।
- महिला की गरिमा व प्रतिष्ठा को चोंट पहुंचाना ।
- बच्चे ना होना या पुत्र के होने पर ताने मारना ।
- महिला को अपमानित करना ।
- सम्पर्क द्वारा ऐस कृत्य करना जिससे पत्नी को चोंट पहुंचती है ।
- दहेज ना लाने के लिए प्रताड़ित करना ।
- महिला (पत्नी को) शारीरिक संबंध बनाने या अश्लील चित्र आदि देखने को मजबूर करना।
- महिला को गलत नाम से पुकारना, उसके बच्चों को स्कूल–कॉलेज जाने से रोकना।
- महिला तथा बच्चों को पीटना, धक्के मारना, घूंसे मारना ।
- महिला को आत्महत्या की धमकी देना

म0प्र0 शासन द्वारा "घरेलू हिंसा" से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो क्रियान्वित हुआ । 2006 से बनाया गया है । जहाँ पीड़ित बच्चे तथा महिलायें अपनी समस्या, प्रताड़ना से उभर सकते हैं एवं सामने ला सकते हैं ।

इसके लिये ऊषा किरण योजना कैसे काम करेगी निम्नानुसर हैः–

हैल्प डेस्क– जिला स्तर पर शासकीय अथवा अशासकीय में 24 घंटे चालू रहने वाला एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा । इसका दूरभाषा नम्बर दूसरे जिले में प्रसारित होता है, ताकि किसी भी समय कोई भी महिला फोन करती है तो महिला को तत्काल संरक्षण अधिकारी के समक्ष सहायता के लिए पहुंचाया जा सके ।

शेल्टर होम– महिलाओं और बच्चों के लिए समस्त जिलों में शेल्टर होम स्थापित किये गये जाएंगे । वर्तमान में 4 जिलों में यथा सतना, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, में स्थापित नारी निकेतनों की शेल्टर होम के रूप में पंजीकृत किया गया है । अन्य जिलों में पुलिस परिवार परामर्श केन्द्रों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सेवा प्रदायकर्ता/आश्रम गृह का कार्य सौंपा जा रहा है । इन संस्थाओं के माध्यम से अस्थाई आश्रम कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, 24 घंटे हैल्पलाइन आवश्यकता प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि पुनर्वास, सूचना बैंक जैसी सेवायें दी जाएंगी ।

इन सेवाओं से प्रभावी एवं सुचारू प्रबंधन हेतु महिला एवं विकास विभाग, गृह (पुलिस) विभाग, विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एंव अन्य संबधित एजेन्सी विभाग उत्तरदायी होगा।

पीडिता के पुर्नवास के लिये रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कृषि एवं उद्याकी विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित ऐजेन्सियॉ विभाग सेवाये दे सकेगें।

पीड़ित महिला के प्रकरण को यदि न्यायालय मे ले जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला विधिक सहायकता बोर्ड से सर्म्पक कर सहायता प्राप्त की जाएगी और महिला को न्यायिक सहायता दिलाये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

समीक्षा एंव समन्वयक :– जिला स्तर पर संभाग स्तर पर राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जावेगा एवं इन्ही स्तरों पर कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा मासिक समीक्षा (मानीटरिंग) की जावेगी।

संरक्षण अधिकारीः– घरेलू हिंसा रोकथान अधिनियम के क्रियान्वयन के लिऐ बाल विकास परियोजना अधिकारी को संरक्षण अधिकारी बनाया गया है। सहायता प्राप्त करने व अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करे।

1. जिला स्थापित हेल्प डेस।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी

निर्धारित प्रपत्र :–

1. प्रपत्र मे एक परिवादी व्यक्ति के द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तत्वोंधानों के तहत घरेलू घटना की रिपोर्ट की जा सकेगी।

2. संरक्षण अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन।

3. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सभी साक्षी का शपथ पत्र ।

4. घरेलू हिंसा से महिला सरक्षण अधिनियम, 2005 के आधीन व्यक्ति, व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जानकारी।

5. सुरक्षा योजना की जानकारी स्त्री की पीड़ित व्यकित तााि सेवा प्रदाताओं/संरक्षण अधिकार/पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रारूप

6. सेवा प्रदाताओं के रूप में पंजीकरण का प्रारूप ।

7. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) के तहत हाजिर यह समस्त जानकारी अन्य उषा किरण योजना म0प्र0 शासन, महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से ली गई है तथा वेब साइट में भी उपलब्ध है।

अतः कहा जा सकता है "घरेलू हिंसा" की रोकथाम कानून की सहायता के साथ सामाजिक सहायता का होना जरूरी है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं को खुलकर शिक्षा देना चाहिए ताकि वे घरेलू हिंसा की शिकार न हों। उन्हों काउंसलिंग तथा कानूनी ज्ञान की जानकारी देना उचित होगा । गाँव में यह पता लग जाता है कि किसके घर में समस्या चल रही है। शहर में यह पता नहीं लगता है इस कारण वहीं हर स्तर पर बात करने की आवश्यकता है। शहर में समस्या ग्रस्त महिलाओं के संदर्भ में पुरुषों पर काउंसलिंग का असर नहीं होता है। इसी कारण पुरुष छात्रों के साथ भी काउंसलिंग का सिलसिला स्कूल/कॉलेज के स्तर से ही शुरू हो जाना चाहिए । शिक्षा के साथ–साथ लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए । यह काम शिक्षकों का है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस मुद्दे को शामिल करना चाहिए । लड़कियों को सम्पत्ति में पूरा अधिकार होना चाहिए। घर का वातावरण लड़की का आत्मविश्वास बनाता है। उसको मजबूत करने की आवश्यकता है।

सन्र्दभ ग्रंथ सूची

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय शहडोल द्वारा जनहित में प्रकाशित।
2. उषा किरण योजना महिला एवं बाल विकास, म0प्र0।
3. Research journal of social and life Sciences Page सेन्टर फार रिसर्च स्टडीज, रीवा की मुख्य शोध पत्रिका।
4. समाज वैज्ञानिकी भारतीय समाज विज्ञान परिषद की हिन्दी शोध पत्रिका।
5. सेतिया सुभाष पंचायती राज और सशक्तीकरण कुरूक्षेत्र अगस्त 2006।
6. एन शुक्ल–घरेलू हिंसा कारण एवं निवारण अविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर।
7. डॉ० निशान्त सिंह–स्त्री सशक्तीकरण एक मूल्यांकन पेज नं० 85–86 खुशी पब्लिकेशन गाजियाबाद नई दिल्ली।

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

भारत के प्रमुख जनजातीय आन्दोलन

डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण आन्दोलनों की प्रकृति को बिहार के मुण्डा तथा सन्थालं विद्रोह, मध्यप्रदेश के बस्तर आन्दोलन, राजस्थान में भील जनजाति में सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन तथा उत्तरांचल में चिपकों आन्दोलन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यद्यपि प्रत्येक आन्दोलन की अपनी एक पृथक पृष्ठभूमि होती है, तथापि ये आन्दोलन जनजातीय आन्दोलनों की प्रकृति को स्पष्ट करने में सक्षम है।

बिहार के मुण्डा तथा सन्थाल विद्रोह

बिहार को जनजातीय आन्दोलनों का केन्द्र-स्थल माना जाता है। बिहार में रहने वाल अधिकांश जनजातियों खेती तथा जंगलों से खाद्य पदार्थ एकत्रित करके अपना जीवन-यापन करती हैं। बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में आगमन एवं उनके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप बिहार में अनेक जनजातीय आन्दोलन हुए हैं, इनमें मुण्डा तथा सन्थाल विद्रोह प्रमुख है।

मुण्डा जनजाति बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है, तथा इसमें भूमि का स्वामित्व परम्परागत रूप से सामूहिक होता थां मुण्डा सरदारों तथा हिन्दू राजाओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दू संस्कृति के तत्व मुण्डा संस्कृति में व्याप्त होने लगे। मुण्डा जनजाति के सरदार हिन्दु पुजारियों एवं राजकर्मचारियों को गाँव के गाँव दान में देने लगे और समान्य आदिवासी उनके अधीनस्थ कृषकों के रूप में कार्य करने लगे। उन्हें अपनी भूमि पर कृशि करने हेतु लगान देना पड़ता था। जैसे-जैसे लगान की राशि बढ़ती गई आदिवासी इसे चुकाने हेतु साहूकारों के चंगुलों में फॅसते चले गए। इससे उनकी आर्थिक दशा एकदम शोचनीय हो गई तथा उनमें बाहरी लोगों के लिए द्वेष की भावना विकसित हो गई। धीरे-धीरे इस प्रकार का शोषण अपनी चरमसीमा पर पहुँचने लगा तथा घृणा ने विरोध एवं विद्रोह का रूप ले लिया। अपने परम्परागत अधिकारों के प्रति जागरूक होकर 1811 से 1 832 ई. के मध्य मुण्डा अदिवासियों ने सात स्थानों पर जमींदारों के विरूद्ध संघर्ष किए। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इन संघषों का क्रूरतापूप्र ढंग से दमन किया तो आदिवासियों की दशा और भी दयनीय हो गई।

1857 ई. के लगभग बहुत बड़ी संख्या में मुण्डा ईसाई बन गए परन्तु उनकी आर्थिक कठिनाइयों कम नहीं हुई। ईसाई मुण्डाओं में हिंसात्मक उपद्रव ईसाई मिशनरियों के विरूद्ध भी होने लगें, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए थे वे भी झूठे साबित होने लगे। हजारों मुण्डाओं ने संगठित होकर अपनी आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए आन्दोलन किया।

प्राध्यापक (इतिहास), शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शिक्षा के प्रति जागरूकता के परिणामस्वरूप भी मुण्डा आदिवासी अपने अधिकरों के प्रति अधिक सचेत हो गए। 1895 ई. में हजारों मुण्डा संगठित होकर आन्दोलनरत हो गए तथा ब्रिटिश शासन एवं सभी ब्राह्य तत्वों को अपने क्षेत्र से निष्कासित कर स्वतंत्र मुण्डा राज्य की स्थापना पर बल देने लगे। इस संघर्ष में उन्होंने नियोजित ढंग से जमींदारों, मिशनरियों तथा सभी प्रकार के बाह्य तत्वों का सफाया किया। चालकाद नामक गॉव के निवासी बिरसा नामक मुण्डा ने इस आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसलिए इस आन्दोलन को 'बिरसा आन्दोलन' भी कहाँ जाता है। हिंसात्मक संघर्ष के बावजूद मुण्डा जनजाति को कोई निश्चित सफलता नहीं मिली। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुण्डा आदिवासियों की आकांक्षाओं की विद्रोह की भावनाओं को समाने रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 1903 ई. में टेनेन्सी ऐमंडमेण्ट एक्ट तथा 1908 ई. में छोट नागपुर टेनेन्सी एक्ट के अंतर्गत भूमि व्यवस्था की योजना बनाई। हिन्दू एवं ईसाई धर्म के समन्वित रूप को अपनाकर मुण्डा लोगों ने अपनी परम्परागत संस्कृति के मूल्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

बिहार के संथाल परगना में हुआ संन्थाल आन्दोलन भी बाह्य तत्वों द्वारा आर्थिक शोषण का ही परिणाम है। इनमें भी परम्परा के अनुसार कृषि भूमि तथा जंगलों पर सामुदायिक रूप से पूरे गाँव का स्वामित्व होता था परन्तु 1793 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तत्कालीन बंगाल प्रदेश में स्थायी बन्दोबस्त लागू कर जमींदारों के वर्ग को जन्म दिया जो सन्थालों का शोषण करने लगे। धीरे-धीरे बाहरी लोग भी जाकर इस परगना में बसने लगे तथा सन्थालों की भूमि को पैसों के बल पर हथियाने लगें साहूकारों तथा जमीदारों आर्थिक शोषण, व्यक्तिगत तथा वंशानुगत कड़ी बन्धकता, पुलिस एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा अत्याचार एवं साहूकारों व जमींदारों को सहयोग तथा न्यायालयों के पक्षपातपूर्ण निर्णय, जो सदैव सन्थालियों के विरूद्ध होते थे, इस आन्दोलन के प्रमुख सूत्रधार माने जाते है। इस आन्दोलन के प्रारंभ में बहुत से साहुकारों एवं पुलिस अफसरों को सन्थाओं ने मार डाला और बाहरी व्यावसायियों की दुकानें लूट ली। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने अपने परम्परागत हथियारों का प्रयोग करके इसका विरोध किया। अंग्रेज सरकार ने सन्थालों के विद्रोहों को दबाने हेतु सेना का भी प्रयोग किया और सेना ने बहुत से सन्थाल गाँवों को लूटकर उनमें आग लगा दी। मान ने सन्थाल विद्रोह के चार प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है -साहुकारों की जनजातीय लोगों से लेन-देन में लुटने-खसोटने की मनोवृत्ति, ऋण लेने-देने की बेंधुआ प्रथा, साहुकारों की पुलिस से सॉठ-गाँठ और भ्रष्टाचार तथा सन्थालों को न्यायालयों में न्याय न मिलना। कलशा के अनुसार सन्थाल आन्दोलन को केवल आर्थिक शोषण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 'भूख' ने निश्चित रूप उन्हें हताश किया, लेकिन उनकी अपनी 'भूमि' के प्रति भावात्मक लगाव ने वह सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिसके अभाव में शायद यह आन्दोलन नहीं हेाता।

यद्यपि इस आन्दोलन को दबा दिया गया और इसके परिणामस्वरूप सन्थाली अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल तो नहीं हो पाए, तथापि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सन्तुष्टि हेतु अनेक प्रशासनिक कदम उठाए, जिससे सन्थालों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज भी इस विद्रोह तथा इसके नायकों की यशगाथाएँ हजारों सन्थालों में नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार करती है। 22 दिसम्बर 1985 ई. को XXXVII अधिनियम पारित हुआ और सन्धाल, परगना नामक एक नए जिले का गठन किया

गया। इसके अतिरिक्त बँधुआ प्रथा में सुधार किया गया तथा पुलिस के अधिकारों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

मध्यप्रदेश का बस्तर आन्दोलन

मध्यप्रदेश जनजातियों का गढ़ माना जाता है। पूर्वी मध्यप्रदेश के गोण्ड आदिवासी मध्यप्रदेश की जनजातियों में प्रमुख हैं। बस्तर गोण्डवाना क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र है। बस्तर आन्दोलन का प्रारंभ भी हिन्दू कृष्कों, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा गोण्डों की भूमि के अतिक्रमण से हुआ। यद्यपि इनके द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण गोण्डों में इनके प्रति घृणा तो विकसित नहीं कर पाया और बाहरी संसकृति सदैव गोण्डों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही, तथापि ये आन्दोलन हिन्दू संस्कृति को अपना चुके राज गोण्डों द्वारा सुधारवादी आन्दोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। परन्तु हिन्दू मान्यताओं एवं आदर्शो से उनका आर्थिक जीवन कठिन हो गया तथा स्त्रियों की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों का विरोध होने लगा। साथ ही खान-पान पर भी प्रतिबन्ध उन्हें असहय होने लगे।

1910 ई. में बस्तर में हुई क्रान्ति की पृष्ठभूमि में राज कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों पर तरह-तरह के अत्याचार करना रहा है। यह आन्दोलन मुख्य रूप से हिन्दू प्रवासियों के गोण्ड क्षेत्र में बसने तथा जंगलों सम्बंधी सरकारी नियमों के विरूद्ध था। हिन्दू राजाओं द्वारा अपने आपको हिन्दू अवतारों के समतुल्य घोषित करना तथा इसके बावजूद गोण्ड आदिवासियों की समस्याओं का समाधान न होना भी उनके आक्रोश का एक प्रमुख कारण रहा है।

राजस्थान में भील जनजाति में सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन

भील जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश, दक्षिणी गुजरात तथा महाराष्ट्र के निकटवर्ती जिलों मं काफी संख्या में भील देखे जा सकते है। भील जनजाति में सभी लोगों के लिए समान सामाजिक एवं धार्मिक नियम प्रयुक्त होते हैं, तथा केवल पुजारी एवं मुखिया की ही विशेष स्थिति होती है। ऐसा माना जाता है। कि गैर-भीलों के सम्पर्क के परिणामस्वरूप भीलों में पाई जाने वाली सजातीयता कम होने लगी और राजपूत, मराठा तथा अंग्रेजों ने भील साम्राज्य तथा उसकी जनता के अतीत को चुनौती दी। युद्ध में पराजय के बाद भीलों ने वनों तथा बीहड़ों में शरण ली। इसके परिणास्वरूप उनमें एक नवीन सांस्कृतिक सजातीयता उभरकर सामने आई। राजपूत जाति के कुछ लोगों ने भल स्त्रियों के साथ वैवाहिक सम्बंध भी स्थापित किए। इसलिए भील राजपूतों को अपना सम्बंधी मानते है। तथा हिन्दू जातियों के सामाजिक रीति-रिवाजों एवं सांस्कृतिक तौर-तरीकों को अपनाते है। भील स्त्रियां भी परदा करती हैं। भीलों में हिन्दू समाज के धार्मिक आदर्शो के परिणामस्वरूप ही भीलों में 'भगत' का अभ्युदय हुआ। भगत व व्यक्ति माना जाता है, जिसने आदिम धार्मिक परम्पराओं में अपना विश्वास खे दिया है और जिसने हिन्दू देवी-देवताओं पर अपनी आस्था स्थापित कर ली है। भगत अन्धविश्वासी न होकर नवीन विश्वासों को अपनाते है। इस प्रकार, भगत आन्दोलन को मूल रूप से सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। उजले भीलों पर मैलों भीलों की तुलना में हिन्दुओं के धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों का प्रभाव अधिक पड़ा है। भीलों में भगत पन्थ के अतिरिक्त कबीर पन्थ, कामदिया/रामदेव पन्थ, नाथ जी पन्थ जैसे सम्प्रदाय भी विकसित हुए परन्तु सबसे लोकप्रिय भगत पन्थ ही माना जाता है।

इन सभी पन्थों में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अद्धितीय योगदान दिया है तथा इन्होंने जनतातीय अन्धविश्वसों एवं कुरीतियों को समाप्त करने में पहत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तरांचल का चिपको आन्दोलन

चिपको आन्दोलन उत्तरांचल (पहले उत्तर प्रदेश) के गढ़वाल क्षेत्र में होने वाला एक महत्वपूर्ण आन्दोलन माना जाता है। गढ़वाल तथा कुमाऊँ क्षेत्र हिमालय पर्वत की शृंखलाओं के मध्य स्थित है। चिपकों आन्दोलन का तात्पर्य पेड़ों को काटे जाने के विरोध में उनकी रक्षा हेतु पेड़ों से चिपक जाना है, ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यद्यपि यह आन्दोलन अंग्रेजी शासनकाल में प्रारम्भ हुआ और अंग्रेजी सेना ने इस आन्दोलन को कुचल दिया तथापि इससे यह सिद्ध हो गया कि इस क्षेत्र के लोग वनों की रक्षा के प्रति कितने जागरूक है। इस क्षेत्र का अधिकांश भू-भाग वनों से अच्छादित है। वनों से बहुमूल्य लकड़ी के अतिरिक्त अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों की प्राप्त की जाती है।

कुमाऊँ क्षेत्र में भोटिया जनजाति निवास करती है जो घुमन्तू जनजाति रही है, तथा भेड़-बकरयों को पालने का परम्परागत व्यवसाय करती आई है। इस जनजाति के लोग वनों का प्रयोग चारागाहों के रूप में करते है और वनों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करते है। वनों के पतन, सरकार के वनों पर बढ़ते हुए नियंत्रण, वनों की नीलामी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वनों के पतन से होने वाला भूमि कटान, जल की कमी इत्यादि की समस्या तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव ने भोटिया जनजाति की जीवन-पद्धति को काफी प्रभावित करना प्रांरम्भ कर दिया। व्यापक मात्रा में वनों के कटान से होने वाले भूमि के कटान के परिणामस्वरूप 1970 ई. में अलकनन्दा नदी में बाढ़ से सम्पूर्ण बेलाकूची गाँव पानी में बह गया।

इसके हाथ ही, 1962 ई. में भारत चीन युद्ध के परिणामस्वरूप तिब्बत सीमा को बन्द कर दिया गया और इससे भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी। स्थानीय लोगों के जनमानस पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वोदयी नेता चण्डीप्रसाद भट्ट ने स्थानीय लोगों को संगठित कर वनों के कटान रोकने के लिए चिपको आन्दोलन का प्रारंभ किया। धीरे-धीरे यह आन्दोलन भोटिया बहुल गॉवों से गैर-जनजातियों गाँवों तक भी फैल गया। भोटिया स्त्रियों ने भी चिपको आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी की। गाँव के स्तर पर प्रारंभ हुआ चिपको आन्दोलन आज राष्ट्रीय स्तर पर आल्दोलन माना जाता है औ सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आन्दोलन आज भी सक्रिय है। यह आन्दोलन सरकार का पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है। तथा सरकार ने आन्दोलनकारियों की अनेक माँगे स्वीकार कर ली है।

मध्यभारत में जनजातीय आन्दोलन

बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की जनजातियों के अतिरिक्त समय-समय पर मध्यभारत की अनेक जनजातियों में भी आन्दोलन होते रहे है। इनमें गौंड और भील जनजातियों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन जनजातियों के आन्दोलन का मुख्य परिप्रेक्ष्य धार्मिक रहा है। गौंड जनजाति में समय-समय पर जो आन्दोलन हुए उनका मुख्य उद्देश्य हिन्दूकरण था। 1929 ई. में भाऊसिंह व राजनेगी के नेतृत्व में सुधारवादी आन्दोलन चलाए गए। 1945 ई. में महुआदेव के नेतृत्व में जो आन्दोलन किया गया उसका उद्देश्य गौंड जनजाति में स्थानीय स्तर पर अनेक आन्दोलन चलाए गए, जिनका प्रमुख

उद्देश्य हिन्दूकरण ही था। ये आन्दोलन प्रमुख रूप से गोविन्दगिरि, गुलिया महाराज, मोतीलाल तेलावत, माम बालेश्वर दयाल, लसोडिया, विश्वनाथ आदि के नेतृत्व में चलाए गए। आखिरकार 2000 ई. में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। मध्यप्रदेश में एक पृथक राज्य के रूप में बने प्रान्त छत्तीसगढ़ में 16 जिले हैं और इसकी जनसंख्या 176 लाख है। जिसकी राजधानी रायपुर है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री अजीत लोगी ने शपथ ग्रहण की।

पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय आन्दोलन

ईसाई मिशनरियों के प्रभाव, शिक्षा, राजनीतिक जागृति आदि कई कारणों के संदर्भ में भारतवर्ष में कई जनजातीय क्षेत्र में आन्दोलनों का सूत्रपात होता रहा है। इस संदर्भ में पूवी क्षेत्र की कुछ जनजातियों, जैसे-गारो, मिलो, नागा, डफला, बोड़ो आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि इन समस्त जनजातियों की सांस्कृतिक पृष्ठिभमि अलग-अलग है, लेकिन भौगोलिक पृष्ठभूमि समान होने के कारण इस क्षेत्र में पिछले डेढ़ सौ वर्षो से निरन्तर ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन चलते रहे है। उदाहरण के रूप में नेशनल कौन्सिल, नागा यूथ मूवमेण्ट, नागा वूमन सोसायटी, नागा क्लब, असम लि ट्राइबल यूनियन तथा उल्फा द्वारा अनेक आन्दोलन समय-समय पर चलाए गए जिनकी मुख्य मॉग राजनीतिक स्वायत्ता रही हैं नागा राष्ट्रवाद के लिए भी अनेक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है । ये आन्दोलन अंग्रेजी शासनकाल में ही आरंभ हो गए थे और स्वतंत्रता से अब तक इनमें तीव्रता ही आई है। ऐसा माना जाता है कि चीन, पाकिस्तान, म्यान्मार आदि देश इन आन्दोलनों को भरपूर आर्थिक सहायता देते है तथा अस्त्र-शस्त्र भी चोरी छिपे सप्लाई करते है। इतना ही नहीं पुलिस व सेना की धर पकड़ करने पर इनके नेता पड़ोसी देशों में जाकर छिप जाते हैं और भूमिगत हो जाते है। 2000 ई. में तीन नए राज्यों के बनने के बाद आल पार्टी हिल कौन्सिल, नागा राष्ट्रीय परिषद, ईस्टर्न इण्डियन ट्राइबल यूनियन, असम हिलट्राइव यूनियन, असम गण संग्राम परिषद् आदि द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता की माँग के लिए किए गए आन्दोलनों ने अत्यधिक तीव्र और हिंसक रूप ले लिया है। आगजनी, तोड़-फोड़, हत्याएँ, अपहरण राजव्यापी बन्द आदि प्रतिदिन की घटनाएँ होने लगीं। इन आन्दोलनकारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी, राजनीतिक व सामाजिक तौर पर अनेक प्रयास किए, गए, जिनमें पटासकर कमीशन, जयप्रकाश पीस मिशन, अशोक मेहता कमीशन आदि के प्रयास सराहनीय है। सरकारी प्रयासों के अधीन फरवरी 1961 ई. में पृथक नागालैण्ड राजय की स्थापना की गई, त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जनवरी 1972 ई. में मेघालय राज्य की स्थापना कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी पूर्वी क्षेत्रों में जनतातीय आन्दोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। बोड़ो लैण्ड आन्दोलन अब भी अपनी पूरी शक्ति के साथ चल रहा है।

संदर्भ

1. S.C. Roy-oraoan religion and custom 1972
2. V. Raghaviah-Tribal revolts 1917
3. Fuchs-Rebellions prophets-A study of messianic Movement in India 1965
4. M.S.A. Rao- Social Movement in India
5. डॉ. धर्मवीर महाजन, एवं डॉ. (श्रीमती) कमलेश महाजन-जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, 06

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

भारत में महिला शिक्षा : मूल्यांकन

डॉ. संजय शंकर मिश्रा*
डॉ. शिप्रा दुबे**

जब हम किसी राष्ट्र के विकास की बात करते है, तो इसमे शिक्षा सबसे प्रमुख रूप से सामने आती है किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के बिना असंभव है।

फ्रेंच विद्वान के अनुसार ''किसी भी देश की स्थिति को जांचने का सर्वोत्तम तरीका वहॉ की महिलाओं की स्थिति का आकलन करना है।''

चीनी विद्वान कुआन त्जू के अनुसार ''यदि योजना एक साल के लिये हो तो फूल लगाईए। यदि योजना दस साल के लिये हो तो पेड़ लगाइए। यदि योजना अनंत काल के लिये हो तो लोगों को शिक्षित कर दें। जब एक बार एक बीज बोएगें तो आप केवल एक ही फसल काटेंगें। जब आप लोगों को शिक्षित करेगे तो सौ फसल काटेंगे''।

गॉधी जी ने कहा है ''जब हम एक महिला को शिक्षित करते है, तो पूरा परिवार स्वतः शिक्षित हो जाता है''।

रूसो के अनुसार ''बालक की शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है उसकी उपयुक्त परिचारिका मॉ होती है''।

पेस्टालॉजी ने कहा है, ''माता एक आदर्श अध्यापिका होती है तथा परिवार के द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होती है।''

किन्तु भारत जैसे देश मे स्त्रियों और पुरूषों के बीच भेद क्यो रखा गया है? आज के परिवेश मे एक बालिका को शिक्षित करना अत्याधिक आवश्यक है। सामाजिक कल्याण हेतु शिक्षा तभी प्रभावशाली होगी जब समाज के पुरूष व स्त्री दोनो को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो एवं शिक्षा द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने के समान अवसर हो। भारतीय संस्कृति व सभ्याता आदिकाल से नारियों को शिक्षित करने की पक्षधर रही है।

वैदिक काल से अनेक महिलायें जैसे गार्गी, मैत्रेयी, घोषा आदि ने ऋषियों का स्थान ले लिया था। प्रारंभिक प्राचीन भारत महिला शिक्षा के लिये गौरव काल के रूप मे देखा जाता है। महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा की स्थिति बताती है।

जिस काल मे एक विदुषी महिलाऍ सहस्त्र पुरूषों को विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ करने की चुनौतियॉ देने मे सक्षम थी। ये स्थितियॉ प्राचीन काल मे महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा की स्थिति बतलाती है।

---

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शा.ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** अतिथि व्याख्याता बी.एड़. विभाग, अ.प्र.सिं.विश्वविद्यालय, रीवा म.प्र.

महिला–शिक्षा को एक सामाजिक मुद्दे के रूप मे भारत वर्ष मे हाल मे ही मान्यता मिली है। भारतवर्ष मे प्रभुत्व ब्राह्मणवादी परंपरा ने महिलाओं के लिये वेद के अध्ययन को प्रतिबंधित कर रखा था, जिसके चलते सामाजिक व्यवस्थाओं के सामने नारी शिक्षा एक चुनौती के रूप मे उभरी (अमर्त्यसेन एवं जीनड्रेज 1996) 'व्यापक नारी साक्षरता' 21वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना है। वास्तव मे महिला साक्षरता दर 1% से कम थी तथा 1901 तक ये कम से कम 3% तक पहुॅच गयी थी। (सेन एवं ड्रेज 1996)।

वर्ष 1901 तक भारत की 91% महिलाएॅ निरक्षर थी। इसके बाद के 50 वर्षों में ब्रिटिश भारत (1901 से 1947) तक मात्र 9% महिला साक्षर हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्तिकाल तक महिला शिक्षा को ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। जिसका स्पष्ट परिणाम उस काल मे अति निम्न महिला साक्षरता दर के रूप मे देखा जा सकता है।

भारत मे साक्षरता दर (1951 से 2001 तक % मे)

स्रोत भारत प्रकाशन विभाग, नईदिल्ली 2003 पृष्ठ 11

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001
कुल	18	58	35	44	52	65
पुरूष	27	40	46	56	61	78
स्त्री	9	15	22	30	39	56

भारत स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता मे त्वरित गति से वृद्धि हुई है किन्तु यह पुरूष साक्षरता से हमेशा ही कम रही है। 2001 मे महिला साक्षरता पुरूष साक्षरता से लगभग 22% कम है।

पुरूष साक्षरता पॉच दशक मे 3 गुणा दर से बढ़ी जबकि महिला साक्षरता 6 गुणा दर से बढ़ी है। महिलाओं मे अति तेजी से बढ़ने का कारण ''शिक्षा कारण आन्दोलन'' की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है।

स्त्री साक्षरता मे वृद्धि हुई है। किन्तु आवश्यकता है पूर्ण साक्षरता की।

हम देखते है कि स्वतंत्रता के बाद धीरे–धीरे महिलाओं की साक्षरता में दिनो–दिन वृद्धि हुई है। किन्तु अभी भी क्षेत्र विशेष तक सीमति है। ग्रामीण क्षेत्रों मे जातिगत रूप से साक्षरता कम है।

भारत में 6 से 11 वर्ष के बच्चों मे 40% बच्चे स्कूल नही जाते है। केवल केरल मे प्रत्येक 10 मे से 9 बच्चे स्कूल जाते है। बिहार मे यह अनुपात 5 है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बंगाल, बिहार ऐसे राज्य है जहाँ महिला साक्षरता की दर 30% से भी कम है। यहाँ 50% बच्चों ने कभी स्कूल नही देखा। म.प्र. व बिहार मे अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं मे मात्र 6 से 9% साक्षर है। सभी सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के बाद

भी आज ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर मे 22% का फासला है। दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत मे महिला साक्षरता कम है। समुदायानुसार महिला शिक्षा की व्याख्या की जाए तो देखेंगें की गैर मुस्लिम समुदाय की तुलना मे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं मे शिक्षा तुलनात्मक रूप से कई गुणा ज्यादा कम है। हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय मे प्रमुख जाति तथा ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शेख, खान, अंसारी (मुस्लिम) की तुलना मे गैर प्रमुख श्रेणी यथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति (हि.) नाई, जुलाहा गोर, अशरफ श्रेणी मे (मुस्लिम) महिलाओं मे तुलनात्मक रूप से 'शिक्षा शून्यता' की स्थिति मे है।

भारत मे महिला शिक्षा के क्षेत्र मे क्षेत्रीय असंतुलन

प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्ट मे प्रदर्शित ऑकड़ों पर दृष्टि डालने पर हमें शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक असंतुलन देखने को मिलता है। भारत मे राज्यवार, क्षेत्रवार, अंचलवार शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक असमानता का दर्शन होता है।

हिन्दी भाषी चार राज्य बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र. को शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में पिछड़ेपन के लिये जाने जाते है। गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की तुलना मे हिन्दी भाषी क्षेत्राों मे ज्यादा निरक्षरता है। (जनगणना 2001) उपलब्ध आंकड़ों द्वारा समझा जा सकता है।

भारत मे राज्यवार महिला साक्षरता (% में)

हिन्दी राज्य

राज्य	1981	1991	2001
बिहार	17	23	37
मध्यप्रदेश	19	29	50
राजस्थान	14	21	43
उत्तर प्रदेश	18	26	41

गैर हिन्दी राज्य (% में)

राज्य	1981	1991	2001
आंध्रप्रदेश	24	54	55
कर्नाटक	33	44	57
तमिलनाडू	40	52	67
केरल	76	86	88

भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर 2011 के अनुसार

राज्य	पुरूष	महिला
मध्यप्रदेश	80.63%	63.74%
उत्तर प्रदेश	79.72%	56.27%
बिहार	87%	67%
राजस्थान	67.06%	60.41%
कर्नाटक	82.5%	68%
आन्ध्रप्रदेश	67.66%	60.47%
केरल	96%	92.2%

उपरोक्त तालिका से हम देखते है कि जन साक्षरता मे वृद्धि हुई है। किन्तु यह वृद्धि पर्याप्त नही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा विकसित किये गये डिजिटलजेंडर एटलस के अनुसार देश मे शाला जाने वाली बालिकाओं की रैंकिंग (Ranking) बहुत कम है। इनके अनुसार म.प्र. मे बहुत न्यून्तम रैंकिंग है। बालिकाओं मे शिक्षा से जुड़े इस डिजिटल जेंडर एटलस मे मध्यप्रदेश के एक भी जिले की उच्च रैंकिग नही हैं यदि हम म.प्र. की रैंकिंग देखते तो इसमे इंदौर और भोपाल दो ही जिले है जिनकी रैंकिंग मध्यम है। जबकि उज्जैन व रायसेन को औसत रैकिंग मिली है। जबकि रीवा, ग्वालियर व जबलपुर, सतना सहित प्रदेश के अन्य सभी जिलों को न्यूनतम रैकिंग प्राप्त हुई है। म.प्र. के पडोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। छत्तीसगढ़ व गुजरात मे 16 जिले उच्च रैंकिंग वाले है। वही राजस्थान मे ऐसे जिलों की संख्या 5 है।

रैंकिंग इस तरह बनाई गयी –

संयुक्त तुलनात्मक सूचकांक स्कूल की पहुॅच, अद्योसंरचना शिक्षक व परिणम जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया।

आंकड़े डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेंशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से लिये गये है। बालिकाओं की शिक्षा मे राजयों की रिपोर्ट–(2013–2014)

राज्य	उच्च रैंकिंग वाले जिले	मध्यम रैंकिंग वाले जिले	औसत रैंकिंग वाले जिले	न्यूनतम रैंकिंग वाले जिले
मध्यप्रदेश	00	02	02	47
छत्तीसगढ़	16	07	01	04
राजस्थान	05	16	10	02
गुजरात	16	06	02	02

प्रस्तुत सारणी में देखते है कि म.प्र. में बालिकाओं की शिक्षा की रैकिंग न्यून्तम है। म.प्र. में शिक्षा के लिये जनजागरूकता लाने कि आवश्ययकता है। इसके लिये घर–घर जाकर शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे मे बतलाया जाये व बालिकाओं को शाला मे प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाया जाए।

सम्पूर्ण विश्व मे महिला शिक्षा का स्तर निम्न होना एक शाश्वत है। यह स्थिति के संदर्भ मे और भी सत्य प्रतीत होती है। विश्व स्तर पर अशिक्षितों की संख्या लगभग 889 मिलीयन (89.9 करोड़) है जिसमे 60: (53 करोड़) से अधिक केवल महिलाओं की संख्या है। अशिक्षित महिलाओं की यह संख्या विकासशील एवं अविकसित देशों मे और अधिक है।

विश्व में महिला शिक्षा की स्थिति % में

देश	बांगलादेश	चीन	भारत	पाकिस्तान	अमेरिका	जापान
प्राथमिक स्तर	64	190	82	27	100	100
द्वितीय स्तर	11	38	31	12	100	97
तृतीय स्तर	4	2	8	5	63	31

तालिका से यह स्पष्ट है कि अमेरिका ही ऐसा देश है जहॉ तीनों स्तर मे महिला शिक्षा की संतुलित विकास देखने को मिलता है। एशिया महादेश मे चीन मे प्राथमिक स्तर की शिक्षा शत प्रतिशत महिलाओं को उपलब्ध है किन्तु द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर की शिक्षा की स्तर चिन्तनीय है। महिला शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति पाकिस्तान मे है जहॉ औसत रूप से 15% महिलाऍं शिक्षित है।

भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन

प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्ट मे प्रदर्शित आंकड़ों पर दृष्टिपात करने परी हमें शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक असंतुलन की प्रवृत्ति देखने मे मिलती है। भारत मे राज्यवार, क्षेत्रवार, शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक असमानता का दर्शन होता है। हिन्दी भाषाचार राज्यों – बिहार, म.प्र., उत्तरप्रदेश, राजस्थान ये राज्य गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की तुलना मे ज्यादा निरक्षर है। उत्तर भारत मे महिला साक्षारता दर न केवल 'राष्ट्रीय औसत' (54%) से न केवल कम है बल्कि दक्षिण भारत के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले राज्य (आंध्रप्रदेश 55%) से भी कम है। इसी बात से इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते है कि आज प्रत्येक 10 वयस्क निरक्षर में 76 महिला है।

प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाएँ – हमारे देश में 8 लाख प्राथमिक विद्यालय है। इनमे 86% विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है। 11 करोड़ बच्चों मे अनुमानतः 4 करोड़ बच्चे ऐसे है जो स्कूलो से बाहर है, जिसमे 60% बालिकाओं की संख्या है। (अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट)। भारत मे स्कूल बुनियादी सुविधा से वंचित है। लगभग 80% स्कूलों मे शौचालय

की व्यवस्था नही है और न ही सही तरीके से छत है जो बरसात मे सुरक्षा दे सके। देश मे 52% स्कूलों मे खेलने का मैदान नही है। 20% स्कूलों ब्लैक बोर्ड तक नही है।

उच्च शिक्षा में महिलाएँ–

उच्च शिक्षा मे महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही है। किन्तु कुछ समुदाय मे बालिकाओं को उच्च शिक्षा से अभी भी वांछित रखा जाता है। निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवार मे आज भी लड़कियों को उतना ही पढ़ाना जरूरी समझते है जिससे लड़की की शादी सम्पन्न परिवार मे हो सके। (मानव विकास रिपोर्ट)। अनेक पारिवारिक जिम्मेदारी व अनेक कारणों से लड़कियों को उच्च शिक्षा नही दिलायी जाती। उच्च शिक्षा मे महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता के बगैर समाज के सर्वागीण एवं संतुलित विकास की कल्पना नही कर सकते। लड़कियों को भी सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। विगत कुछ वर्षो मे इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे विषयों मे छात्राओं की संख्या बढ़ी है। फिर भी यह संख्या लड़कियों की जनसंख्या के अनुपात मे बहुत कम है। तकनीकी सेवाओं मे जाने एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करके आत्मनिर्भर होने के लिये छात्राओं को उनकी रूचि के अनुसार सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा देना आवश्यक हैं।

बालिकाओं के निम्न साक्षरता के कारण –

कई वर्षो से महिलाओं की स्थिति के उन्नयन और उन्हे पुरूषों के समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करने के लिये अनेक रणनीतियॉ बनाई गयी है। परन्तु महिलाओं के समान अधिकार की बात करना एक बात है और समाज मे उन्हे समान स्थिति मे लाना दूसरी बात हैं। यद्यपि भारतीय संविधान मे समय–समय पर नागरिकों को समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया हैं। किन्तु यह सत्य है केवल कानून या सिद्धांत बनाने भर से महिलाओं को समानता का अधिकार मिल जाए यह संभव नही है। यद्यपि नगरीय समाज मे प्रगति हुई है किन्तु ग्रामीण समाज की महिलाएँ आज भी बहुत पीछे हैं महिला की भूमिका घर के भीतर मानने के कारण महिलाओं की शिक्षा को आवश्यक नही माना जाता। इसके लिये आवश्यक कि समाज को शिक्षित करने की दशा मे कार्य किया जाए। इसके लिये प्रसार शिक्षा कार्यक्रम जो विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलाये जाते है, उसका उपयोग किया जाए। महिलाओं की शिक्षा मे कमी का सबसे बड़ा कारण है पर्दा प्रथा। गॉव के निवास करने वाली हिन्दू महिलाओं मे पर्दा प्रथा मे कुछ कमी आई है। किन्तु मुस्लिम मे पर्दा प्रथा आज भी व्याप्त है। प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं को भेजना संभव है किन्तु इस प्रथा के चलते उनका उच्च शिक्षा के लिये जाना प्रायः प्रतिबंधित हो जाता है।

बाल विवाह के कारण अवरोध डॉ. गणेश कुमार निगम के अनुसार –

बच्चों की सुरक्षा एवं उन्हे बुनियादी मानवाधिकार प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने अनेक संवैधानिक प्रावधान किये है। इसके बाद भी बाल विवाह रूक नही रहे। 2011 की

जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2010 के दौरान पूरे भारत मे 773.96 लाख विवाह हुये। इसमे से 19.80% यानी 153.20 लाख विवाह लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम थी। भारत मे सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान मे होते हैं। यह 2001 से 2010 के मध्य 15.40 लाख याने (33.77%) लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ। इसका आशय यह भी है कि राजस्थान मे 2001 से 2010 के दौरान हर तीन लड़कियों के विवाह मे एक का विवाह 18 वर्ष से कम आयु मे हुआ।

म.प्र. में इसी दौरान 45.31 लाख लड़कियों का विवाह हुआ। उनमें से 11.63 लाख याने 25.67% की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 16.17 लाख लड़कियों का विवाह हुआ। उसमें से 3.12 लाख लड़कियों का विवाह हुआ। उसमे से 3.12 लाख याने 19.28% लड़किया 18 वर्ष से कम थी। छत्तीसगढ़ म.प्र. व राजस्थान की तुलना में अधिक विकास की ओर है। अतः जब बाल विवाह होगें तो लड़कियों की शिक्षा कैसे संभव है। अतः यदि देश की उन्नति करनी है तो पहले बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिये।

- **क्षेत्र मे सामाजिक असंतुलन –** क्षेत्र मे अनेक सम्प्रदाय अभी भी परम्परागत सामाजिक मान्यताओं मे जकड़े होने के कारण बालिकाओं को अध्ययन हेतु विद्यालय नही भेजते। बालिकाओं की शिक्षा के लिये मानसिक रूप से तैयार नही होते।
- **अनौपचारिक शैक्षिक व्यवस्था की कमी –** एक पारिवार ही अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्र होता है। परिवार मे जब अधिकांश लोग निरक्षर होते है। जिससे कि छात्राओं को उपयुक्त वातावरण नही मिल पाता जिससे कि वे आगें पढ़े। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण संसाधनों के प्रभाव के कारण परिवार सही अर्थो मे अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्र का दायित्व नही निर्वहन कर रहे है व बालिकाओं की शिक्षा पूरी नही हो पाती।
- **विद्यालयों का कम होना –** ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्यालय कम है तथा कुछ ही विद्यालय है जो कि दूर स्थित है। ग्रामीण अंचल मे 4 से 5 कि.मी. दूर स्कूल स्थित है। हायर सेकेण्ड्री स्कूल 10–15 कि.मी. मे स्थित है, जिसमे कि बालिकाओं की शिक्षा संभव नही हो पाती।
- **अशिक्षित माता पिता–**समय–समय पर शासन द्वारा अनेक शिक्षा योजना लागू की जा रही है, जिसमे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा गणवेश योजना, साईकिल योजना, राजीव गॉधी शिक्षा मिशन, स्कूल चले हम अभियान आदि किन्तु अशिक्षित माता पिता सुविधा के उपभोग करने की प्रेरणा के अभाव मे इन योजनाओं का पूर्ण लाभ नही ले पाते।
- **महिला शिक्षिकाओं का ना होना** – अधिकांश विद्यालयों मे महिला शिक्षिकाओं की कमी है। जिससे छात्राएँ विभिन्न समस्याओं का निराकरण पुरूष शिक्षकों से नही कर पाती और विद्यालय छोड़ देती है। अतः शिक्षिकाओं को कन्या शाला मे अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिये।

- **उपयुक्त शैक्षिक वातावरण न होना** – विद्यालय व घर दोनो जगह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण नही होता जिसमे कि लड़कियॉ विद्यालय छोड़ देती है।
- **बालिकाओं के लिये विद्यालय मे भौतिक संसाधनों का अभाव** – फर्नीचर की कमी बालिकाओं के लिये पृथक कक्ष की कमी पृथक संसाधन की कमी जिसके कारण अधिकत्तर लड़किया बीच मे ही विद्यालय छोड़ देती है।
- **अध्ययन का निरूउद्देश्य होना या उपयुक्त पाठ्यक्रम की कमी** – वर्तमान परिवेश मे हम अर्थ प्रधान समाज मे रह रहे है। शिक्षा प्राप्त करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है। वर्तमान समय मे बेरोजगारी मे वृद्धि व व्यवसाय मे कमी बहुत बड़ी समस्या है। बालिकाओं के लिये रोजगारमुखी पाठ्यक्रम चलाना चाहिये। बालिकाओं के लिये गृह विज्ञान, संगीत, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी, नृत्यागान, गृह सज्जा, कुटीर उद्योग, आदि की समुचित मार्गदर्शन का अभाव है। अतः ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जाये जो रूचिपूर्ण हो व रोजगार दिला सके।
- **महिला छात्रावास की कमी** – छात्रावास केवल जिला मुख्यालय मे ही स्थित है। जो अनुसूचित जनजाति छात्रावास ही है। सामान्य के लिये नही है केवल उच्च शिक्षा मे सामान्य छात्राओं के लिये छात्रावास है।
- **पारिवारिक जिम्मेदारी** – परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही होती जिससे कि बालिकाओं को काम मे लगा दिया जाता है जिससे घर की आय मे वृद्धि होती है तथा कुछ परिवारों मे बालिकाएॅ छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल नही जा पाती।
- **शिक्षक एवं छात्रा अनुपात** – भारत मे शिक्षक एवं छात्र अनुपात भी देशों की तुलना मे असंतुलित है। छात्रा एवं शिक्षक अनुपात तो छात्र एवं शिक्षक अनुपात की तुलना मे और भी ज्यादा असंतुलित है। जहॉ 1951 मे प्राथमिक स्तर पर लड़कों के लिये 4.56 लाख शिक्षक थे। वही लड़कियों के लिये इसी स्तर पर मात्र 82 हजार शिक्षक थे। (लगभग 600% कम) उच्चतर प्राथमिक स्तर पर लड़कों पर शिक्षकों का अनुपात लड़कियों पर शिक्षकों के मिलने वाले अनुपात का लगभग 6 गुणा अधिक है। यद्यपि यह असंतुलन अगले 50 वर्षो मे (1951 से 2001) मे 6 गुणा से कम होकर 2 गुणा तक अवश्यक आ गया है। किन्तु अभी तक यह अनुपात लड़कों एवं शिक्षकों के अनुपात के समरूप नही हो पाया है। यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा मे स्पष्ट भेदभाव सरकारी रवैया को दर्शाता है। धीरे–धीरे स्थिति मे सुधार हो रहा है। नए कन्या विद्यालय खोले जा रहे है व शिक्षिकाओं की संख्या मे वृद्धि हो रही है।
- **महिला शिक्षा की आवश्यकता** – सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान दिया है। जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नही करते वे कभी भी बड़े नही हो पाए । स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्त्रियों की बहुत सी समस्याएॅ है उप उनमे एक भी ऐसा नही जो जादू भरे शब्द शिक्षा के द्वारा नही हो पाए।

मनुस्मृति मे कहा गया है कि पुत्रियों का लालन पालन और शिक्षा उतनी ही सावधानी व तत्परता से करना चायिे जितनी पुत्रों की। शिक्षा महिलाओं को न केवल मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाती है एवं उसे आत्म गौरव प्रदान करती है। शिक्षा बालिकाओं की शारीरिक अयोग्यताओं दब्बूपन एवं शक्ति विहिनता के भ्रम को तोड़ती है एवं वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच भी पैदा करती है।

इस प्रकार शिक्षा महिलाओं के लिये ''अधीनस्थता तथा शोषण से मुक्ति'' पाने का एक 'जीवनदायनी यंत्र' है तथा महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप मे सक्षम बनाती है। महिलाओं की शिक्षा के द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास संभव होता है एवं देश की जनसंख्या शिक्षा के द्वारा कम हो रही है। इस प्रकार देश का विकास भी महिला शिक्षा द्वारा संभव है।

नारी शिक्षा के विकास हेतु सुझाव –

1. महिला शिक्षा की सफलता के लिये महिला व महिला शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी विचारों मापकों, मूल्यों को पूरी तरह से खत्म कर आधुनिक मूल्यों को समाज मे सोच विकसित करनी चाहिये।
2. बालिक शिक्षा मे खर्च होने वाली राशि को फिजूल खर्च न मानकर इसे विनयोग एवं समाज के मानव संधान विकास के रूप मे देखना चाहिये।
3. महिला शिक्षा की उपादेयता के प्रति समाज मे जागृति लाना जिससे केरल की भॉति प्रत्येक 10 मे से 9 बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर दे।
4. शिक्षा संबंधी आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ यथा पाठशाला का भवन, बेन्च, ब्लैक बोर्ड, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि उपलब्ध कराना।
5. वर्तमान मे 60:1 छात्र शिक्षक अनुपात है वो कम से कम 30:1 होना चाहिये अर्थात पर्याप्त शिक्षकों की संख्या होनी चाहिये।
6. महिला शिक्षकों का होना अनिवार्य है। जिससे छात्राओं को विद्यालय मे अनुकूल वातावरण मिल सके व आगे जाकर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र मे नौकरी प्राप्त हो सके।
7. राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण रखा जाए जिससे शिक्षक अपने पढ़ाने की शैली मे समयानुसार आवश्यक परिवर्तन ला सके। जिससे शिक्षा रूचिपूर्ण बन सके।
8. देश का सबसे पिछड़े क्षेत्र पिछड़े राज्य व पिछड़े जिले आदि की पहचान करके इन स्थाना मे सफलता प्रशासकों या सेवा निवृत्त सेना अधिकारियों की सेवा इन कार्यो के लिये ली जानी चाहिये।
9. ग्रामीण इलाकों की जनता पढ़ाई को समय की बर्बादी व बेकारी मानती है । यहॉ स्थानीय स्तर पर लोगों की सहायता से महिलाओं को जागरूक करना चाहिये। शिक्षा के लाभ बतायें।

10. व्यापक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
11. 'एजुकेशन एट डोर' या पत्राचार पाठ्यक्रम की आवश्यकता हैं जिससे महिलाओं को घर–घर पहुँच कर महिलाओं को अधिक संख्या मे शिक्षित किया जाए।
12. महिला शिक्षा के क्षेत्र मे चल रहे अभियान कार्यक्रम मे संबंधित अधिकारी को कर्तव्यनिष्ठा व प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिये।
13. शिक्षा के द्वारा 'एक बेहतर जीवन' प्राप्त हो जो महिलाओं को नौकरी दिखा सके सत्ता मे भागीदारी दिला सके। अतः शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सके।
14. विद्यालय की स्थापना की जाए – प्रत्येक 1 कि.मी. के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाए। कन्या शाला की संख्या बढ़ाई जाये।
15. बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोका जाए – शारदा एक्ट पर कड़ाई से पालन किया जाए एवं बाल विवाह से होने वाली हानियो से अवगत कराया जाए।
16. पाठ्यक्रम मे नारी चेतना व नारी शक्ति की पहचान से संबंधित विषय वस्तु रखना चाहिये जो अध्ययन करने वाली बालिकाओं मे स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्म निर्भरता का भाव निर्मित करें।
17. जनजागरूकता लाई जाए – विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोगों को अवगत कराया जाये। जिससे कि लोग अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजे। स्कूल ना भोजन वाले अभिभावक को आर्थिक दंड दिया जाये।

    उपरोक्त बिन्दुओं के द्वारा हम बालिकाओं की शिक्षा मे वृद्धि कर सकते है।

निष्कर्ष –

महिलाओं की शिक्षा के साथ–साथ समाज व राष्ट्र का विकास संभव है। महिला शिक्षा से समाज मे व्याप्त पुरानी अर्थहीन मान्यताओं, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है।

यद्यपि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने सामाजिक आर्थिक उन्नति की है व आत्मनिर्भर बनी हैं आज पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक सभ्यताओं के हर सोपान मे महिलाएँ अग्र पंक्ति मे खड़ी है। अपने समूचे बहुआयमी व्यक्तित्व से आज समूचे विश्व को आवृत्त कर रही है। इसका पूरा श्रेय शिक्षा को जाता है। किन्तु पूरे राष्ट्र मे नारियों की स्थिति अभी भी दयनीय है आवश्यकता है कि प्रत्येक स्त्री आत्मनिर्भर बने व अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सके। अतः नारी शिक्षा के द्वारा ही यह संभव है। अतः शिक्षा सभी नारियों को दी जानी चाहिये।

संदर्भ

1. विश्व विकास रिपोर्ट 2001
2. भारतीय जनगणना 1991 एण्ड 2011

3. वार्षिक प्रतिवेदन (2001–2011) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
4. अग्रवाल बीना, वीमेन, पोल्ट्री एण्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंण्डिया
5. अग्रवाल एस.पी. वीमेन्स एजुकेशन इन इंण्डिया नई दिल्ली।
6. विवेकानंद स्वामी शिक्षा, 1995
7. वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट (2001–2011) श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. विश्व विकास रिपोर्ट 2011
9. मानव संसाधन मंत्रालय डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फार एजुकेशन
10. पत्रिका दैनिक अखबार 13 मार्च 2015
11. दैनिक भास्कर दैनिक अखबार 22 मार्च 2015

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

बी.एड. शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन

डॉ नीलम निगम*
श्रीमती सुषमा शर्मा**

डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार– समाज में प्रत्येक शिक्षक को यथोचित सम्मान देने की आवश्यकता सर्वोपरि है निसंदेह शिक्षक हमारे भविष्य का निर्माणकर्त्ता है उसकी अवहेलना करके हम अपने भविष्य के लिए खतरा ले रहे है ।

भारत के नवर्निमित प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शिक्षकों के दायित्वों एवं उनकी शैक्षिण कला में परांगत होने के बारे में बारबार कहा जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा शिक्षकों पर ध्यान नही दिया जा रहा है उन्हें किस तरह की सुविधाएँ दी जाए जिससे वे अपने कार्य को अच्छी तरह पूर्ण कर सके । अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ शिक्षकों का घोर शोषण कर रही है शिक्षण कार्य को छोडकर शिक्षक क्लर्क का काम कर रहे है जिससे उनकी क्षमता का ह्रास हो रहा है ।

शिक्षा के नाम पर प्रायः सभी प्रकार के भ्रष्टाचार इन संस्थाओं में हो रहे है पर्याप्त सुविधाएँ न होने के कारण भारतीय शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य दिनोंदिन गिरता जा रहा है जिसके कारण भारतीय शिक्षा और शिक्षक पतन की ओर जा रहे है।

मानसिक स्वास्थ्य

कट्स और मोसले के अनुसार–मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करते है ।

हैडफील्ड के अनुसार–संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहते है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है अपने पडोंसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहता है अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और आधारभूत कर्त्तव्यों को करने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति शेष बच जाती है कि वह समाज के हित में कुछ कर सकता है।

इसी तरह एक शिक्षक का भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है क्योंकि वह देश के भविष्य का निर्माता होता है और शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जबकि कार्य के प्रति संतुष्टि हो उसे पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हो तभी वह शिक्षण जैसे पावन कार्य को संपूर्ण समर्णपन के साथ सम्पादित कर सकता है।

---

* व्याख्याता, राजीव गॉधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
** व्याख्याता, चौहान कॉलेज ऑफ एजुकेशन

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पूर्व अध्ययनों में से कुछ ऐसे अध्ययन प्राप्त हुए जोंकि शोध विषय से संबंधित हैं ।

बासु एस (2012) –ने हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों में प्रशासन शैक्षिक अनुभव एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया यह अध्ययन रोहतक जिले के स्कूलों के शिक्षकों पर आधारित है 224 शिक्षकों का यादृच्छिक न्यादर्श द्वारा चयन किया गया अध्ययन पश्चात्र जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वे इस तरह है–पुरूष शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य महिला शिक्षकों से बेहतर पाया गया हालांकि मानसिक स्वास्थ्य का उम्र से कोई संबंध नहीं पाया गया वेतन अनुभव वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के बीच सार्थक संबंध पाया गया ।

उद्वेश्य–बी.एड शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना ।

परिकल्पना–शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत बी.एड शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

शोध प्रविधि/न्यादर्श–प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है न्यादर्श के लिए भोपाल शहर के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 100 पुरूष और महिला शिक्षकों का चयन किया गया शोध उपकरण–प्रस्तुत अध्ययन हेतु डॉ. जगदीश एवं डॉ.ए.के.श्रीवास्तव द्वारा र्निमित मानसिक स्वास्थय मापनी का प्रयोग किया गया।

संख्यिकीय विश्लेषण–

परिकल्पना क्र0 01–शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत बी.एड शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

तलिका क्रमांक 01

समूह	संख्या	मध्यमान	मनक विचलन	मानक त्रुटि	टी
शासकीय महाविद्यालय शिक्षक सार्थक अंतर	50	115.86	10′76	0′43	4.00
अशासकीय महाविद्यालय शिक्षक	50	88.27	9.39	0.37	0′05

व्याख्या–उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शासकीय एवं अशासकीय बी.एड महाविद्यालय के शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 115.86 एवं 88.27 है इस प्रकार शासकीय बी. एड महाविद्यालय के शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय के शिक्षकों की अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया अतः हम कह सकते हैं कि परिकल्पना सत्य हैं एवं स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना क्रं 02–शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत बी.एड पुरूष शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

तालिका कं 02

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी
शासकीय महाविद्यालय पुरूष शिक्षक सार्थक अंतर नहीं	25	25.12	6.98	13.96	1.15
अशासकीय महाविद्यालय पुरूष शिक्षक	25	18.30	7.74	15.98	0.05

व्याख्या–उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शासकीय एवं अशासकीय बी.एड महाविद्यालय के शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 25.12 एवं 18.30 है इस प्रकार शासकीय बी. एड महाविद्यालय के पुरूष शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय के पुरूष शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अतः हम कह सकते हैं कि परिकल्पना असत्य हैं एवं अस्वीकृत की जाती है

परिकल्पना कं 03–शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत बी.एड महिला शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

तलिका कमांक 03

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मनक त्रुटि	टी
शासकीय महाविद्यालय महिला शिक्षक सार्थक अंतर	25	15.81	7.27	1.09	3.43
अशासकीय महाविद्यालय महिला शिक्षक	25	20.16	6.39	0.51	

व्याख्या–उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शासकीय एवं अशासकीय बी.एड महाविद्यालय के महिला शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 15.81 एवं 20.16 है इस प्रकार शासकीय बी.एड महाविद्यालय केमहिला शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय के महिला शिक्षकों की अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया अतः हम कह सकते हैं कि परिकल्पना सत्य हैं एवं स्वीकृत की जाती है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष–शासकीय एवं अशासकीय बी.एड महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों में कार्यरत् शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया इसका कारण शासकीय बी.एड शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली रोजगार–सुरक्षा. उचित वेतन. अनेकानेक सुविधाएँ आदि के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर पाया गया अशासकीय बी.एड

शिक्षण संस्थानों में कार्यरत् शिक्षकों को दिये जाने वाला वेतन भत्ते सुविधाएँ पदोन्नित आदि ष्शासकीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं एवं रोजगार सुरक्षा भी नहीं होने के कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य असंतोष जनक पाया गया अशासकीय शिक्षण संस्थानों में रोजगार भी सुरक्षित नही है। अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की योग्यता का उचित आंकलन नहीं किया जाता योग्य शिक्षक परेशान है अयोग्य शिक्षकों को रसूखदारों का वरदहस्त प्राप्त हैं।

सुझाव–

1. शिक्षकों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाए।
2. महाविद्यालय प्रशासन एवं संगठन में व्याप्त कमियों को दूर किया जाए।
3. सरकार अशासकीय बी0एड0 महाविद्यालयों हेतु उचित मानकों का निर्धारण करें और इन मानकों पर कितना अमल हो रहा है इसकी मानटरिंग भी की जाए।
4. शिक्षकों की योग्यता अद्यतन करने हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. कपिल एच. के. (2007) अपसामान्य मनोविज्ञान एच0पी0 भार्गव बुक हाउस कचहरी घास आगरा
2. गुप्ता एस. पी. (2001) सांख्यकीय विधियाँ व्यवहार परक विज्ञान, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
3. बासु एस. (2011) महाविद्यालयीन शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य, कार्य संतुष्टि का अनभवसिद्ध अध्ययन द एशियन साइकालॉजी एवं एजुकेशन आगरा साइकालॉजी रिसर्च सेल आगरा

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

रघुवंश महाकाव्यम में यज्ञ की महत्ता

डॉ0 देवेन्द्र प्रसाद तिवारी

उपनिषदों में धर्म के तीन स्कन्ध प्रतिपादित किये गये हैं–(1) यज्ञ (2) अध्ययन और (3) दान। कविकुल गुरु महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियों में इन तीनों ही स्कन्धों का विवेचन स्थान–स्थान पर बड़ी ही मनोरम भाषा में किया है। वे न केवल यज्ञ के महत्त्व को स्वीकार करते हैं वल्कि वे यज्ञ के पुरजोर प्रचारक भी हैं। उन्होंने यज्ञ क्रिया के सपादक को पुरोहित कहा है। पुरोहित यज्ञ के रहस्यों का ज्ञाता होता है। महाकवि ने यज्ञ को ध ाार्मिकता की चहारदीवारी से बाहर निकालते हुए उसे वैज्ञानिकता का जामा भी पहनाते हैं। रघुवंश में उन्होंने उल्लेख किया है कि, राजा दिलीप यह बात भली–भाँति जानते हैं कि वसिष्ठ जी के यथाविधि सम्पादित होम द्वारा जल की वृष्टि होती है, जो अकाल से सूखने वाले शस्य को हरा–भरा बनाती है–

हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु।
वृष्टिर्जीवति शस्यानामवग्रहविशोषिणाम्।।1

नरराज तथा देवराज–दोनों का कार्य परस्पर एक दूसरे के संयोग से मानवों की रक्षा करना हैं। नरराज पृथ्वी को दुह कर उससे सुन्दर वस्तुएँ प्राप्त कर यज्ञ का सम्पादन करता है और देवराज इसके बदले में शस्य उत्पन्न होने के लिये आकाश से दुहकर पुष्कल वृष्टि करता है। इस प्रकार ये दोनों शासक अपनी सम्पत्ति का विनिमय कर उभय लोक का कल्याण करते हैं–

दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम्।
सम्पद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्।।2

यज्ञपूत जल के द्वारा अनेक अलौकिक पदार्थों की सिद्धि हमारे महाकवि को मान्य है। रघु सर्वस्वदक्षिण यज्ञ के अनन्तर कौत्स की याचना पूरी करने के लिये जिस रथ पर बैठते हैं उसे वसिष्ठ जी ने मन्त्रपूत जल से अभिमन्त्रित कर दिया है और उसमें आकाश, नदी, पहाड़ आदि विकट तथा विषम मार्गों पर चलने की अपूर्व क्षमता है। यज्ञ में तीन प्रमुख वस्तुएँ होती हैं–द्रव्य, देवता एवं त्याग। अतः याग का तात्पर्य हुआ देवता के लिए द्रव्य का त्याग। होम का अर्थ होता है किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यजतियाँ (यज्ञ सम्बन्धी कृत्य) याज्ञ के प्रमुख अंग होते हैं।3

रघुवंशी राजा दिलीप ने यज्ञ के निमित्त पृथिवी का दोहन किया और इन्द्र, धान्य के लिए आकाश को दुहते थे। राजा दिलीप ने निन्यानवे यज्ञों को निर्विध्न पूर्ण किया था।4

अतिथि प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य), शास0वेंकट संस्कृत महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

इन यज्ञों से उनका अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र हो गया।5 राजा दिलीप यज्ञकर्त्तावसिष्ठऋषि से कहते हैं–आपके द्वारा अग्नि में विधिपूर्वक दी हुई आहुति असमय में सूखते हुए धान्यों के लिए वृष्टिरूप है। यहाँ यज्ञों की वैज्ञानिकता की ओर संकेत हैं। यज्ञों के परिणामस्वरूप बादल छा जाते हैं और तब वृष्टि होती है।6 ऋषि वसिष्ठ यज्ञ–सम्पादन के कारण ही इन्दुमती के दिवंगत हो जाने पर, राजा अज के शोक में सम्मिलित नहीं हो सके। 7 यज्ञ ऋषि–ऋण से मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं।

यज्ञ में दीक्षित हुए युधिष्ठिर का अन्तःकरण हवनादि कार्यों को ऋत्विजों के द्वारा करते रहने पर उसकी प्राप्ति होने से कर्त्तव्य को प्राप्त हुआ। मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता ऋत्विज ने अनुवाक्या (देवताओं का आह्वान करने वाले मन्त्र विशेष) से उच्च स्वरोच्चाराणपूर्वक प्रकाशित इन्द्रादि देवता के उद्देश्य से घृत पायस आदि पदार्थों को याज्या (यज्ञादि साधनभूत मन्त्र विशेष) से अग्नि में छोड़ा। सामवेद के ज्ञाता अर्थात् उद्गाता नामक ऋत्विक् ने हाथ के संचालन विशेष से व्यक्त किये गये सात स्वरों वाले सामवेद को स्खलन रहित उच्च स्वर से गाने लगे और सत्य तथा प्रिय बोलने वाले होता आदि कल्याणकारण ऋग्वेद तथा यजुर्वेद को पढ़ने लगे। 'वषट्' शब्दोच्चारणपूर्वक घृत को हवनकुण्ड में छोड़ा जा रहा था। शीघ्र ही ऊपर उठता हुआ धुआँ मानो देवताओं से प्रिय सन्देश कहता हुआ सा स्वर्ग पहुँचा। उसकी सुगन्ध से देवता लोग भोजन करने के लिए उतावले हो उठे। हवनीय घृत पायसादि हविष्य द्रव्य के भक्षण से देवता दीर्घकाल के लिए अमर हो गये। इस प्रकार ये देवता यज्ञ भाग को ग्रहण करते हैं।8

अश्व प्रगति का प्रतीक है। शास्त्रों में 'अश्वं वै राष्ट्रं' कहा गया है। राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए किये जाने के कारण उस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजा दिलीप राजा दशरथ राजा श्रीराम तथा राजा अतिथि ने अश्वमेध यज्ञ किया था।9 राजा दिलीप ने स्वर्ग चढ़ने की अभिलाषा से निन्यानवे अश्वमेध यज्ञों की सीढ़ियों की कतार के सदृश रचना की।10 अश्वमेध यज्ञ के समय राजा दशरथ ने चारों ओर से धन इकठ्ठा किया। उन्होंने यज्ञ करते समय अपना मुकुट उतार कर तमसा और सरयू के किनारे को स्वर्ण के यज्ञ स्तम्भों से सुशोभित किया अर्थात् उन्होंने यज्ञकाल तक राजश्री का परित्याग कर दिया।11 अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा दशरथ मृग–छाल पहनकर दण्ड ग्रहण कर कुश निर्मित करधानी बाँधकर, मौन धारण कर, मृग के सींग लिए हुए यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे।12

यज्ञकाल में पत्नी का साथ होना आवश्यक होता था, अतः श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णमयी मूर्ति को उनका प्रतिनिधि बनाकर अर्द्धांगिनी के रूप में बायें बैठाया।13

अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर घोड़ा छोड़ा जाता था।14 अश्व के पीछे–पीछे राजकुमार भी चलते थे। राजा दिलीप ने राजकुमारों के साथ युवराज रघु को यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त कर निन्यानवे यज्ञों को निर्विघ्न समाप्त किया।15 इन्द्र को शतक्रतु कहा जाता है। इन्द्र यद्यपि यज्ञीय भाग को ग्रहण करते हैं, फिर भी उन्होंने राजा दिलीप

के यज्ञ मे ंअश्व चुराकर इसलिए विध्न डाला जिससे वह भी शतक्रतु न हो जाय।16 इन्द्र कहने लगे कि, जिस प्रकार भगवान् विष्णु ही एकमात्र पुरुषोत्तम कहे गये हैं, शिव ही महेश्वर कहे गये हैं, और दूसरे नहीं, उसी प्रकार मुनि लोग मुझे शतक्रतु मानते हैं। हम लोगों में ये शब्द दूसरों को प्राप्तव्य नहीं है।17 राजा राम के पूर्वज सगर द्वारा छोड़े गये यज्ञीय अश्व का अपहरण भी इन्द्र ने किया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया था।18 रघुवंश महाकाव्यम में अश्वमेधादि यज्ञों के अवसर पर गाड़े जाने वाले यज्ञीयस्तम्भों का अनेक स्थलों पर कथन हुआ है।19

यज्ञ सम्पन्न होने के पश्चात् स्नान किया जाता था। उसको 'अवभृथ स्नान' कहा जाता था।20 यज्ञों में दान भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में बहुत से दान दिये जाते थे। सोमरस निकालने के प्रथम तथा अन्तिम दिन सहस्त्रों गायें दान की जाती थीं। राजा अतिथि ने अश्वमेध के समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को इतना दान किया कि लोग उन्हें दूसरा कुबेर कहने लगे।21

पुत्र काम्येष्टि का सम्पादन पुत्र या दत्तक पुत्र का आभिलाषी व्यक्ति करता था। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था।22 जिस प्रकार समुद्रों मे ंरत्नों के रहते हुए भी मन्थन के पूर्व वे प्रकट नहीं होते उसी प्रकार दशरथ के भाग्य में पुत्रों के रहते हुए भी पुत्रेष्टि यज्ञ रूप कारण की अपेक्षा करने वाले पुत्र दशरथ को उत्पन्न नहीं हुए। अतः उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया।23

रघुवंश में सुरभि गाय को अधिक दिनों तक होने वाले यज्ञ के अनुष्ठाता वरुण को हविष्य देने कि लिए सर्पों से वेष्टित पाताललोक में रहता हुआ बताया हैं।24 वस्तुतः यहाँ चातुर्मास्य (ऋतु सम्बन्धी यज्ञ) इष्टियों का कथन है। चातुर्मास्य इष्टियों में वरुणप्रघास भी एक इष्टि है। वैश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षा ऋतु में आषाढ़ या श्रावण मास की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। सभी चातुर्मास्यों में दी जाने वाली पाँच आहुतियों के अलावा इस वरुण प्रघास यज्ञ में अन्य चार देवों अर्थात् इन्द्र, अग्नि, मरुतों, वरुण एवं क अर्थात् प्रजापति को एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियाँ जौ की होती है। इसमें अनुवाक्या एवं राज्या ऋग्वेद के मन्त्रों के अनुसार होती है।

रघुवंश महाकाव्य में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले स्रुव आदि यज्ञीय उपकरणों का कथन है तथा हिमालय को यज्ञीय द्रव्यों की उत्पत्ति का कारण माना है। यज्ञ काल में विध्नों के उपस्थित होने पर उनकी शान्ति का प्रयास किया जाता था।25 विश्वामित्र जी ने यज्ञीय विध नों की शान्ति के लिए काकपक्षधारी राम–लक्ष्मण को दशरथ से माँगा।

निष्कर्श रूप में हम यह अवश्य कह सकते हैं कि, यज्ञ सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जिसे महाकवि ने अपने अमर काव्य मे बखूबी स्थान दिया है। महाकवि मारतीय संस्कृति के न केवल संवाहक हैं वल्कि प्रतिष्ठापक भी हैं। उन्होंने रघुवंशीय राजाओं के उत्कृष्ट चरित्र को माध्यम बनाकर भारतीय संस्कृति के प्राणस्वरूप यज्ञ प्रक्रिया को प्रसारित करने का अनुपम कार्य किया है।

सन्दर्भ–

1. रघुवंश महाकाव्यम् 1/62
2. रघुवंश महाकाव्यम् 1/26
3. रघुवंश महाकाव्यम् 1/5
4. रघुवंश महाकाव्यम् 3/38, 6/74
5. रघुवंश महाकाव्यम् 1/68
6. रघुवंश महाकाव्यम् 1/62
7. रघुवंश महाकाव्यम् 8/75, 76
8. रघुवंश महाकाव्यम् 10/45
9. रघुवंश महाकाव्यम्, 3/65, 9/20, 15/58, 17/76
10. रघुवंश महाकाव्यम् 3/69
11. रघुवंश महाकाव्यम् 9/20
12. रघुवंश महाकाव्यम् 9/21
13. रघुवंश महाकाव्यम् 14/87
14. रघुवंश महाकाव्यम् 15/58
15. रघुवंश महाकाव्यम् 3/38
16. रघुवंश महाकाव्यम् 3/42
17. रघुंवश महाकाव्यम् 3/49
18. रघुवंश महाकाव्यम् 13/3
19. रघुवंश महाकाव्यम् 1/44, 3/38, 13/61, 16/35
20. रघुवंश महाकाव्यम् 6/61, 9/22, 11/31, 13/61
21. रघुवंश महाकाव्यम् 17/80
22. रघुवंश महाकाव्यम् 10/4
23. रघुवंश महाकाव्यम् 10/3, 4
24. रघुवंश महाकाव्यम् 1/80
25. रघुवंश महाकाव्यम् 15/62)

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

प्राचीनशास्त्र की वैज्ञानिकता एवं मानव जीवन में प्रभाव

श्रीमती क्षिप्रा सिंह

संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के विभिन्न विचारिकों एवं विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। जिससे प्रतीत होता है कि, जैसे दर्पण को देखने से वस्तुस्थिति का भान होता है उसी प्रकार समाज के विभिन्न तथ्यो पर तथा समाज के रूप–रंग, वृद्धि–ह्रास, उत्थान–पतन, समृद्धि तथा दुरावस्था का ज्ञान साहित्य के अध्ययन से आभासित होने लगता है तथा उस संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से जीवन का माधुर्य सर्वदा प्रस्फुटित होनें लगता है तथा मानव जीवन उससे ओतप्रेात होकर साहित्य के भीतर से विभिन्न प्रकार के परिस्थितियो का दिग्दर्शन अनायास ही करने लगता है। जिससे मानवजीवन की भव्य हिलोरें अन्तरात्मा को प्रमोदित करती रहती है।

विचार करने पर प्रतीत होता है संस्कृत काव्यो की आत्मा रस है और उसी रस का उन्मीलन श्रोता एवं पाठक के ह्रदय मे उन्मीलित करता रहता है। उसी उन्मीलन मे जो आनन्दानुभूति होती है फलतः इस भारत वर्ष का प्रवृत्ति मूलक समान गृहास्थश्रम को पूर्ण महत्व प्रदान करता है शायद इसी कारण से हमारे संस्कृत साहित्य मे गारम्य धर्म प्रकृति चिन्तन सन्निनिष्ट है ऐसा प्रतीत होता है यदि संस्कृत के काव्यो एवं नाटको मे अनुपम गाथा के माध्यम से वृन्तान्त प्रस्तुत किया होता तो ये भारतीय संस्कृत साहित्य का प्राण त्याग तपस्या से घोषित तथा जीवन का संवाद न बनता। यही कारण है कि विभिन्न वैचारिको एवं पश्चात् वैचारिको ने सेक्सपियर कीथ वेवर मैक्स मूलर आदि पश्चात विद्वानो ने अपने विभिन्न अनुसंधानो से हमारे साहित्य का अनुगमन किया तथा नाटको मे हमारे नाटय सुखार्णता के पोषक रहे है जबकि सेक्सपियर और पाश्चात् वैचारिको के नाट्य दुरवान्त बोध ही मूलक स्पष्ट दिखाई देती है।

भारतीय दर्शन तथा साहित्य अनादि काल से आशा वादी रहा है। जो विभिन्न पुराणो मे प्राप्त होता है भारतीय तत्व ज्ञान वैराग्य के भीतर से आशा का तथा विपत्ति के भीतर से सम्पत्ति का और दुख के भीतर से सुख का उद्गम् अवश्य ही हावी बनाता है संस्कृत साहित्य के कवि एवं लेखक ताप्तिक रूप से हमारे जीवन के अन्तस्थल को परखते हुये उसका सच्चा वर्णन प्रस्तुत करता है यह भारत वर्ष एक धर्म प्राण देश है जो आस्तिकता की देहली पर प्रचारित होता है। तथा ईश्वर के चरणारविन्द मे अपने श्री वन

शोध–छात्रा, पता– दक्षिणी करौंदिया (मारिशन पब्लिक स्कूल के सामने), जिला–सीधी (म0प्र0)

को लुटा देना ही जीवन की सार्थकता समझता है और जीवन को संसार की व्याधियो तभी तक प्रभावित करतीहै जब तक भगवान का सेवक नही बनता यह मानव जीवन स्वभावतः कौतक एवं विस्मय की ओर आकृष्ट होती है। तथा नित्य प्रति व्यावहारिक जीवन से ही संन्तुष्ट रहतीहै इस भारत वर्ष मे कथाये एवं काव्यो की स्थापना न केवल कौतुक मयी काव्य को प्रचलित करने के लिये लिखी गई बल्कि धार्मिक शिक्षण के लिये भी लिखी गई है। यही कारण है कि ब्राम्हणो जैनियो तथा बौद्धो ने भी समान भाव से इस अंग को अपनाया है।

हमारे संस्कृत साहित्य के काव्यो मे भी ह्रदय के भावो की अभिव्यक्ति तथा स्वाभाविकता का साम्राज्य परिलक्षित होता है इन कवियो ने मानव ह्रदय के सच्चे भावो को परखा और उन्हे सच्ची अनुभूतियो की अभियंज्जना से रस मयी बनाया। बाल्मीकि तथा व्यास कालिदास तथा व्यास कालिदास तथा अश्व घोष सभी ने रस एवं अलंकारो की सजावट से समाज को अपनी शैली से चमत्कृत किया।

ये साहित्य हमारे मानव जीवन को प्रभावित कर हमे समग्र दृष्टि से प्राचीनता व्यापकता तथा अभिरामता से ओत प्रोत करते है। जितने भी शास्त्र इतिहास पुराण एवं कर्मकाण्ड है ये सर्व संस्कृत भाषा मे ही है। जिसका तात्पर्य ये संस्कृत साहित्य पराउपरा विद्याओ का मनोरम भंडार है जो संस्कृत भाषा के माध्यम से विश्वमान हेाते हुये हमारे जीवन को रस मय तथा धन्य बनाती है।

सत् साहित्य का वैशिष्टय एवं गूढ़ रहस्यो का उद्घाटन –

मानव जीवन के लिये धर्मार्थ काम मोक्ष पुरूषार्थ चतुष्टय ही जीवन का सार है ये संस्कृत सत् साहित्य चारो पुरूषार्थो का विवेचन बड़े विस्तार एवं विचार के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करता है हमारे प्राचीन साहित्यो मे जीवनो पयोगी सामग्री का बाहुल्य है जो भौतिक साधन से लेकर अनेकानेक परिदृश्यो मे दृष्टि गोचर होती है चाहे वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या मनु का राजनीति शास्त्र हो या वात्स्यायन का कामशास्त्र ये सभी मानव जीवन के तारतम्य जीवन के लिये अतिउपादेय सिद्ध होते है विज्ञान ज्योतिष आयुर्वेद स्थापत्य पशु पक्षी संबंधी विज्ञान संस्कृत साहित्य मे बहुलतायत रूप से भरे पड़े है जिससे प्रतीत हेाता है कि हमारे ऋषियो ने प्रेम और श्रेय दोनो शास्त्रो का अध्ययन कर श्रीवन को सुखमय बनाने वाली अनेक विधाओ को साहित्य मे भर दिया है यही कारण है कि विभिन्नदेशो मे हमारी संस्कृति और विद्या वहॉ तक पहुची है भले ही उच्चारण एवं अंग शैलियो विकृत रूप मे ही सही परन्तु विद्यमान है प्रत्येक भारतीय का यह परम धर्म है कि वह इस साहित्य का अध्ययन करे जिस साहित्य मे कालिदास जैसे कमनीय कविता लिखने वाले भवभूति जैसे नाटक कार ब्राणभट्ट जैसे गद्यकारो ने अपने सरस लेखनी के द्वारा श्रेाताओ एवं अध्येताओ को प्रभन्त कर दिया ऐसे साहित्य की महिमा का वर्णन नही किया जा सकता।

संस्कृतं नामं दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः।

अनादि काल से चली आ रही यह परम्परा अपने मूल को ऐसे संजोय हुये है तथा भारतीय वाङमय मे वर्णित रामकथा आज भी लोकप्रियता की दृष्टि से निरन्तर अच्छुण्व और सताब्दियो तक बढ़ती रही है जिसमे मानव ह्रदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति विद्यमान है। वह अन्यत्र दुर्लभ है राम और कृष्ण की कथाये मात्र बाल विकास ही नही है बल्कि वह अनुपम शान्ति भक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। इसी कारण से उसकी लोक प्रियता वर्तमान है सत्साहित्यो मे बड़े बड़े यशास्वी महापूरूषो की कथाये विज्ञान और वैराग्य की विपक्षा से कही गई है।

जिसका अभिप्राय उसमे परमार्थ नही है किन्तु राम और कृष्ण ने अमल भक्त चाहने वाले साधको को भगवान के गुणानुवाद सन्त महात्माओ के संगीतगान श्रवण करे भारतीय वाग्यमय मे वर्णित रामकथा का आदर्श भी ठीक नही है क्योकि राम साक्षात् धर्म के स्वरूप थे जिसमे धर्म की शिक्षा देकर लोकनुग्रह करना ही राम के अवतार का मुख्य प्रयोजन कहा गया है।

अनवाप्तभ्ज्ञवात्ब्यंवर्तेयंजातुकिन्चतविद्यते।
लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्म कर्मणोः। 1
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातुकर्मण्य तान्द्रितः।
उत्सीदेयुरिमेलोका न कुर्यां. कर्म चेदहम्। गीता।

हमारे सत्साहित्यो के आधार पर रहस्यो द्घाटन मे जाये तो ऐसा प्रतीत होता है दिन के पहले रात और रात के पहले दिन का होना तथा सोने के पहले सोना सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि होना जैसे अनिवार्य है उसी प्रकार जैसे मेघ घट वायुयान राकेट आदि सभी विलक्षण कार्यो का निर्माण किसी ज्ञानवान इच्छावान से ही करना सम्भव है ठीक उसी प्रकार वृक्ष भूमि चन्द्र सूर्य सागर आदि का निर्मा किसी ज्ञान दान के द्वारा ही संम्भव है।

इसी प्रकार मानव जीवन के लिये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही स्वीकार होते है लोक मे भी अचेतना देह आदि या अचेतन कर्म स्वयं अपना फल नही दे सकते उसका फल राजाचेतन ही दे सकते है जीव चेतन होने पर भी जब अपने एक जन्म के कर्मो एवं उसके फलो को नही जानता तब अन्य अनेक जन्मो को कर्मो को कैसे जान सकता है ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना नितान्त आवश्यक है हमारे साहित्य उसी को स्वीकार करते है जिसका प्रभाव वेद इतिहास पुराण आदिकाव्य बाल्मीकि रामायण मे सुरक्षित है।

हमारे सत् साहित्यो मे जिन रहस्यो को उद्घाटन किया गया उनमे ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हुये उनके गुणानुवाद मे बहुत सी अन्यान्य भाषाओ एवं देशो मे रामकथा एवं अन्यान्य ऋषियो की कथायें निगूहित हैं। बाल्मीकि रामायण के अनुसार–

सत्यमेवेस्वरो लोके सत्येधर्मेः सदास्वतः।
वेदो सत्यप्रतिष्ठा नास्त स्तातसत्य परो भवेत्।।

सन्दर्भः–

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास, लेखक–वाचस्पति गैरोला– चौखम्बा विद्याभवन,वाराणसी,1
2. अलंकार सार मंजरी–चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी (उ0प्र0)
3. रामायण मीमांसा– स्वामी करपात्री जी महराज–सं.वि.वि.वाराणसी।
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास– चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
5. साहित्य दर्पण –
6. भारतीय दर्शन–युधिष्ठिर मीमांसक –चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी (उ0प्र0)
7. प्राच्यविद्यानुसंधानम् ,पत्रिका, मेरठ (उ0प्र0) –संपादक–डा0 वेदपाल
8. वेद यज्ञ और पर्यावरण–डॉ0सूर्यनारायण गौतम, एजुकेशनल बुक सर्विस, नई दिल्ली 110059
9. श्रीमद्रामगीता– डॉ0सूर्यनारायण गौतम, एजुकेशनल बुक सर्विस, नई दिल्ली 110059

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

वाण की वाणी में वैदिकवाणी का विलास

डॉ0 सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य'

रसालंकारमयी चारुतर सामासिक शब्दावलियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का मनोरम चित्र निर्माताओं की यदि हम पंक्ति को देखते हैं तो सबसे आगे हमें खड़े मिलते हैं महाकवि बाण। महावि बाण की जन्मस्थली तरल तरंगित सलिल युत श्रोण नद से सुशोभित श्वेत सिंह के गर्जन से दोलायमान विन्ध्याटवी के मध्य धीर गम्भीर प्रीतिकूट पर्वत श्रेणियों वाली पुण्य विन्धभूमि ही है। इस विषय में सभी विद्वान् एकमत हैं। हा उनका बाण यह नाम अवश्य ही संदेहोत्पादक है, क्योंकि उनके पितामह का नाम अर्थपति पिता का नाम चित्रभानु एवं पुत्र का नाम भूषणभट्ट उपलब्ध होता है। फिर बाण यह नाम कुछ अटपटा से अवश्य ही प्रतीत होता है। जबकि इनका वास्तविक नाम दक्षभट्ट था।

इनका नाम बाण हुआ इस विषय में दो तर्क दिये जा सकते हैं। प्रथम– अल्पायु में ही माता पिता की मृत्यु तथा अकेला हो जाना। विन्ध्य क्षेत्र में अकेला पुत्र को बड़वा कहते हैं, यही वड़वा शब्द परमार्जित कर लेने पर बाण ऐसा सिद्ध हो जाता है। द्वितीय –बाण से अभिप्राय सीधा जाने वाला। चाहे वह लक्ष्य में जाय अथवा लक्ष्य से बाहर किन्तु जायेगा सीधा और द्रुत गति से। महाकवि का जीवन भी ठीक इसी तरह का है। चौदह वर्ष की अल्पायु में ही चौवालिस जनों की मण्डली का प्रतिनिधित्व किया जिसमें उनके चचेरे भाई चन्द्रसेन मात्रसेन सपेरा पुस्तक वाचक लेखक चित्रकार वन्दी नर्तक जुआरी भिक्षुणी नर्तकी युवतिया इत्यादि सम्मिलित थीं।[1]

निश्चित रूप से ऐसी मण्डली का प्रतिनिधित्व करने वाला समाज में सम्भ्रान्त एवं वैदिक नही माना जा सकता । तथापि किसी होनहार व्यक्तित्व का परिचायक अवश्य ही माना जा सकता है। जिस समय बाण ऐसी मण्डली लेकर देश–देशान्तर में भ्रमण कर रहे थे उस समय बाण के विषय में एक कहावत समाज में प्रचलित हो चली थी–

''बाण बाण गये नौ हाथ का पगहा साथ ले गये''

बाण शब्द की सार्थकता एस समय सिद्ध होती है जब महाराज हर्ष ने बाण के अब्रह्मण्य की चर्चा कर दी तब उनका नैसगिक ब्राह्मणत्व जाग उठा और उन्होंने महाराज हष को सीधा उत्तर दिया–

''देव अविज्ञात तत्व इव अश्रद्दधान इव, नेय इव, अविदितलोक वृत्तान्त इव च कस्मादेवमज्ञापयसि। महद्भिस्तु यथार्थदर्शिर्भिभवितव्यम्। नार्हसि मामन्यथा सम्भावयितुं

वेदाचार्य, शास0 वेंकट संस्कृत महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

अविशिष्टतिव ब्राह्मणोऽस्मि जातःसोमपायिनां वंशे वात्सायनानाम् ।यथाकालं उपनयनादयःकृता संस्काराः । सम्यक्पठिता सांगोवेदः । श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राणि दारपरिग्रहादभ्यागारिकोऽस्मि । का मे भुजंगता ? लोकद्वय विरोधिभिरस्तुचौपलयशैशवं शून्यमासीत् । अत्रानापलापोऽस्मि । अनेनैव च ग्रहीत विप्रतिसार मिव मे हृदयम् ।2

महाकवि बाण की यह स्पष्ट वादिता ही बाण नाम को निश्चय ही सिद्ध करने वाली है। महाकवि वाण ऋषि परंपरा के संवाहक थे। श्रौतकर्मों के न केवल ज्ञाता थे वल्कि कुशल श्रौतकर्मोपासक भी थें उन्होंने अपनी वंश परंपरा को आलोकित करते हुए कहा है–

''चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलीमसः सुक्लतरं निजन्यसः''

अर्थात् हमारे पूर्वजों ने यज्ञ धूम से आकाश मण्डल को धूमिल कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप हमारे वंश का यश अत्यन्त उज्वल हो गया।

केवल यज्ञ ही किसी व्यक्ति को वैदिक वनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वल्कि वेद की मान्यताओं को अपने जीवन में स्वीकार करना भी परमावश्यक है। जीवात्मा का बारम्बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना अर्थात् पुनर्जन्म वेद की प्रथम मान्यता है। जिसके अनुसार मनुष्य कर्म बन्धन में बधता और छूटता है।

''जातो हि ध्रुवो मृत्युध्रुवो जन्म मृतस्य च ।3

अर्थात् जो उतपन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका कहीं न कहीं जन्म अवश्य होगा, यह भी निश्चित है। अतः वेद में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु की चिंता का परित्याग करते हुए मनुष्य को केवल कर्म करने मे ही प्रवृत्त होना चाहिए–

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि..... ।।4

इसी विषय वस्तु को जनमानस तक पहुचाने के लिए अति रोचकतापूर्ण शैली में महाकवि बाण ने अपने अद्भुत कथाग्रन्थ कादम्बरी में शुकादि के अनेक जन्मों की कथाओं को माध्यम बनाया है। कुमार पालित के द्वारा शुक के विषय में कही गई यह बात विशेषतया दृष्टव्य है–

''तत्राप्यजन्मोपात्त संस्कारानुबन्धेन वा पुरुष प्रयत्नेन वा संस्कारातिशय उपजायत इति ।।5

जो सर्वथा वेदानुकूल है। महाकवि बाण ने प्रणय को भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है, किन्तु वह प्रणय अश्लील न होकर वैदिक मर्यादाओं से आबद्ध हो। सृष्टि का आध ाार दामपत्य जीवन है,उस दाम्पत्य का आधार प्रेम है–

''ममेयमस्तु मयि पोष्या मह्यं त्वादाद्बृहस्पतिः''6

वैदिक वाङ्मय से प्रेरित महाकवि बाण ने अपने साहित्य में पतिव्रत एवं एकपत्नीव्रता पति की कल्पना की है, उनके काव्यों में किसी भी पात्र का चरित्र–चित्रण देखते है तो वह पात्र अपने आप में पूर्ण संयमी ,उदात्त भावना से युक्त दृष्टिगोचर होता है।

महाश्वेता से प्रणय याचना करने पर महाश्वेता का यह चिन्तन कि यदि इसने मेरे शरीर को कामभावना से स्पर्श कर लिया तो मुझे यह शरीर त्याग करना होगा–

''आः पाप ,कथमेव वदतोमामत्तमाङेतेनितितवज्रम्।
अवशीर्णावा नसहस्रधाजिह्वाविह्वलतां नगतावा वाणी''7

महाकवि बाण के विषय में हम यदि यह कह दें कि, बाण कवि से अधिक ऋषि हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके काव्य में राजनीति ,न्याय , धर्म, सद्भावना ,प्रेम ,प्रकृति चित्रण ,विश्वकल्याण इत्यादि का मनोरम चित्रण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके काव्यकौशल की छटा को देखते हुए नारायण चरित में प्रतिकवि–भेदन–बाण की उपाधि से विभूषित करते हुए कहा गया है–

सचित्र वर्ण विच्छित्ति हारिणो रवनीपतिः।
श्री हर्ष इव संघट्टं चक्रे बाण मयूरयोः।।

महाकवि बाण की अनुत्तमता वर्णन करते हुए रघुनाथ चरित में कहा गया है–

बाणं सत्कविगीर्वाणि मनुवध्नाति कः कविः।
सिन्धुमन्धुः किमन्वेति द्युमणिं कतमो मणिः।। इति।।

सन्दर्भः–

1. संस्कृत के महाकवि और काव्य पृ. (212)
2. हर्ष चरितम्
3. श्रीमद्भगवद्गीता 2/27 प्रकाशक –गीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0
4. शुक्ल यजुर्वेद संहिता (40/2)
5. का.व्या.–शे.ना.रे. (पृ.4)
6. अथर्ववेद संहिता (14.1.52)
7. कादम्बरी
8. वेणी संहार नाटकम्–महाकवि भट्टनारायण, क्षिक्षा साहित्य प्रकाशन, सुभाष बाजार, मेरठ उ0प्र0

   अमरकोश में भारतीय संस्कृति का स्वरूप–डा0 गोमती प्रसाद शुक्ल,विन्ध्य साहित्य प्रकाशन शास्त्री भवन अमहिया, रीवा

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

नारी शक्ति की प्रतीक : सरोजनी नायडू

डॉ. सुधा सोनी

सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वे हैदराबाद में आकर बस गये थे। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय बौद्धिक प्राणी थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कालेज की स्थापना की थी। सरोजनी नायडू पर अपने पिता का विशेष प्रभाव था। सरोजनी नायडू की माता जी कविता का शैक रखती थी। पिता की बौद्धिकता और माता की रुचि का सामंजस्य बनाकर उन्होंने अपने शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण कर लिया।

11 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 12 वर्ष की अवस्था में सरोजनी नायडू ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने तेरह सौ पंक्तियों की कविता लिखकर अपनी रुचि उजागर की। सन् 1895 में सरोजनी नायडू उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड गईं। वह लन्दन के किंग्स कालेज तथा कैम्ब्रिज के गिर्टन कालेज में पढ़ीं। इसी दौरान उनका मिलन मि. एडमंड गूज और आर्थर सीमन्स से हुआ। दोनों के सम्पर्क से उनकी काव्य प्रतिभा विकसित हुई। स्वयं सरोजनी नायडू ने लिखा है कि उन्होंने मुझे कविता का स्वर्ण द्वारा दिखाया। उन्होंने विदेश में विशेष डिग्री हासिल नहीं की किन्तु एक कवियित्री और वह भी एक ऐसी कवियित्री जिसका हृदय राष्ट्रप्रेम, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं नारी के प्रति संवेदनशीलता की चिन्तन विचारधारा का समावेश हुआ।

भारत की स्वाधीनता के लिए राष्ट्रप्रेम का उद्भव

अपने शिक्षा के काल में उन्होंने इंग्लैण्ड और इटली की यात्रा की यहीं से उनके मन में इटलीवासियों की तरह अपने भारत को स्वाधीन कराने की उत्कंठा जागृत हुई। फ्रांस और इटली की क्रांतियों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनका अध्ययन भी किया।

भारत आने के पश्चात् सन् 1898 में उनका विवाह डॉ. गोविन्द राजुल नायडू से हुआ। उनके एक पुत्र और दो पुत्रियाँ भी हुई किन्तु उनका साहित्यिक एवं राष्ट्रप्रेम का लगाव कम नहीं हुआ।

होमरूल आंदोलन

1915 में एनीबेसेंट ने होमरूल आंदोलन चलाया। सरोजनी नायडू ने होमरूल आंदोलन को ताकत देने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ शामिल हुईं। उन्होंने देश की महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अपील की। सरोजनी नायडू महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित रहीं, घरेलू जीवन छोड़कर महिलाओं की मुक्ति के लिए और स्वराज्य की स्थापना के लिए आंदोलन आरम्भ कर दिये। वे हैदराबाद से मुम्बई आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गई। 1917 में महिलाओं

प्राध्यापक (इतिहास), शास.कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

को मताधिकार प्राप्ति हेतु एकजुट किया। उन्हें खेद था कि महिलाओं को मत देने के अधिकार नहीं दिये गये थे। 1917 को कोलकाता कांग्रेस में स्त्री एक्टिविज्म के विषय पर उन्होंने कहा कि ''मैं मात्र एक महिला हूँ और मुझे आप सबसे कहना चाहिए कि जब आपका दिन शुरू हो या कि अंधेरे में पथ-प्रदर्शन के लिए प्रकाश पुंजों की आवश्यकता पड़े और निष्ठा की राह में आपकी मृत्यु होने पर आपके मानक ध्वजवाहमकों की आवश्यकता पड़े, उस समय भारत का स्त्री व आपके ध्वजवाहकों एवं शक्ति संबल के रूप में आपके साथ होगा और यदि आप मर भी जाती हैं तो याद रखिये चित्तौड़ की पद्मिनी की भावना के सदृश भारत के पुरूषों के दिल में आपका सम्मानीय स्थान होगा।।''

पहली बार कांग्रेस के मंच से राष्ट्रवादी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका को पहचाना गया।

स्त्रियों के कष्ट निवारण के लिए विधवा पुनर्विवाह अभियान, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की मुक्ति के अभियान जारी रखे। 1914 में उनकी भेंट लंदन में गाँधी जी से हुई तभी उन्होंने राष्ट्र भक्ति से प्रेरित कार्य के प्रति अपनी रुचि जाहिर की। सन् 1917 में नायडू ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए माण्टेग्यू से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। सन् 1918 में कांग्रेस के मुम्बई अधिवेशन में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कराने में सक्रिय रही।

सत्याग्रह आंदोलन

1919 में जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड की प्रमुख आलोचक रही। उन्होंने रौलर एक्ट के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महिलाओं से अपील की, 1920 में वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। 1921 में प्रिंस आफ वेल्स के मुंबई आगमन के विरोध भड़के दंगे के दौरान वे दंगेग्रस्त इलाकों में गई और हिन्दु मुस्लिम एकता बनाये रखने के लिए समझाया।

1924 में दक्षिण अफ्रीका गई जहाँ इतिहास विरोधी कानून की आलोचना की उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1924 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गईं। सन् 1928 में वे अमेरिका गई जहाँ कैथरीन मायो की पुस्तक 'मदर इण्डिया' पर भाषण दिया। उनके भाषणों का विदेशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। देश में आने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ने में सत्याग्रही सेना का नेतृत्व किया।

सन् 1930 की 23 मई को सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी छोड़ा गया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गाँधी जी के साथ लन्दन गई।

उनकी प्रखरता के कारण उन्हें अखिल भारतीय एशिया सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। सन् 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने घरसाना के सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। राजनैतिक नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। 1945 में स्वास्थ्य को देखते हुए छोड़ा गया।

सन् 1947 में भारत आजाद होने पर उन्हें उनकी योग्यता के अनुकूल उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। किन्तु अस्वस्थ रहने के कारण वे अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकी। 2 मार्च 1949 को उन्होंने संसार से विदा ली किन्तु उसके प्रेरक व्यक्तित्व राष्ट्र प्रेमियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

मध्यप्रांत में राष्ट्रवादी भावना-उदय, उद्‌भव एवं विकास
(1857 ई. से 1919 ई. तक)

डॉ. पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

राष्ट्रवाद का उदय होना किसी एक घटना अथवा व्यक्ति से प्रेरित नही होता है। इसके लिए जनजागृति अति आवश्यक होती है। लोगों के मस्तिष्क और हृदय के स्वतंत्र होने के गतिमय आंतरिक प्रवृत्ति की बाह्य अभिव्यंजना ही राजनीतिक संघर्ष है। यूँ तो मध यप्रदेश 1956 में अपना स्वरुप एवं आकार पा सका, इसके पहले यह मध्यप्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। 1857 के पहले या ये कहें कि 1861 ई0 तक मध्यप्रदेश या मध यप्रांत का कोई अस्तित्व नहीं था। 1820 ई0 में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र को एक एजेंट के हाथों में सौप दिया गया जो गवर्नर जनरल के अधीन था एवं उसका मुख्यालय जबलपुर में था। यद्यपि प्रांत का गठन क्रमिक रुप से प्रशासनिक हितों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया था परंतु प्रांतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का कोई अभाव नहीं था बल्कि यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आक्रोश एवं विरोध की भावना थी जो समय–समय पर विद्रोहों के रुप में फूट पड़ती थी।

1861 में जब मध्य प्रान्त का गठन हुआ था, उस समय तक प्रांत में न तो कोई रेलमार्ग थे और न ही अच्छी पक्की सड़के। जल्द ही बंबई से कलकत्ता जाने वाली रेलमार्ग का निर्माण कार्य आरंभ हुआ जो बरार एवं नागपुर हो कर जाने वाली थी जिससे बरार, नागपुर और बंबई आपस में जुड़ गये। आवागमन के इन साधनों ने प्रांत में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। सम्पूर्ण देश में जैसे–जैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, वैसे– वैसे मध्यप्रांत और बरार में भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी। अतः कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय आंदोलन, मध्यप्रदेश के विशेष उल्लेख के साथ भारत के स्वाधीनता आंदोलन का ही इतिहास है।

1857 की क्रांति के दमन के पश्चात गठित मध्यप्रांत पर शासन व्यवस्था को लागू करने की समुचित व्यवस्था अंग्रेजी शासन द्वारा की गई एवं थोड़े से समय तक प्रांत में शांति बनी रही परंतु एक अंतर्ज्वाला धधक रही थी जिसका विष्फोट कभी भी हो सकता था। इस ज्वाला को बढ़ाने में शासन की दमनकारी नीतियॉ एवं कानून, जनता पर होने

---

* प्राध्यापक (इतिहास विभाग), शा.ठा.र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), शा.ठा .र.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

वाले अत्याचार, प्रजातिगत भेदभाव, आर्थिक दुर्दशा एवं सर्वोपरि प्रेस तथा समाचार पत्र निरंतर सहयोग दे रहे थे।1ऐसे ही सुशिक्षित एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रयासों एवं ह्यूम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से दिसम्बर 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में मध्यप्रदेश का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। दूसरे अधिवेशन के लिए मध्यप्रांत के कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था जिनमें गंगाधर राव चिटनवीस, गोपालहरी भिड़े, बापूराव किनखेड़े आदि थे। इस द्वितीय अधिवेशन से लौटने के बाद नागपुर में लोकसभा नामक एक संगठन स्थापित हुआ। जिसके अध्यक्ष गंगाधर राव चिटनवीस थे।

अक्टूबर 1890 में नागपुर में स्वदेशी मिल जो आजकल माडल मिल कहलाता है, की स्थापना की जिसके संचालकों में गंगाधर राव चिटनवीस, गोपालराव भिड़े, मुकंदराव आदि थे। जनता से मैनचेस्टर के प्रभाव का विरोध करने को कहा गया। अनेक स्थानों पर सभाएँ हुई और लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की शपथ ली। इतना ही नहीं 1896 ई0 के होलिकोत्सव में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई एवं गॉवों तक इसका प्रचार हुआ।2इस प्रकार धीरे–धीरे प्रांत में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ और एक नव जागृति आयी। प्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में 1891 में नागपुर में आयोजित3राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नयी गति ला दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी की भावना के साथ–साथ एक और विचारणीय विषय जंगल कानून से संबंधित था जिसका सीधा प्रभाव मध्यप्रदेश पर पड़ता था।

असंतोष एवं क्षोभ के वातावरण में जब कर्जन वायसराय बनकर आया तो उसकी नीतियों ने अनेक क्रूर स्वेच्छाचारिता पूर्ण योजनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद में उग्र विचारधारा को जन्म दिया। 1904 ई0 में ही तिलक के निवास पर एक बैठक हुई जिसमें अन्य लोगो के अलावा मध्यप्रांत से दादासाहब खापरड़े एवं डॉ मुंजे उपस्थित थे, में सरकार के विरुद्ध तिलक का साथ देने को कहा गया। इसी समय पर बंगाल के विभाजन की योजना सामने आयी। जिसका व्यापक विरोध हुआ एवं विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार किया जाने लगा तथा शासन पर दबाब बनानें की सारी कोशिश की गई पर बंगाल विभाजन रोका नहीं जा सका। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति थी। उनका स्वयं का कहना था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। विभाजन से यह कमजोर हो जाएगी। इसी समय 1905 ई0 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलक का न केवल समर्थन किया गया बल्कि एक राजनीतिक जन संघर्ष का रुप दिया गया। अब लक्ष्य था स्वराज्य। विभाजन को रद्द करने की मॉग अब बहुत छोटा मुद्दा रह गयी थी।4मध्यप्रांत में भी यह मतभेद स्पष्ट होने लगा था लेकिन मध्यप्रांत पर तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण उग्रवादी विचारकों की प्रधानता थी एवं साथ ही प्रांतीय जनता पर भी उसी का ज्यादा प्रभाव था।

1906 ई0 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गंगाधर राव चिटनवीश ने आगामी अधि ावेशन नागपुर में करने हेतु आमंत्रण दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। फलतः दादा साहब खापरड़े एवं डॉ. मुंजे ने उग्र दल की शक्ति को संघटित करने हेतु प्रांतव्यापी दौरा किया एवं वर्धा, छिंदवाडा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, सागर आदि स्थानों में न केवल सार्वजनिक सभाएँ कर भाषण दिए बल्कि राष्ट्रवादी दल की शाखाएँ भी स्थापित की। क्रांतिकारी आंदोलनों में भी मध्यप्रांत पीछे नहीं रहा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य जबलपुर आते थे और बमों को तैयार करते थे, इस कार्य के लिए मदनमहल की पहाड़ियों को निरापद स्थान माना जाता था। 1911 में हाडिंग्स पर बम फेकने का परीक्षण रास बिहारी बोस ने यही पर किया था।

जब राजनैतिक क्षितिज में श्रीमती ऐनी बेसेंट का प्रादुर्भाव हुआ जो कि एक आयरिश महिला थी एवं थियोसोफिकल सोसाइटी हेतु कार्य करने भारत आयी थी।5गोखले एवं फिरोजशाह के न रहने पर कांग्रेस में सामंजस्य स्थापित करने का दायित्व इन पर था क्योंकि 1914 में इन्हें कांग्रेस में मान्य स्थान प्राप्त हो चुका था। तिलक मांडले से लौट चुके थे और पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लेने हेतु तत्पर थे अतः एनीबेसेंट और तिलक ने अलग–अलग क्षेत्रों में होमरुल आंदोलन की नींव डाली। 22 अप्रैल 1916 को होमरुल लीग की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य संवैधानिक साधनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था।6 अंग्रेजी शासन द्वारा तिलक के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही मद्रास में एनीबेसेंट को दो साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया । मध्यप्रांत पर भी इस होमरुल आंदोलन का तीव्र प्रभाव पड़ा एवं 1916 में ही एक प्रांतीय संघ बनाया गया जिसके अध्यक्ष हरीसिंह गौर एवं मंत्री डॉ. मुंजे थे एवं राज्य के प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इसमें शामिल थे। छतीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र, एस बी तांबे के साथ हरीसिंह गौर, राय बहादुर चौधरी आदि प्रमुख थे। इसका प्रमुख कार्यालय नागपुर में था और इसकी शाखाएँ समस्त प्रांत में फैली थी।

मध्यप्रांत में होमरुल आंदोलन के प्रचार–प्रसार में खापरड़े के साथ ही साथ डॉ. मुंजे और माधव श्रीधर भी जुटे रहे। श्रीधर 1916 से 1919 के मध्य पश्चिमी भारत के होमरुल लीग के उपसभापति रहें। विद्यार्थी वर्ग में भी इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक उत्साह था एवं वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे फलतः शासकीय भय की उपेक्षा कर वे प्रदर्शनों एवं सार्वजनिक सभाओं में शामिल हुए एवं शालाओं से निष्कासित भी किए गए। तिलक जब जबलपुर पहुँचे तो जनता एवं विद्यार्थियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनका जुलूस निकाला गया एवं विशाल सभा आयोजित की गई । प्रांत का महाकौशल क्षेत्र यद्यपि नागपुर एवं बरार के समान राजनैतिक दृष्टि से उतना जागरुक एवं उग्र नहीं था परंतु फिर भी इस क्षेत्र में भी धीरे–धीरे राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी।

1917 ई0 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें उग्रवादी विचारकों का ही प्रभुत्व था। अधिवेशन के पश्चात तिलक ने मध्यप्रदेश का व्यापक दौरा किया और होमरुल लीग के उद्देश्यों पर भाषण दिया तथा इस लीग हेतु राशि एकत्रित की। इसी दौरान तिलक दो बार जबलपुर आए एवं यहॉ प्रभावशाली भाषण दिया। जिसका जनता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा,

जबलपुर में ही होमरूल लीग की स्थापना ही चुकी थी। इस समय तक जिला राजनीतिक सम्मेलन व्यापक एवं नियमित रूप से होने लगे थे। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे भी राजनीतिक जागृति आने लगी थी। ये सम्मेलन छिंदवाड़ा, बालाघाट, अमरावती, दमोह और सागर में आयोजित हुए। दूसरी तरफ सरकार का दमन चक्र भारत प्रतिरक्षा अधिनियम पर चलता रहा जिसमें से अनेक मुकदमे ऐसे थे जिनमें कोई सत्य नहीं था परंतु भारतीय जनता का मनोबल तोड़ने की जगह उसने उनके विरोध की भावना को ही बढ़ाया।

इस समय तक भारतीय राजनैतिक क्षितिज पर एक नए व्यक्ति गॉधीजी उभरे। जिन्होने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध सत्याग्रह नामक एक नए राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया था । बिहार में भी नील के अंग्रेज उत्पादको द्वारा अपने मजदूरो पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध चम्पारण में इस अस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका था।7गॉधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह का प्रभाव स्पष्ट था। छिंदवाड़ा इसका एक अन्य उदाहरण है जहॉ अली बन्धुओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण हड़ताल थी। प्रायः सभी स्थानों में इन कानून का विरोध करने हेतु सार्वजनिक सभाऍ हुई । नागपुर में हड़ताल हुई पर चांदा की हड़ताल उससे भी बड़ी थी। जालियावाला बाग हत्याकांड की विभीषका ने मध्यप्रदेश को गंभीर आघात पहुॅचाया। प्रांतीय संघ की बैठक खंडवा में हुई और सभी वक्ताओं ने इस अत्याचार की घोर निंदा की ।8इन घटनाओं के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत हुई जो कि गॉधी युग के नाम से जाना जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि 1857 से 1919 तक राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के क्रमिक अध्यापन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक और राजनीतिक चेतना की दृष्टि से पिछ़डा यह प्रदेश आंदोलन काल में न केवल एक नए प्रांत के रुप में अस्तित्व वान हुआ बल्कि क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों एवं प्रबुद्धजनों के कारण धीरे–धीरे प्रगति के पथ पर चलते हुए अनेक मामलों में इस प्रांत ने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए । जैसे झण्ड़ा सत्याग्रह स्वराजिस्टों के कार्य या जगल सत्याग्रह तथा गॉधीजी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन। आजादी की लड़ाई में मध्यप्रांत का योगदान असीम है। कई देश भक्तों ने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होक अपने देश को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगाई तब जा कर हमें बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिल सकीं।

संदर्भ ग्रंथ

1. ग्रोबर, बी.एल. एवं यशपाल,आधुनिक भारतका इतिहास 1999, पृ. 403–12
2. सक्सेना, सुधीर, मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी, 1999, पृ. 132
3. शुक्ल, आर.,एल., आधुनिक भारत का इतिहास, 2003 पृ. 480
4. विपिनचन्द्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, 2004, पृ. 88
5. शुक्ल, आर.,एल., आधुनिक भारत का इतिहास, 2003 पृ. 358
6. मिश्रा, डी. पी., मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, 2002, पृ. 287
7. पट्टाभि सीतारम्मैया, कांग्रेस का इतिहास (हिन्दी अनुवाद) खण्ड–1, पृ. 163–65
8. शम्भूदयाल, मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन, 2008 , पृ. 156–70

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

व्रतस्वरूप मीमांसा

प्रो. वाल्मीकि प्रसाद मिश्र

भारतीयवैदिक एवं संस्कृत साहित्य में व्रत का विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया है, जिसका ीमीनव जीवन में सर्वोपरि स्थान हैं। ब्रह्मा के व्रताचरण से यह संसार उत्पन्न हुआ है, अतः समाज में व्रताचरण की निर्विध्न सम्पन्नता तथ सत्याचरण के लिये अग्नि देवता से स्तुति की जाती है कि [1]—

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तन्मे राध्यताम्।
इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि।।

व्रत और सत्य के आचरण से मनुष्य दीक्षा प्राप्त करता है। दीक्षा से उसे दक्षता, दक्षता से श्रद्धाभाव और श्रद्धा से सत्यस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है[2]—

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धाया सत्यमाप्यते।।

शास्त्र विहित वर्जनाओं का पालन या आचरण करना व्रत है, [3]जैसे,

अन्नं न निन्द्यात्। तद् व्रतम्। - (अन्न की निन्दा न करे, वह व्रत है)
अन्नं न परिचक्षीत्। तद् व्रतम्। - (अन्न की अवहेलना न करे, वह व्रत है)
अन्नं बहु कुर्वीत। तद् व्रतम्। - (अन्न को बढ़ावे, वह व्रत है)
न कञ्चव वसतौ प्रत्याचक्षीत। तद् व्रतम्।। (आये अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न दे, वह व्रत है)

सभी शब्द धातुज होते हैं। व्रत शब्द में ''वृञ्'' धातु है। जिस का अर्थ वरण करना, व्यवहार करना, नियम रखना आदि है। निरुक्त प्रणेता यास्काचार्य निघण्टुकाण्ड में व्रत का अर्थ कर्म किया है, क्यो कि मनुष्य कर्म से बॅधा हुआ होता है [4] ''व्रतमिति कर्म नाम वृणोतीति सतः''। इस प्रकार व्रत शब्द अपने धात्वर्थों की विशेषताओं से विभिन्न अर्थों को प्रकाशित करता है। व्रत सार्वभौमिक एवं सनातन कहा गया है। अनुशासन उसका स्वयं स्वरुप है। शास्त्रोक्त नियम ही व्रत है, सांसारिक वियाय वस्तु से मन को ऊपर उठाना व्रत है, ऐसा छान्दोग्य उपनिषद् मानता है—''महामनाः स्यात्, तद्व्रतम्'' इति।

वेदों में व्रत, उपवास, पर्व आदि नियमों का मात्र सूक्ष्म संकेत उपलब्ध होता हैं इसी सूक्ष्म सांकेतिक सूत्र के आधर पर महर्षि वेदव्यास जी ने आरव्यान, उपाराव्यान के माध्यम से पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण का प्रारम्भ ही इस सूत्र से किया गया है— ''अथ व्रतमुपैष्यन्'' इति [1] आत्मशोधन एवं विषय प्रवृत्ति से निवृत्ति व्रत शब्द का अपना अभिप्राय है। अनेक प्रकार के व्रत तप से सिध्द होते हैं। तप का ही परिणाम यह सृष्टि है। इस के लिये ब्रह्मा सर्वप्रथम तप करो। उपनिषद् भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं[2]—

---

* वेद विभागाध्यक्ष, शास. वेङ्कट संस्कृत महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

''प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत''

अति च,

''स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च'' इति[3]

सत्य व्रत को धर्म का स्वरूप माना गया है। इसी एकभुक्त के प्रभाव से महर्षि विश्वामित्र क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया[4]। राजर्षि धन्धुमार सगर सौ पुत्र तथा महाराज दशरथ श्रीराम जैसे पुत्र प्राप्त कर इसी धरा में धन्यभाग्य हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महर्षि नारद जी की प्रेरणा तथा माता-पिता की आज्ञा से हिमालय में ज जगज्जननी माता पार्वती जी की गहन तपस्या से त्रिपुरारी शंकर जी प्रसन्न हुए [5]—

देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भै गगन गभीरा॥
भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारि।
परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि॥

इस प्रकार सत्य व्रत ही धर्म है जो जगत् को धारण करता हुआ मनोवाञ्छित फल प्रदान करता हैं तात्पर्य यह है कि किसी लक्ष्य का अनुशन्धान कर अपने विशेष संकल्प के साथ किये जाने वाला कर्म का नाम ही व्रत है—

''व्रतञ्च सम्यक संकल्पजनितानुष्ठेयाक्रिया विशेष रुपमिति।

इसी अर्थ में वेद कहता हैं— ''व्रतेन दीक्षामाप्नोति'' इति।[6] महर्षिव्यास जी सत्यव्रत की श्रेष्ठता को निरूपति किया है कि —

ब्राह्मणोऽति मनुष्याणामादित्यश्चैव तेजसाम्।
शिरोऽपि सर्वगात्राणां व्रतानां सत्यमुत्तमम्॥

अत एवं ''सत्यं परं धमिहि'' कि भावना से गोस्वामी जी कहते हैं कि —[1]

धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥

इसी प्रकार सत्य व्रत धर्म तप का उपदेश वेदोपनिषद् में किया गया है—

''धर्म चर । सत्यं वद। सत्यान्नास्ति परो धर्मः। सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।
सत्येन लोकाञ्जयति। नास्ति सत्यात् परं तपः'' इति।।

व्रताचरण के बिना धर्म सुरक्षित नहीं होता। सत्य धर्म से धर्म व्रत से तथा व्रत तप से परस्पर अनुस्यूत होते है। सभी व्रतों में सामान्य रूप से धर्म दश प्रकार के कहे गये हैं[2]—

क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
देवपूजाग्निहरणं सन्तोषोऽस्तेयमेव च॥
सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः।

वाराहपुराण मानस व्रतों को कहता है [3]—

अहिंसा मानसान्याहुर्व्रतानि व्रतधारिणी॥

व्रत हमारी लौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन एवं माध्यम हैं इन से हमें उत्कृष्ट जीवन जीने की अद्भुत प्रेरणा मिलती हैं उपवास, नियम, होम, स्वाध्याय, तर्पण, यज्ञ, दम, दान, दया, ध्यान और समाधि व्रत के ही उपाङ्ग हैं। इन व्रतों से कायिक, वाचिक, मानसिक तिा सांसर्गिक

महापाप नष्ट हो जाते हैं। प्रोक्त सभी कर्म मुख्य तीन भगों में विभक्त हैं - नितय, नैमित्तिक और काम्य। इन तीनो प्रकार के कर्म के विधान में व्रत (अनशन, उपवास) का विशेष महत्व है। शतपथब्राह्मण में आषाढ़ सायवस आचार्य'' अनशनमेव व्रतं मेने''[4] ऐसा कहाँ है। देव मनुष्यों के मन की बात जानते हैं कि यजमान आज उपवास किया है अतः कल प्रातः हमें निश्चत ही बुलायेगा। ऐसा करने पर इष्ट देवगण यजमान के घर आकर निवास करते हैं। यही उपवासथ है। देवोपवसथ काल में सब से पहले देवों को आहार (भोग) देने का विधान है। यही शाश्वत दैवी परम्परा आज भी समाज में है कि गृहपति अतिथियों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करे हमारी सामाजिक चेतना व्रत (संकल्प) एवं उपवास (अनशन) से जागृत होती हैं मनुष्य के जीवन में जन्म (सृष्टि) से लेकर मृत्यु (प्रलय) तक व्रतोपवास का अतिसन्निकट सम्बन्ध है। आत्मशुद्धि और आतमसंयम को विकसित करने का एक अच्छा उपाय है। यही कारण है कि हमारी आश्रमीय व्यवस्था विश्व में सर्वोपरि स्थान एवं महत्व रखती है।

ईश्वरीय सत्ता की भॉति सभी धर्मों में व्रातोपवास की सत्ता भी आसानी से देखी जा सकती है। इस सत्ता के फल (परिणाम) में कोई भेद नहीं है। सब को समान फल देता है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान,बौद्ध और ईसायी ही क्यो न हो। व्रत का उद्देश्य सार्वभौमिक माङ्गलिक सत्य स्वरुप होना चाहिये। सर्वधर्म समभाव किसी भी व्रत की पवित्रता पर निर्भर रहता है। उसी के माप पर परिणम प्राप्त होता है। अतःव्रतोपवास की संकल्पना के प्रति सदा जागृत बने रहना चाहिये। चाहे राजधर्म, विज्ञान तथा चिकित्सा पद्धति ही क्यों न हो, ये सभी व्रत तप और उपवास के बिना स्वास्थ्यवर्धक परिणाम नहीं दे सकते। आत्मशक्ति तथा इच्छशक्ति की संयमित दृढ़ता के पुण्य स्त्रोत व्रतोपवास में सन्निहित होने के कारण आज भी हमारी संस्कृति समुन्नत है। आवश्यकता इस बात की हैं कि हम उसके महत्व को समझें। यह तभी संभव होगा। जब हम मानसिक, कायिक और वाचिक व्रतों का अनुपालन करने के लिये तत्पर होंगे। इन व्रतों के विषय में स्कन्दपुराण में कहा गया है कि—

एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम्।
इत्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर॥
वेदस्याध्ययनं विष्णोःकीर्तनं सत्यभाषणम्।
अपैशुन्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यतें॥

मनुष्य जन्म व्रत का परिणाम है। व्रत ही कर्म और संकल्प है। विधि से मनुष्य सभी कर्मो को निष्पन्न करता है। संकल्प हृदय से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह ब्रह्म का अधिष्ठान है इस लिये संकल्प ही ब्रह्मवेद है। यह सृष्टि सज्ञ का परिपाक है, क्योंकि यज्ञ व्रत संकल्प पूर्वक सम्पन्न किये जाते हैं। मनुष्य के भीतर सर्जना शक्ति का प्रादुर्भाव व्रत, संकल्प एवं यज्ञ के संयोग से होता है। यज्ञ सदा एक रस होकर सर्वत्र विद्यमान रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अमर एवं असीम है। इस लिये ही वेद, पुराण, रामायण तथा विभिन्न धर्मशास्त्र अपनी-अपनी अदभुत शैली से यज्ञविधि का गुणाख्यान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन स्वयं यज्ञस्वरुप है जिस के व्रताग्नि में शुभाशुभ कर्म की आहुति संकल्प विधि से दी जाती है। आधुनिक संदर्भ में व्रत को पूजा पाठ एवं धर्म के साथा जोड़ दिया गया है, जब कि इस के बिना यह संसार स्पन्दित ही नहीं होता। व्रताग्नि से ही ऐहिक और पारलौकि कर्म बीज अङ्कुरित, पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं। अतः व्रत का महत्व तथा वैशिष्ट्य तीनों लोकों में एक समान माना जाता है।

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

वेदान्त दर्शन में माया-एक विचार

डॉ. उमाकान्त मिश्र

'माया' शब्द दर्शन की अपनी विलक्षण विशेषता है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 'माया' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेदान्त दर्शन में हुआ है। जैसा कि गफ का कथन है— 'मायावाद का सिद्धान्त कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। यदि शब्द नहीं तो विचार तो उपनिषदों में सर्वत्र वर्तमान हैं और वह उपनिषद् दर्शन का अविभाज्य अंग है। इसके पूर्व ऋग्वेदसंहिता, अथर्ववेद, श्वेताश्वतर उपनिषद् दर्शन का अविभाज्य अंग है। इसके पूर्व ऋगवेदसंहिता, अथर्ववेद, श्वेताश्वतर उपनिषद्, योग-वासिष्ठ तथा बौद्धदर्शनादि में अनेकशः 'माया' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इन समस्त ग्रन्थों में 'माया' शब्द का प्रयोग देवताओं की शक्ति, प्रवञ्चना, प्रज्ञा, अविद्या तथा इन्द्रजाल आदि अर्थों में हुआ है, किन्तु इन समस्त ग्रन्थों में माया के ऊपर इतना गम्भीर चिन्तन नहीं किया गया है, जितना वेदान्त दर्शन में।

वेदान्त में वर्णित 'माया' एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके अस्तित्व पर 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' जैसे दो विरोधी वाक्यों में एकता की प्रतीति होती है, क्योंकि सत्य वस्तु होने से 'ब्रह्म' का कभी बाध नहीं होना चाहिये और मिथ्या होने के कारण जगत् का कभी दर्शन नहीं होना चाहिये, किन्तु इसके विपरीत स्थूल रूप से जगत् प्रतिक्षण प्रतिपल दृष्टिगोचर होता हैं वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप से निरन्तर दिखाई देने वाले लता, वृक्ष, नदी, पर्वतादि को मिथ्या कहना बड़ा विचित्र एवं असंभव प्रतीत होता है, किन्तु माया शक्ति के प्रभाववश ही ये विरोधी तत्व विरोधहीन ज्ञात होते हैं।

यद्यपि दो अक्षरों वाला यह शब्द उच्चारण में जितना सुगम एवं सरल है, वर्णन की दृष्टि से उतना ही कठिन है। इसका स्वरूप वर्णन एक जटिल समस्या है।

यगवासिष्ठ में इसे चित को मोह में डालने वाली जड़ एवं मूढ़जनों में त्रास उत्पन्न करने वाली चित्रलिखित स्त्री के समान कर्तृत्वशक्ति से रहित बताया गया है।

'माया' के विषय में महादेव शास्त्री जी का कथन है— 'माया' व्यावहारिक सत्ता का ऐसा नामधेय है जो वर्ण्यविषय से बाहर है। वस्तुतः किसी वस्तुविशेष्पा की ओर इंगित करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 'अमुक वस्तु माया है' वह तो विरोधी तत्वों का मिश्रण है। वह स्वयं रूपहीन एवं अस्तित्वहीन होते हुये भी सर्वत्र व्याप्त एवं सर्वशक्तिशालिनी है। यह अनादि किन्तु शान्त है। किसी व्यक्तिविशेष की निधि नहीं, वरन् सार्वजनिक तथा सार्वभौम है। सदानन्द जी ने विरोधी स्वभाव वाली 'माया' का स्वरूप वर्णन इस प्रकार किया है—

''सदसदभ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि-भावरूपं यत्किंचिदिति।''

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

माया के इस स्वरूप वर्णन द्वारा उसकी चार प्रमुख विशेषतायें दृष्टिगत होती हैं— सर्वप्रमुख विशेषता है माया का अनिर्वचनीयत्वं माया सद् तथा असद् दोनों ही सत्ताओं से परे है। सद् वस्तु से तात्पर्य है जो निरन्तर विद्यमान रहे। कालगत तथा देशगत सीमाओं द्वारा कभी जो बाधित न हो। असद् का अर्थ है जो वस्तु वंधयापुत्र अथवा आकाशपुष्प के सामन कभी विद्यमान न हो, किन्तु माया इन दोनों ही प्रकार की नहीं, है, जैसा की योगवाशिष्ठ में वर्णित है—

''ईदृशीराम मायेयं या स्वनाशेन हर्षदा।
न लक्ष्यते स्वभावो स्याः प्रेक्षमाणैव नश्यति॥''

यदि वह सद् होती तो किसी भी पल इसका विनाश न होता यदि असत् होती तो किसी क्षण विद्यमान न रहती। इसके विपरीत माया की विद्यमानता के कारण ही इस भौतिक जगत् का दर्शन होता है। विभिन्न सांसारिक भेद बुद्धियों का कारण भी उसी की विद्यमानता हैं इसके विनाश के साथ ही समस्त भेद बुद्धियाँ भी विनष्ट हो जाती हैं और 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' कथन की सत्यता सिद्ध हो जाती है।

इसके अतिरिक्त माया की सत्यता इसलिये भी सम्भव है कि माया से भ्रमित हुआ जीव कुछ कालापरान्त अपने यथार्थ को जानकर मुक्त हो जाता है, किन्तु माया से सत् होने से जीव की मुक्ति का सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि जीव तथा ईश्वर की सत्ता का कारण भी तो 'माया' ही है। अतः माया अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ ही कि जिसका सत् तथा असत् दोनों ही प्रकार से विवेचन न हो सके—

''प्रत्येकं सदसत्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्।
गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवादिनः॥''

वस्तुतः यही एक शब्द है जो माया के स्वरूप को पूर्णतया व्यक्त करने में समर्थ है। डॉ. हरिदत्त शास्त्री के शब्दों में—

''अनिर्वचनीयता इसकी इसी में है कि उसके लिये अभी किसी अभीधायक संज्ञा शब्द का आविषकार ही नहीं हुआ।''

माया की द्वितीय विशेषता त्रिगुणात्मकता है। जगत् की उत्पत्ति का मूल कारण माया है और जगत् की सृष्टिकर्त्ता शक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह सत्व, रजस् तथा तमस् त्रिगुणों से युक्त हो। वस्तुतः गुणत्रय ही तो सृष्टि का मूल कारण है। सांख्य दर्शन भी इन्हीं गुणों को सर्जक मानता है। आचार्य शंकर ने संसार की बीजभूत माया को त्रिगुणात्मक बताया है—

''अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिकापरा।
कार्यानुमेया सुनियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते॥''

माया के तीनों गुण इसके विशेषण होते हुये भी स्वरूप ही है। इनके बिना इसके अस्तित्व की कल्पना असम्भव है, क्योंकि माया तो अपने आप में अवस्तु है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के अभाव में इन्हीं गुणों की कर्तृत्वशक्ति के कारण उसके अस्तित्व का भान प्रतिपल होता है।

तृतीय विशेषता है ज्ञान विरोधित्व। अज्ञान ही तो माया के अस्तित्व का प्रधान कारण है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है—

''अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।''

आज्ञान से ही मोहित होकर मनुष्य रज्जु को सर्प समझकर भयभीत हो उठता है—

''यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प गृह्याति वैभ्रमात्।
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यपि मूढधीः।।''

यही उसी अज्ञान शक्ति का प्रभाव है कि त्रिकालावाध्ति, सच्चिदान्नद, ब्रह्म जीव के नेत्रों से आग्रह्म रहता है तथा मिथ्या जगत् सत्य प्रतीत होता है, किन्तु उस क्षण विशेष में जबकि उसके नेत्रों से अज्ञान का पर्दा हट जाता है— ''ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'' वाक्य की प्रतीति होने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान का उदय होते ही 'माया' की शक्ति नष्ट हो जाती है, जैसा कि 'योगवासिष्ठ' में वर्णन किया गया है—

'जिस प्रकार दीपक व जलाने पर अंधकार के रूप का निश्चय नहीं होता है, वरन् अविमल मूर्तिमान् तमस् का केवल नाश ही होता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर आसद् रूप अविद्या न जाने कहाँ भाग जाती है। अविद्या होने के कारण 'माया' असद् रूप है। इसका दर्शन तभी तक होता है जब तक विज्ञान दृष्टि से विवेचन किया न जाये।

'योगवासिष्ठ' के इस वर्णन के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान माया के स्वरूप वर्णन का साधन नहीं है, अपितु उसके अस्तित्व का आभ्ज्ञास मात्र है। ज्ञान द्वार नष्ट होने वाली 'माया' को वेदान्तियों ने 'भावरूप' कहा हे। वे नैयायिकों के सामन अज्ञान को ज्ञानाभाव मात्र नहीं मानते क्योंकि ''मैं अज्ञ हूँ तथा यहाँ अमुक वस्तु का अभाव है'' आदि वाक्य इस बात के द्योतक हैं कि 'अन्य व्यक्ति अमुक को जानता है तथा 'अन्यत्र' अमुक वस्तु का भाव भी हैं' यदि कोई वस्तु भावहीन है तो सर्वत्र भावहीनता परिलक्षित होगी। 'भावरूपता' माया की व्यावहारिकता है।

अविद्या— इस माया के लिये अविद्या शब्द का भी प्रयोग किया गया है। योगवासिष्ठ में वसिष्ठ जी ने अनेक स्थानों पर माया के स्थान पर 'अज्ञान' और 'अविद्या' शब्दों का ही प्रयोग किया है। उन्होंने इस अविद्या शब्द के विषय में बताया है कि ''उसे अविद्या इसीलिये कहते हैं कि ज्ञान होने पर यह विद्यमान नहीं रहती।''

आचार्य शंकर ने भी अनेक स्थलों में 'माया' के लिये 'अविद्या' शब्दका प्रयोग किया है। यथा— ''एक एवं परमेश्वरः कूटस्थ नित्या नामधातुः अविद्यया माययाविवअनेकधा विभाव्यते।'' तथा अविद्याात्मिक हि बीजशक्तिरव्यक्त शब्द निर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामायी महासुषुप्तिः यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिता शेरते संसारिणों जीवाः।।''

ऐसे स्थलों को देखकर प्रतीत होता है कि शंकराचार्य 'माया' तथा 'अविद्या' शब्दों को समानार्थक मानते हैं, किन्तु पंचदशीकार-विद्यारण्यस्वामी ने 'माया' तथा 'अविद्य' में भेद माना है—

''सत्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते।
मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः।।''

इसके अनुसार 'माया' तथा 'अविद्या' को भेद सत्त्व की शुद्धि और अशुद्धि पर आधारित है। यही भेद ईश्वर तथा जीव के विभेद का कारण है। माया ईश्वर की उपाधि है, किन्तु की उपाधि अविद्या है।

माया और अविद्या के इसी अन्तर के आधार पर ही परवर्ती विद्वानों ने उन्हें समानार्थक अथवा पर्यायवाची न मानकर भिन्न-भिन्न माना है। डॉ. देवराज लिखते हैं ''अविद्या का सम्बन्ध ज्ञाता या विषयी

से अधिक है और माया का ज्ञेय या विषय से, अविद्या बुद्धि का धर्म है और माया का स्वयं ब्रह्म से सम्बन्ध है।''

माया तथा अविद्या सम्बन्धी विभिन्न वर्णनों से यही स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं, जिनमें प्रथम उत्कृष्ट है और द्वितीय विकृष्ट है। विद्यारण्य मुनि का तो विचार है कि ये दोनों ही प्रकृति तत्व के दो प्रकार हैं।

यद्यपि माया तथा अविद्या के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद रहा है, किन्तु यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो बहुत अंशों में ये शब्द समानार्थक हैं। जैसा कि डॉ. हरिदत्त ने अपने अनुवाद (शारीरिक भाष्य के अनुवाद) की भूमिका में लिखा है—

"Brahmana is associated a certaion power called Maya or Avidya to which the appearance of the emtire world is due. This power cannot be called being (Sat) for being is only Brahmana nor can it be called non-being (Asat) in the strict sence, for it at any rate produces the appearance of this world."

इस विलक्षण अनिर्वचनीय माया की दो शक्तियाँ हैं—

(1) आवरण तथा (2) विक्षेप शक्ति आवरण शब्द का अर्थ है— किसी वस्तु के यथार्थ रूप को आच्छादित कर देना, किन्तु वस्तु के यथार्था रूप को आच्छाादित कर देते मात्र से ही उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता, वरन् आच्छादित वस्तु में अवस्तु की प्रतीति कराना भी इसी माया का कार्य हैं। अपनी इन्हीं दोनों शक्तियों द्वारा वह इस जगत् की रचना में समर्थ होती है। प्रथम शक्ति आवरण के द्वारा वह ब्रह्म के यथार्थ सत्-चित्-आनन्द रूप को आच्छादित कर देती है, किन्तु ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के आच्छन्न मात्र होने से इस समबन्ध रूप जगत् की उत्पत्ति नहीं हो जाती है और न ही यह क्रिया जीव को भ्रमित करने के लिये पर्याप्त होती है। यथा-आवरण किया के कारण रज्जु का यथार्थ रूप आच्छन्न होने से मनुष्य भयभीत नहीं होता, जब तब कि उस रज्जु के स्थान पर 'सर्परूप की उद्भावना नहीं हो जाती। वह 'सर्पत्व' उद्भावना का करना ही विक्षेपशक्ति का कार्य है। अपनी इसी विक्षेपशक्ति द्वारा ही माया ब्रह्म से आच्छादित स्वरूप में इस दृश्य जगत् का दर्शन कराती है। 'दृश्य विवेक' में माया की इन शक्तियों का वर्णन इस प्रकारा किया गया है—

''शक्तिद्वयं हिमायया विक्षेपावृत्तिरूपकम्।
विक्षेपशक्तिर्लिंगादि ब्रह्माण्डान्तं च जगत्सृजते्।।
अन्तर्जगद्दृश्ययीर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयीः।
आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्।।''

इस प्रकार आवरण और विक्षेप ये दोनों ही माया की महत्वपूर्ण विशेषतायें हैं।

मायावाद का स्वरूप

यद्यपि माया शब्द का प्रयोग प्रायः सभी दर्शनों में हुआ है तथापि मायावाद केवल अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है। अद्वैत वेदान्त से भिन्न जितने दर्शन हैं वे माया का प्रयोग इन्द्रजाल, असत् भ्रम, स्वप्न, रहस्य और मोह के अर्थ में करते हैं, किन्तु अद्वैत वेदान्त माया का प्रायोग इन अर्थों में नहीं करता है।

वहाँ माया का प्रयोग मुख्यतः तीन अर्थों में होता है जिसका वर्णन विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में इस प्रकार किया हैः—

त्तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा।
ज्ञेया माया त्रिभिर्बौधैः श्रौतयोक्तिकलौकिकैः।।

अर्थात् माया को तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक जानना चाहिए। श्रुति से ज्ञात होता है कि माया तुच्छ है, युक्ति से ज्ञात होता है कि माया अनिर्वचनीय है अर्थात् सत्-असत् से विलक्षण है और प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है कि माया वास्तविक है। इस प्रकार माया की आवधारण में (1) तुच्छ अर्थात् अलीकता या नितान्त असत् (2) अनिर्वचनीयता या सद्-असद् से विलक्षणत्व और (3) वास्तविकता ये तीन प्रत्यय संपुटित हैं। पारमार्थिक दृष्टि से जगत् असत् है क्योंकि परमार्थतः एक मात्र ब्रह्म ही सत् है। व्यावहारिक दृष्टि से जगत् सत् है और जगत् का अस्तित्व भ्रम या स्वप्न के समान नहीं है। संक्षेपतः अद्वैत वेदान्त में तीन प्रकार के सत् की विवेचना है— (1) प्रातिभासिक सत्, (2) व्यावहारिक सत्, और (3) पारमार्थिक सत्। प्रतिभासिक सत् वह है जो भासित होता है किन्तु जो परवर्ती अनुभव से गलत सिद्ध हो जाता है। स्वप्न लोक तथा भ्रम के विषय प्रातिभासिक सत् हैं क्योंकि वे भासित होते हैं और फिर अन्य अनुभवों से गलत सिद्ध हो जाते हैं। जगत् की वस्तुओं जैसे घट, पट आदि का अस्तित्व व्यावहारिक है। वे केवल प्रतीयमान नहीं है, उनमें एक नियम और सातत्य है। कम से कम उनमें कार्यकारण सम्बन्ध है। परन्तु उनका अस्तित्व अविनाशी और नित्य नहीं है। वे सब उत्पन्न होती हैं, और नष्ट होती है। उनव मूल में एक सत्ता है जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। यही सत्ता ब्रह्म है। ब्रह्म का अस्तित्व नित्य और एकरस है। उसके सन्दर्भ में जगत् मिथ्या है।

वास्तव में जो दृश्य है वह मिथ्या है, जैसे रस्सी में सर्प का अनुभव मिथ्या है और जगत् वैसे ही है। यह तर्क अद्वैत वेदान्तियों ने जगत् के मिथ्यात्व को सिदृध करने के लिए दिया है। इस पर वेदान्त के आलोचकों का कहना है कि अद्वैत वेदान्त में जगत् का अस्तित्व भ्रमवत् है, परन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं है। कारण (1) जग त् का अस्तित्व व्यावहारिक है और रस्सी में सर्प का अनुभव प्रातिभासिक है। व्यावहारिक और प्राातिभासित सत्ता में भेद करने वाले अद्वैत वेदान्ती जगत् और सर्प के अस्तित्व को एक जैसा नहीं कहते हैं। (2) दृश्यत्व जगत् और रस्सी से सर्प दोनों का विधेय है। दृश्यत्व वास्तव में अनुभव का विषय है। परन्तु वह सदा वर्तमान नहीं रहता है और अनुभव में आता रहता है। अर्थत दृश्यत्व आगन्तुक है। अनुभव में जो सदा वर्तमान तत्व है वह दृष्टा आत्मा है, जिसके बिना दृयश्त्व हो नहीं सकता है। इस कारण आत्मा की अपेक्षा अदृश्यत्व असत् है। परन्तु वह बन्ध्यापुत्र की भांति असत् नहीं है क्योंकि वह अनुभव में आता है और बन्धापुत्र अनुभव में नहीं आ सकता। इस से विलक्षण कहाँ जाता है। इस विलक्षण को पारिभाषिक शब्दावली में अनिर्वचनीय कहा जाता है। अनिर्वचनीयत्व इस प्राकार का वाचक नहीं है न वह अवर्णनीयत्व का ही वाचक है। जब अद्वैत वेदान्ती रस्सी में सर्प के अनुभव को अनिर्वचनीय कहते हैं और उसको जगत् के दृश्यत्व के समान बताते हैं। तब वे भ्रम को वास्तविकता की ओर ले जा रहे हैं, न कि वास्तविकता को भ्रम कह रहे हैं। सर्प वैसे ही अनिर्वचनीय है जैसे जगत्। कुछ भी हो, मिथ्यात्व को असत् समझना और फिर मायावाद की आलोचना करना अर्थान्तर कल्पना है। यहि वह दोष है जिसको मायावाद के सभी आलोचकों ने, विशेषतः रामानुज और उनके अनुयायी वेदान्तदेशिक ने किया हैं। मायावाद अद्वैत वेदान्त का जगत्-विषयक सिद्धान्त है। शंकराचार्य ने जगत् का वर्णन करते हुए 'जन्माद्यस्य यतः' सूत्र के भाष्य में कहाँ

है कि यह जगत नामरूप में व्याकृत है, अनेक कर्त्ताभोक्ता से सुयुक्त है, देश काल और निमित्त में प्रतिनियत है, क्रिया फल का आश्रय है और इसकी रचना मन से अचिन्त्य है। परन्तु इस जगत की उत्पत्ति तत्वतः सिद्ध नहीं की जा सकती। इस विषय में गौड़पाद कहते हैं—

सतो हि मायया जन्म युज्जते न तु तत्वतः।
तत्वतो जायते यस्य जातस्तस्यहि जायते॥
असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते।
वन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते॥

किसी वस्तु का जन्म सत् या असत् से तत्वतः नहीं हो सकता है। यदि सत् से उनका जन्म तत्वतः माना जाये तो आत्माश्रय दोष अमवस्था दोष होंगे और यदि असत् से उसका जन्म तत्वतः माना जाये तो असम्भावना नामक दोष होगा। इसलिए यह उत्पत्ति एक ऐसा तथ्य है जो सत् और असत् से विलक्षण है। यह प्रतीयमान है किन्तु सत्य नहीं है। इस कारण व्याख्या के लिए गौड़ापाद ने अजातवाद या मायावाद को प्रस्तावित किया। सत् से माया द्वारा इस जगत् की उत्पत्ति होती है। आगे चलकर शंकराचार्य ने केवल उत्पत्ति को ही नहीं किन्तु समस्त विषयों को माया मात्र कहा है, क्योंकि ये विषय अनुभव में आते हैं परन्तु सत्य नहीं हैं। इस प्रकार मायावाद जगत् की व्याख्या है, विषयानुभव की व्याख्या है।

इस व्याख्या को तीन दृष्टियों से सत्यापित किया जा सकता है

1. तात्विक दृष्टि

तत्वतः केवल एक और अद्वितीय ब्रह्म सत् है। अतः उससे भिन्न जो कुद भी है वह मिथ्या है। इस प्रकार मायावाद तर्कतः ब्रह्मवाद से सिद्ध होता है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि पहले ब्रह्म का अनुभव होता है अर्थात् पहले ब्रह्मवाद सिद्ध होता है ओर तदनन्तर जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। परन्तु अन्य लोग मानते हैं कि पहले जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है और तत्पश्चात् ब्रह्म का अनुभव होता है। अन्त में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्रह्मानुभव और जगत् मिथ्यात्व अनुभव दोनों को समकालिक मानते हैं। ये सभी दृष्टियाँ वैदिक ऋषियों की हैं जिन्हें एक और अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात् एवं अपरोक्ष अनुभव होता हैं।

लक्षणप्रामाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः— अर्थात् लक्षण और प्रमाण से वस्तुओं को सिद्ध किया जाता है। इस नियम से पहले सत् का लक्षण किया जाता है। वह है- यद्विषया बुद्धिर्न व्यभिचरति तत् सत् — जिसका ज्ञान कभ्झी व्यभिचरत न हो वह सत् है। विपरीततः जिसका ज्ञान व्यभिचरित हो वह मिथ्या है। पुनश्च से यह सिद्ध है कि सभी प्राकार का विषय ज्ञान व्यभिचरित है क्योंकि वह आता जाता है। एतएव वह मिथ्या है। विपरीत आत्मज्ञान समस्त विषय ज्ञान का पूर्ववर्ती है क्योंकि सभी विषय आत्मपूर्वक हैं। अतः आत्म ज्ञान सत् है। इस प्रकार लक्षण और प्रमाण द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध है और साथा ही विषयों का मिथ्यात्व भी सिद्ध है।

2. तार्किक दृष्टि

तार्कित दृष्टि से अद्वैत वेदान्तियों ने जगत् की व्याख्या करते हुए सिद्ध किया है कि जगत् न तो सत् है और न असत्। इसको इन्होंने अनिर्वचनीय कहा। अनिर्वचनीय एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी

विशद् विवेचना अद्वैतवेदान्त में की गई है। ब्रह्म को अद्वैत वेदान्ती अनिर्वचनीय नहीं मानता। वह ब्रह्म से भिन्न जो कुद है उसे अनिर्वचनीय कहता है। इस प्रकार वह माया को अनिर्वचनीय कहता है। दूसरे शब्दों में अनिर्वचनीयत्व का अर्थ सत् और असत् की कोटियों से भिन्नत्व है।

अद्वैत वेदान्तियों ने जगत् पर विचार करते हुए जगत् में सर्वत्र व्याप्त सत् अर्थात् ब्रह्म को देखा। उनका कहना है जगत् के जितने विषय हैं वे वास्तव में इस सत् के विवर्त हैं। सद्-रूप से वे सभी सत् हैं और सद्-भिन्न रूप से सभी असत् हैं। इस कारण जगत् को अनिर्वचनीय, मिथ्या या

माया कहाँ गया है। सत् को भी तत् सर्वनाम द्वारा सम्बोधित किया गया है। तत्पदार्थ का विवेचन करना जगत् की व्याख्या का लक्ष्य है। किम तत्? वह क्य है? वह सत् हैं तत् सत् है। किन्तु यह सत् का तदर्थ है। इससे भिन्न सत् का किमर्थ है। किम् तत्? इस प्रश्न के उत्तर में कोई कह सकता है कि तत् मेज है, लकड़ी है, सूखी वनस्पति है, पार्थिव है, पृथ्वी आदि के तम्माम हैं, कुछ परमाषु हैं, कुछ जड़ हैं, कुछ शक्ति हैं, आदि। के तन्मात्र हैं, कुछ परमाणु हैं, कुछ जड़ हैं, कुछ शक्ति हैं। आदि। किन्तु क्या वे सभी अर्थ तदर्थ हैं? स्पष्ट है कि ये सभी अर्थ आरोपित हैं और तदर्था इनसे भिन्न है। तदर्थ हमारे प्रत्येक वाक्य या परमार्थ का उद्देश्य रहता है और किमर्थ विधेय। यही कारण है कि सभी किमर्थ को मायिक कहाँ जाता है।

मूल्यात्मक दृष्टि

(3) मूल्यात्मक दृष्टि से जगत् का महत्व उतना नहीं है जितना आत्मा का है क्योंकि जगत् नश्वर है और आत्मा अनश्वर। जो प्रिय है वह वास्तव में आत्मा के लिए प्रिय है। आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। अनात्मा को कोई अनात्मा के लिए नहीं चाहता है। इस कारण जब जगत् को मिथ्या कहाँ जाता है और आत्मा सत् इसका अर्थ यह है कि आत्मचिन्तन से परम लाभ है और जगत् के ऊपर चिन्तन करने से कोई लाभ नहीं है। जगत् दुःख रूप है और आत्मा आनन्द रूप। जगत् को साधन माना जा सकता है यदि जगत् के ऊपर चिन्तन किरने से उसके अन्दर व्याप्त तत्पदार्थ का बोध हो। इस प्रकार मायावाद एक मूल्य सिद्धान्त है। यह हमें दुःख से आनन्द की ओर, असत् से सत् की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हैं माया का अर्थ निःसारत्व या असारत्व है और माया का अर्थ सारसर्वस्व होता है।

ऊपर माया के जो लक्षण दिये गये हैं वे माया के स्वरूप लक्षण हैं। उनसे भिन्न माया के कुछ तटस्थ लक्षण हैं जिनसे माया का बोध होता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैंः—

नामरूपात्मिका माया

(1.) नाम और रूप माया है और वे जिसके नाम और रूप हैं, वह सत् है। वह है (अस्ति) प्रकाशित होता है (भाति) और आनन्द है, (प्रियम्) यह ब्रह्म का लक्षण है। इसी को 'सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् ब्रह्म' कहा जाता हैं इसी का वर्णन अनेक नामों और रूपों में होता है। नाम और रूप परिच्छेद है और ब्रह्म कहाँ जाता है। इसी का वर्णन अनेक नामों और रूपों में होता है। नाम नाम और रूप परिच्छेद है और ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण उसे 'अनन्तम्' कहाँ जाता है।

वास्तव में व्यवहार के सभी विषयों का कोई नाम होता है और कोई रूप होता है। इन नामरूपों में जगत का आभास होता है। इन्हीं नामरूपों का विश्लेषण देश-काल निमित आदि के द्वारा और स्पष्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण की इन सभी विधाओं को मायावाद मानता है और इन सब के अन्त में वह कारण कार्य भाव को रखता है। फिर कार्य को वह कारण का संस्थान मात्र मानता हैं इसलिए वह कारण को सतृ और कार्य को उसका मात्र विवर्त मानता है। कारण कार्य की मीमांसा करने पर परम कारण अन्ततोगत्वा ब्रह्म सिद्ध होता है जो अज, अजर और अमर है सभी काय्र उसके संस्थान मात्र होने के कारण केवल विवर्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मायावाद ब्रह्म विवर्तवाद है।

त्रिगुणात्मिका माया

(2) माया को सत्व, रजस् ओर तमस् से युक्त कहाँ गया है इस अर्थ में माया सांख्य की प्रकृति से मिलती-जुलती है। परन्तु जहाँ साख्या की प्रकृति स्वतन्त्र है वहाँ माया ब्रह्म के अधीन है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहाँ गया है कि — मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्।

अर्थात् ब्रह्म को महेश्वर और माया को प्रकृति समझना चाहिए। कुछ भी हो अद्वैत वेदान्त मानता है कि माया ब्रह्म की अध्यक्षता में सृष्टि करती है। वह ब्रह्म की अपरा प्रकृति है। मायावाद शक्ति परिणामवाद है। माया जगत् का उपादान-कारण है।

माया ब्रह्म की शक्ति है

(3) माया को ब्रह्म की शक्ति कहाँ गया है। यह शक्ति अघटन-घटना पटीयसी है अर्थात् जो है, उसको घटित करने में वह सक्षम है। इस कारण इसको रहस्यमय, अचिन्त्य, विचित्र तथा अनिर्वचनीय कहाँ गया है। इस शक्ति के तीन रूप हैं — आवरण, विक्षेप और मल। आवरण शक्ति से माया तत्वज्ञान को ढॅक देती है। विक्षेप शक्ति से वह जगत् का प्रदर्शन करती है और मल शक्ति से वह जगत हको दुःखमय बना देती है। फलतः जगत अन्धकार-रूप, दृश्यत्त्व-रूप और दुःख-रूप है।

परन्तु माया को शक्ति मानने से अद्वैत वेदान्त को प्रायः गलत समझा गया है क्योंकि शक्ति और शक्तिमत् का सम्बन्ध वास्तविक है। इस गलती को दूर करने के लिए वेदान्तियों ने शक्ति को ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति न मानकर औपाधिक शक्ति माना है। शक्ति उपाधिकृत है। इस कारण वह ब्रह्म से सम्बन्धित न हाते हुए भी सम्बन्धित-सी दीख पड़ती है। मायावाद औपाधिक शक्तिवाद है। उपाधि का संप्रत्यय मायावाद का केन्द्र बिन्दु है उसके बिना मायावाद को समझा नहीं जा सकता है।

उपाधि क्या है? महादेव सरस्वती अद्वैत चिन्ता कौस्तुभ में कहते हैं कि उपाधि नाम - स्पसिमिन्निव स्वसंसार्गिणी स्वार्थमासंजकः। अर्थात् जब कोई पदार्थ अपने में गुणों की तरह उनका आरोप सम्बन्धी में करता है तब उस पदार्थ को उपाधि कहते हैं। जैसे गुड़हल का फूल अपने में विद्यमान लाल रंग को अपनी ही तरह अपने सम्बन्धी स्फटिक में आरोपित कर देता है। इसलिए गुड़हल का फूल स्फटिक की उपाधि है। इसी प्रकार माया वास्तव में ब्रह्म की उपाधि है। वह अपने गुणों का आरोप ब्रह्म में कर देती है। इसके फलस्वरूप ब्रह्म के दो रूप हैं—

मायामुक्त ब्रह्म या निरुपाधिक ब्रह्म और मायासहित ब्रह्म या सोपाधिक ब्रह्म।

पुनश्च उपाधि का संप्रत्यय विश्लेषण और शक्ति के संप्रत्यय से कुद सादृश्य रहता है परन्तु वह उनसे भिन्न है। विशेषण अपने विशेष्य का स्वाभाविक गुण होता है और शक्ति अपने शक्तिमान में निहित रहती हैं किन्तु उपाधि अपने उपहित का न स्वाभाविक गुण है और न वह उसमें निहित ही है।

उपाधि सम्बन्ध द्रव्य गुण सम्बन्ध भी नहीं है क्योंकि गुण द्रव्य विशेषण होता है और उपाधि विशेषण नहीं है। फिर उपाधि संसर्ग है किन्तु वह अनिवार्य संसर्ग नहीं है। ब्रह्म और प्रकृति का सम्बन्ध उपाधिभूत है। अर्थात् दोनों में संसर्ग है किन्तु यह संसर्ग न तो स्वाभाविक है और न पारमार्थिक। ब्रह्म अलग होते हुए भी प्रकृति के संग है और प्रकृति परमार्थतः न होते हुए भी ब्रह्म के संसर्ग में है। यह संसर्ग सांख्य का प्रारूप प्रकृति संयोग नहीं है क्योंकि यह आभासित संयोग है। यह संयोगवत् प्रतीत होता है पर है नहीं। यह सब ब्रह्म की लीला है, लीलावाद मायावाद का विरोधी नहीं। वह मायावाद को और सुदृढ़ करता है।

Shodh Chetna (Apr. to Jun., 2015) - 2
ISSN : 2350-0441

बघेलखण्ड में पत्रकारिता का प्रादुर्भाव एवं जनजागरण में उसका योगदान

डॉ. विभा श्रीवास्तव*
श्रीमती रमा श्रीवास्तव**

उत्तर गदर कालीन बघेलखण्ड में आधुनिक शैली की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बाद पत्रकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय बघेलखण्ड में तीन प्रिटिंग प्रेस भी खोले गये– दरबार प्रेस रीवा, जगदीश प्रेस सतना तथा माया प्रेस सतना।

बघेलखण्ड में निम्नांकित समाचार पत्र–पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ–

भारत भ्राता– भारत भ्राता बघेलखण्ड का प्रथम समाचार पत्र था। देवराज नगर के ठाकुर बलवंत सिंह ने रीवा में भारत भ्राता प्रेस की स्थापना की। इस पत्र का प्रकाशन 1 अप्रैल 1887 से प्रारंभ हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अध्ययन के दौरान वे वहॉ की पत्रकारिता से काफी प्रभावित हुए। अतः अध्ययन के बाद बलवंत सिंह ने कलकत्ता से एक छोटा सा प्रेस लाकर रीवा में स्थापित किया और इसी प्रेस से भारत भ्राता का पाक्षिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। कुछ समय बाद इस पत्र का प्रकाशन साप्ताहिक हो गया। राज दरबार के सभी आदेश पत्र एवं सूचनाऍ भी भारत–भ्राता से प्रकाशित होती थी। सन् 1902 में महाराजा व्यंकट रमण ने इस प्रेस को खरीद लिया और तभी से इसका प्रकाशन भी बंद हो गया।

शुभ चिन्तक– भारत भ्राता के बंद होने के बाद बघेलखण्ड 8 वर्षों तक पत्रकारिता के लाभों से वंचित रहा। 1910 ई0 में मधुकर प्रसाद पाण्डेय ने शुभ–चिन्तक नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, लेकिन इस पत्र की कोई भी प्रति तथा प्रमाणित जानकारी प्राप्त न होने के कारण स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस पत्र में किन विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित होती थी। 1918 ई. के बाद इसका भी प्रकाशन बंद हो गया।

रीवा राज्य गजट– सन् 1929 ई. से रीवा दरबार द्वारा रीवा राज्य गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इसका प्रकाशन पाक्षिक था। इसमें केवल राज दरबार के आदेश तथा सूचनाऍ प्रकाशित होती थी। आम जनता से इसका वार्षिक मूल्य 5 रू. लिया जाता था।

प्रकाश– सन् 1932 में विजयादशमी के पर्व पर **महाराजा गुलाब सिंह** द्वारा हिन्दी का साप्ताहिक पत्र **'प्रकाश'** निकालने का प्रबंध किया गया। इसके प्रथम संपादक उत्तर

* प्रो. एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** एम.ए. इतिहास एवं प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व सागर वि.वि. (म.प्र.)

प्रदेश के नरसिंहराम शुक्ल थे। यह पत्र प्रति रविवार को दरबार प्रेस से प्रकाशित होता था। इस पत्र में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय घटनाओं के अतिरिक्त साहित्यिक और ऐतिहासिक विषयों पर सामग्री प्रकाशित होती थी। प्रति वर्ष इसका वार्षिकांक प्रकाशित होता था, जिसका मूल्य 3 रूपये था। वार्षिकांक में प्रत्येक क्षेत्र की महत्वपूर्ण सामग्रियों का समावेश होता था। तत्कालीन बघेलखण्ड में **'प्रकाश'** सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण समाचार पत्र था।

बांधव– 1942 ई0 में विजयादशमी के दिन से रघुराज साहित्य परिषद् द्वारा बांधव नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। सर्वप्रथम इस पत्र के संपादन का कार्य सूर्यबली सिंह ने किया तथा प्रकाशन का संपूर्ण व्यय कर्नल बलवंत सिंह द्वारा वहन किया जाता था। इस पत्रिका में साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक महत्व की सामग्री का प्रकाशन होता था। इसका वार्शिक मूल्य 5 रूपये था। 1944 ई. में इसका प्रकाशन बंद हो गया।

भाष्कर– सन् 1946 ई0 में विजयादशमी के दिन से पं0 शम्भूनाथ शुक्ल द्वारा 'भाष्कर' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। यह पत्र पहले सतना से प्रकाशित होता था। लेकिन कुछ समय बाद ही इसका कार्यालय स्थानांतरित कर रीवा में बनाया गया। इसका स्वयं का छोटा सा प्रेस था। इस पत्र का संचालन देवी प्रसाद द्वारा किया जाता था और इसके संपादन का कार्य क्रमशः लाल यादवेन्द्र सिंह (1946–1947 ई.) तथा जगदीश चन्द्र जोशी (1947–48 ई.) द्वारा किया गया।

रीवा इन्फारमेशन– जनवरी 1947 ई0 से 'रीवा इन्फारमेशन' नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन रीवा के राजकीय इन्फारमेशन विभाग द्वारा किया गया। इस पत्र का संचालन गंगा प्रसाद ने किया। संपादन का कार्य शासकीय इन्फारमेशन विभाग का सचिव करता था। यह एक तिमाही पत्रिका थी, जिसमें सरकारी आदेश, सूचनाएँ तथा कुछ आवश्यक लेख प्रकाशित होते थे। यह राज्य के सहकारी विभागों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी।

मानस मणि– ''मानस–मणि'' के प्रकाशन में शारदा प्रसाद (रामवन, सतना) की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह मासिक पत्रिका थी। इसका स्वयं का प्रेस नहीं था, इसलिये इसका प्रकाशन अयोध्या (उत्तर प्रदेश) से होता था। इसका सम्पादक भी अयोध्या का था। कुछ समय बाद इस पत्रिका का प्रकाशन सतना प्रेस से होने लगा। यह एक धार्मिक पत्रिका थी।

बांधव–बन्धु– 1947 ई. में प्रद्युम्न सिंह द्वारा 'बांधव–बन्धु' पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इसका स्वयं का प्रेस न होने के कारण प्रयाग से प्रकाशित होती थी। 'बांध ाव–बन्धु' मुख्यतः पवाईदारों व इलाकेदारों की पत्रिका थी। इसमें उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण विषय–वस्तुओं का प्रकाशन होता था, लेकिन यह पत्रिका कुछ अंक प्रकाशित कर शीघ्र ही बंद हो गई।

जन–जागरण में योगदान–

1887 ई0 से 'भारत–भ्राता' के प्रकाशन के साथ ही बघेलखण्ड में जन–जागृति के क्षेत्र में पत्र–पत्रिकाओं की भूमिका प्रारंभ होती है। तत्कालीन बघेलखण्ड की जनता पिछड़ी और अशिक्षित थी। वह स्वदेशी तथा विदेशी शासन में कोई अंतर भी नहीं समझती थी। उसके लिये राजा और दरबार ही उसका सब कुछ था। इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र में पत्र–पत्रिकाओं द्वारा जनता को जागृति करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था, जिसे सर्वप्रथम 'भारत–भ्राता' ने स्वीकार किया। उसने 1857 के महान् विद्रोह की असफलता के बाद वैचारिक क्रान्ति की आवश्यकता महसूस की और जन–जागृति का सिलसिला शुरू किया। वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए लिखता है– ''क्या हम लोग अपने देश को, अपने घर द्वार को, अपने बाल–बच्चों को धूल में मिलते देखना पसंद करते हैं? क्या हम लोग अपने देश की रक्षा कर यश और नामबारी प्राप्त नहीं करना चाहते? परंतु हमारी सरकार हमारा विष्वास नहीं करती।''

उपर्युक्त लेख द्वारा 'भारत–भ्राता' ने जनता को स्पष्ट रूप से यह बताया कि ब्रिटिश सरकार कभी भारतीयों का शुभ चिंतक नहीं बन सकती। हमारी दुर्दशा का कारण विदेशी शासन है। जब सरकार द्वारा न्यायालय में आवेदन पत्र देने के लिए अर्जी–नवीस से आवेदन पत्र लिखवाना तथा उसमें स्टाम्प टिकिट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया तब उसके विरोध में, 'भारत–भ्राता' ने लिखा– ''स्टाम्प टिकिट लगाकर अर्जी देने की जो आज्ञा हुई है, उसमें निश्चय ही प्रजा को बड़ी भारी हानि पहुॅच रही है। बहुधा ऐसे लोग हैं, जिन्हें अवसर पर एक पैसा मिलना बहुत ही कठिन है। इसके बावजूद भी यहॉ की सरकार ने यह आज्ञा दी है कि जो अर्जी नवीसों से अपनी अर्जी लिखवाकर न्यायालय में नहीं देगें, उनकी अर्जी नहीं ली जायेगी। विचाराधीन बात है कि दीन मनुष्य अर्जी की लिखवाई फिर उसमें स्टाम्प का खर्च कैसे दे सकता है। इसका तात्पर्य उनका मुॅह बन्द करना है, जो वास्तव में उसके ऊपर अत्याचार करता है। शीघ्र ही सरकार को यह आज्ञा उठा लेनी चाहिए।''

'भारत–भ्राता' का प्रकाशन बंद होने के बाद 30 वर्षों तक जन–जागृति के क्षेत्र में पत्रकारिता के योगदान से बघेलखण्ड वंचित रहा। सन् 1910 से 1918 के बीच 'शुभचिंतक' पत्र प्रकाशित होता था, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी कोई भूमिका दिखलाई नहीं पड़ी।

सन् 1932 से प्रकाशित पत्र 'प्रकाश' राजदरबार के अधीन था, लेकिन राज दरबार द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में प्रकाश की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, फलतः यह पत्र अपने प्रकाशन के वर्ष से ही बड़ी तेजी से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरूद्ध जनमत तैयार करने में तत्पर रहा।

'प्रकाश' ने सर्वप्रथम सामाजिक समानता की स्थापना पर बल दिया, ताकि सभी वर्गों को समान रूप से जागृत करने का आधार निर्मित हो सके। उसने लिखा– ''हिन्दुओं के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वे अपने दलित भाइयों और बहनों को गले लगावें, अपने मन्दिरों में उन्हें निमंत्रित करें, अपने घरों एवं स्कूलों में उन्हें स्थान दें ताकि गांव में रहने वाले अछूत यह समझ जायें कि उनकी सामाजिक बेड़ियॉ कट गयीं।''

'प्रकाश'' बघेलखण्ड की जनता में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना भर देना चाहता है। उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–1934 ई.) के समर्थन में लिखा– ''स्वदेशी की महानता शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। हम अपने शरीर पर, अपने कमरे में और अपने पास विदेशी तिनका रखते हैं, जबकि हमें उसके स्थान पर देशी तिनका आसानी के साथ रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम उस तिनके के बराबर अपना खून स्वयं चूस रहे हैं। अपने भाई के सामने की थाली दूसरों को दे रहे हैं।''

शिक्षा जनजागरण का आवश्यक तत्व है। इसीलिये 'प्रकाश' समाज के समस्त वर्ग को शिक्षित करने पर जोर देता है। उसने महिला–शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु लिखा– ''जब तक महिलाएँ अशिक्षित एवं पुरानी रूढ़ियों से जकड़ी रहेंगी, तब तक न तो समाज की उन्नति संभव है, न देश की। हमारा देश केवल महिलाओं की संस्कृति के प्रभाव से संसार का गुरू रहा है, आज भी वह केवल महिलाओं में साहस और सुशिक्षा का अभाव होने के कारण गुलामी में जकड़ा हुआ है। जब महिलाएँ अपनी उन्नति में पड़ने वाले विघ्नों को अपने साहस से चकनाचूर करके आगे कदम बढ़ायेंगी, तब देश की गुलामी दूर होगी और तभी संसार में भारत के विजय का डंका बजेगा।'' 'प्रकाश' के इस आह्वान का प्रभाव बघेलखण्ड की महिला वर्ग पर काफी पड़ा। इसीलिए चंपा देवी और कृष्णा कुमारी जैसी महिलाएँ बघेलखण्ड में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में काफी आगे आयीं।

बघेलखण्ड की जनता को जागृति के लिए जिस वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता थी, उसे पत्र–पत्रिकाओं ने पूरा किया। जिसके फलस्वरूप बघेलखण्ड की जनता स्वाधीनता आंदोलन की राष्ट्रीय धारा से जुड़ सकी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. हीरालाल शुक्ल, ब.सं.भा., पृ. 12।
2. सत्येन्द्रशरण गोरगी की वास्तु एवं मूर्तिकला, पृ. 16
3. रा.लो. अग्निहोत्री, ब.स.का., पृ. 9
4. हीरालाल शुक्ल, ब.सं.भा., पृ. 11
5. वही, पृ. 13
6. विजयदत्त श्रीधर, मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास, पृ. 01.
7. डॉ. कैलाश नारद, मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता : एक शताब्दी, पृ. 48–57.
8. विजयदत्त श्रीधर, मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास, पृ. 100.
9. विजयदत्त श्रीधर, मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास, पृ. 101–102.
10. डॉ. वेदप्रताप वैदिक, हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम 1976, पृ. 20.
11. सिंह, विक्रम : बघेलखण्ड का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद 2002.
12. जड़िया मालती : रीवा जिला में स्वतंत्रता आंदोलन, अ0प्र0सिंह वि0वि0 रीवा 1999.
13. राधेशरण : विन्ध्य क्षेत्र का इतिहास, म0प्र0हि0ग्र0अका0 2001
14. व्यास, डॉ. हंसा,: मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, म0प्र0हि0ग्र0अका0, 2011 पाण्डेय, सुधा : बघेलखण्ड में स्वाधीनता आंदोलन, अ0प्र0सिंह वि0वि0 रीवा 2008.